रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2015/आषाढ. 11, 1937
No. 179] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2015/ASADHA 11, 1937

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2015

सं. 1/15/2015-एम.VI.—यत: केंद्र सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957(1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 मई, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित खान मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 406(अ), 20 मई, 2015 के तहत खनिज (नीलामी) नियम, 2015 को अधिसूचित किया है ;

और यत: खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 9 के उप-नियम(2) में राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा प्रदान करने हेतु ई-नीलामी आयोजित करने के लिए निविदा दस्तावेज जारी करने का प्रावधान है ;

अब, अत: केंद्र सरकार एतद्वारा, खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह-खनन पट्टा प्रदान करने हेतु ई-नीलामी आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों के उपयोग हेतु मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित निविदा दस्तावेज तैयार करती है, नामत: :-

"निविदा दस्तावेज"

[राज्य] सरकार

[बोलीदाता का नाम]

[पता]

को जारी

यह निविदा दस्तावेज अहस्तांतरणीय है। इस निविदा दस्तावेज की कीमत [राशि अंकों में] (रूपए [राशि शब्दो में]) है।

[नोट: इस निविदा दस्तावेज की कीमत 5 लाख रूपए से अधिक नहीं होगी]

[नोट: इस निविदा दस्तावेज की एक प्रति वेबसाईट <https://www.____> पर उपलब्ध है, जिसका उपयोग बोली प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता और इसका आशय केवल लोक सूचना हेतु है]

1. महत्वपूर्ण सूचना

1.1. अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुक्रम में, इसमें विनिर्दिष्ट खनिज हेतु [खनन पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा] अनुदान के लिए ई-नीलामी करने के आशय से क्षेत्र की अधिसूचना के अनुक्रम में यह निविदा दस्तावेज जारी किया गया है। इस निविदा दस्तावेज में दी गई सभी सूचना अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़े जाने चाहिए। इस निविदा दस्तावेज और अधिनियम अथवा नियमों के बीच किसी विरोधाभाष की स्थिति में, अधिनियम या नियम, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

1.2. इस निविदा दस्तावेज में निहित सूचना अथवा राज्य सरकार या उसके किसी कर्मचारी या सलाहकारों की ओर से, मौखिक अथवा दस्तावेजी या किसी अन्य रूप में, बोलीदाता (ओं) को तत्पश्चात दी गई सूचना इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर बोलीदाता (ओं) को दी गई है।

1.3. यह निविदा दस्तावेज न तो कोई करार है और न ही राज्य सरकार द्वारा संभावित बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति को कोई प्रस्ताव है। इस निविदा दस्तावेज का उद्देश्य इच्छुक पक्षों को वह सूचना देना है जो इस निविदा दस्तावेज के अनुक्रम में उन्हें बोलीयां लगाने में उपयोगी होगी। इस निविदा दस्तावेज में वह विवरण शामिल है जो खनिज ब्लॉक के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न अनुमानों और आंकलनों को दर्शाते हैं। ऐसे अनुमान, आंकलन और विवरणों का यह अर्थ नहीं है कि इसमें वह सभी सूचना है जो प्रत्येक बोलीदाता के लिए आवश्यक हो। यह निविदा दस्तावेज कदाचित सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त न हो, और राज्य सरकार, उसके कर्मचारियों अथवा सलाहकारों के लिए यह संभव नहीं है कि इस निविदा दस्तावेज को पढ़ने अथवा इस्तेमाल करने वाली प्रत्येक पार्टी के निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति और विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करें। इस निविदा दस्तावेज में शामिल सभी अनुमान, आंकलन, विवरण और सूचना कदाचित पूर्ण, सटीक, पर्याप्त अथवा सहीं नही भी हो सकती है। इसलिए प्रत्येक बोलीदाता को अपनी ओर से जांच और आंकलन करना चाहिए और इस निविदा दस्तावेज में शामिल अनुमानों, आंकलनों, विवरण और सूचना की सटीकता, पर्याप्तता, यथार्थता, विश्वसनीयता और संपूर्णता की जांच करनी चाहिए और उचित स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

1.4. बोलीदाता को इस निविदा दस्तावेज से दी गई सूचना कई स्रोतों से ली गई है जिसमें से कुछ लागू नियम के निर्वचन पर निर्भर होगी। दी गई सूचना वैधानिक आवश्यकताओं का संपूर्ण लेखा जोखा नहीं है और उसे संपूर्ण नहीं समझा जाना चाहिए। राज्य सरकार इस निविदा दस्तावेज की यथार्थता या अन्यथा उसमें निहित किसी विवरण के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करती है।

1.5. राज्य सरकार, उसके कर्मचारी और सलाहकार कोई अभ्यावेदन अथवा वारंटी नहीं देते और किसी कानून, सांविधि, नियमों अथवा विनियमों या टोर्ट, प्रतिपूर्ति के सिद्धांत या अनुचित लाभ या अन्यथा इस निविदा दस्तावेज या अन्यथा में शामिल किसी तथ्य से उत्पन्न, प्राप्त या हुई किसी हानि, क्षति, लागत या व्यय निविदा दस्तावेज की सटीकता, पर्याप्तता, यथार्थता, संपूर्णता या विश्वसनीयता सहित और इस निविदा दस्तावेज का हिस्सा माने गए या उसमें निहित या इस निविदा प्रक्रिया में भागीदारी से उत्पन्न किसी भी आंकलन, अनुमान, विवरण या शामिल सूचना के लिए बोलीदाता सहित किसी व्यक्ति के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है।

1.6. राज्य सरकार इस निविदा दस्तावेज में शामिल किसी विवरण पर, किसी बोलीदाता की निर्भरता से उत्पन्न किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी भी स्वीकार नहीं करती है।

1.7. राज्य सरकार अपने संपूर्ण विवेक से, किंतु ऐसा करने की किसी बाध्यता के बिना, इस निविदा दस्तावेज में निहित सूचना, आकलन या अनुमान का अद्यतन, संशोधित या अनुपूरक जोड़ सकती है।

1.8. इस निविदा दस्तावेज को जारी करने का अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य सरकार किसी खनिज ब्लॉक के लिए किसी बोलीदाता के चयन अथवा अधिमानित बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में नियुक्त करने को बाध्य है और राज्य सरकार के पास कोई कारण बताए बिना सभी अथवा कुछेक बोलदाताओं या बोलियों को अस्वीकृत करने का अधिकार है।

1.9. प्रत्येक बोलीदाता अपनी बोली को तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित और उससे जुड़ी हुई हर लागत उठाएगा जिसमें तैयार, प्रतिलिपि, डाक, वितरण शुल्क, राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित प्रदर्शनों या प्रस्तुतिकरण से संबंधित या बोली के संबंध में या उसके कारण कोई अन्य लागत शामिल है लेकिन इसी तक सीमित नहीं है।

1.10. यह निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है। इस निविदा दस्तावेज के लिए बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई कीमत वापस नहीं की जाएगी।

2. परिभाषाएं

यहां प्रयोग किए गए किंतु यहां परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में दिया गया हो। निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

2.1. **"अधिनियम"** का अर्थ होगा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

2.2. **"लागू नियम"** का अर्थ होगा सभी लागू विधान, कानून, उप-कानून, नियम, विनियम, आदेश, अध्यादेश, प्रोटोकॉल, संहिताएं, दिशानिर्देश, नीतियां, नोटिस, निदेश, निर्णय, डिक्री अथवा अन्य आवश्यकताएं अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा न्यायालय अथवा अन्य कानून का सरकारी आदेश, संबंधित सरकारी प्राधिकरण से नियम अथवा विनियम अनुमोदन, सरकारी संकल्प, निर्देश, अथवा अन्य सरकारी प्रतिबंध अथवा कोई समान प्रकार का निर्णय, अथवा निर्धारण, अथवा कोई निर्वचन या निर्णय जो भारत के लागू कानून से समर्थित हो।

2.3. **"नीलामी नियम"** का अर्थ है खनिज (नीलामी) नियम, 2015

2.4. **"बोलीदाता"** का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने यह निविदा दस्तावेज खरीदा हो, और अभिव्यक्ति बोलीदाता में ऐसे सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा।

2.5. **"बोली प्रस्तुति तिथि"** का अर्थ है वह तिथि जब खंड 8.1 (क) (क) के अनुसार तकनीकी बोली और आरंभिक कीमत प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाएगा।

2.6. **"बोली प्रतिभूति"** का अर्थ है खंड 16 में संदर्भित बोली प्रतिभूति।

2.7. **"रियायत क्षेत्र"** का अर्थ है सूचना ज्ञापन में अधिक विशेष रूप से वर्णित [क्षेत्र की विशेषताएं]

2.8. **"सूचना ज्ञापन"** का अर्थ है अलग से प्रस्तुत सूचना ज्ञापन जिसमें अन्य के अलावा, खंड 4.1 में विनिर्दिष्ट सूचना शामिल हो।

2.9. **"एमडीपीए"** का अर्थ है अनुसूची IV (एमडीपीए का फॉर्मेट) में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में खान विकास और उत्पादन अनुबंध।

2.10. **"निष्पादन प्रतिभूति"** का अर्थ है नीलामी नियमों की अनुसूची-III में दिए गए फॉर्मेट में बैंक प्रत्याभूति अथवा नीलामी नियमों के अनुसरण में प्रस्तुत किए जाने वाला गैर हित धारक प्रतिभूति जमा।

2.11. **"राज्य सरकार"** का अर्थ है [राज्य सरकार का नाम] ।

2.12. **"निविदा दस्तावेज"** का अर्थ है सूचना ज्ञापन और इस निविदा दस्तावेज के किसी परिशिष्ट सहित, यहां संदर्भित किसी अनुसूची और दस्तावेजो के साथ यह निविदा दस्तावेज।

2.13. **"अग्रिम भुगतान"** का अर्थ है नीलामी नियमों के अनुक्रम में देय भारतीय रूपए [अंकों में राशि] [(रूपए [शब्दों में राशि)] के बराबर राशि।

3. प्रस्तावना

3.1. अधिनियम में, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग क अथवा भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों और अधिनियम की धारा 3 के खंड (ड़) में यथा परिभाषित गौण खनिजों के अलावा सरकार में निहित खनिजों के संबंध में ई-नीलामी के माध्यम से [खनन पट्टे/संयुक्त लाइसेंस (जैसा कि नीलामी नियमों के नियम(2) के उप-नियम (1) के खंड (ख) में परिभाषित किया गया है)] के अनुदान का प्रावधान किया गया है।

3.2. अधिनियम की धारा 13 में प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग से, केंद्र सरकार ने खनिज (नीलामी) नियम, 2015 और खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 को अधिसूचित किया है। बोलीदाता को अधिनियम और उसके तहत बने नियमों से परिचित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3.3. इस निविदा दस्तावेज को रियायत क्षेत्र पर [खनन पट्टे/संयुक्त लाइसेंस] प्रदान करने के लिए ई-नीलामी हेतु, राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है।

3.4. ई-नीलामी को अधिनियम, नीलामी नियम, खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम 2015, इस निविदा दस्तावेज और अधिनियम के अनुक्रम में केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य आदेश अथवा अधिसूचना के अनुसार संचालित किया जाएगा।

4. रियायत क्षेत्र

4.1 रियायत क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित सूचना को अनुसूची V के तौर पर इस निविदा दस्तावेज के साथ पृथक **"सूचना ज्ञापन"** में शामिल किया गया है,-

(i) कुल स्टेशन और विभेदी वैश्विक स्थिति प्रणाली के इस्तेमाल से परिसीमित और वन भूमि, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि और राज्य सरकार के बिना स्वामित्व वाली भूमि में विभाजित भौगोलिक समन्वयों, रेवेन्यु सर्वेक्षण विवरणों सहित अभिज्ञात रियायत क्षेत्र का स्पष्ट मानचित्र;

(ii) खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015; के अनुसरण में निर्धारित अभिज्ञांत रियायत क्षेत्र में पाए गए खनिजों के अनुमानित खनिज संसाधन,

(iii) [खनन कार्य शुरू करने के लिए ऐसे क्षेत्रों के संबंध में प्राप्त की जाने वाली अपेक्षित अनुमतियां और स्वीकृतियों की परिचायक सूची]; और

(iv) रियायत क्षेत्र की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट।

4.2 बोलीदाता को सूचना ज्ञापन की समीक्षा करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है।

5. पात्रता

नीलामी नियम के नियम 6 के अनुसार, ई-नीलामी में भाग लेने की पात्रता निम्नवत होगी:

(क) बोलीदाता को अधिनियम की धारा 5 में निर्धारित शर्तो को पूरा करना अपेक्षित होगा जो नीचे उद्घृत[2] है:

"5. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के अनुदान पर निर्बन्धन

(1) कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति को कोई [भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा] तभी अनुदत्त करेगी जब ऐसा व्यक्ति

(क) भारतीय राष्ट्रिक है या कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 2 में खंड (20) परिभाषित कोई कंपनी है; और

(ख) ऐसी शर्ते पूरी करता है जो विहित की जाए :

[1]टिप्पणी : यदि खनन पट्टा के लिए ई-नीलामी की जाती है तो संयुक्त लाईसेंस को हटा दिया जाएगा तथा उसी तरह इस खंड में और इस निविदा दस्तावेज में जहां कहीं भी हो।

[2] टिप्पणी: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उद्घृत पाठ, निविदा दस्तावेज के प्रकाशन की तारीख में मौजूद अधिनियम की धारा 5 के अनुरूप है।

परंतु प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी खनिज की बावत कोई भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही अनुदत्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

स्पष्टीकरण : इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक माना जाएगा, --

(क) किसी फर्म या अन्य व्यक्ति –संगम की दशा में, केवल तब समझा जाएगा जब फर्म के सभी सदस्य या संगम के सभी सदस्य भारत के नागरिक हैं ; और

(ख) किसी व्यक्ति की दशा में, केवल तब समझा जाएगा जब वह भारत का नागरिक है।

(2) राज्य सरकार द्वारा कोई खनन पट्टा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि –

(क) यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि जिस क्षेत्र के लिए पट्टे के लिए आवेदन किया गया है उसका पहले पूर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उसमें खनिज पदार्थों का होना ऐसे क्षेत्र के पूर्वेक्षण के माध्यम से अन्यथा सिद्ध कर दिया गया है; और

(ख) संबंधित क्षेत्र में खनिज भंडार के विकास के लिए खानों के ऐसे प्रवर्ग की बावत जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा समस्यक रूप से अनुमोदित कोई खनन योजना है :

बशर्ते कि कोई खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा ऐसी योजना को तैयार करने, प्रमाणन और मॉनीटरन के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन से तैयार की गई प्रणाली के अनुसार खनन योजना तैयार करने पर दिया जाएगा ।"

(ख) बोलीदाता को यथास्थिति खनन पट्टा अथवा संयुक्त लाइसेंस प्राप्त करने के लिए रियायत क्षेत्र की ई-नीलामी संबंधी नीलामी नियम के अनुसूची-I में अनुबंधित पात्रता संबंधी निबंधन और शर्तों को पूरा करना होगा, जैसाकि नीचे उद्धृत[3] है:

"1. अनुमानित संसाधनों के मूल्य पर आधारित खनन पट्टे की नीलामी के लिए निम्नलिखित शुद्ध कीमत की अपेक्षाएं लागू होगी :—

(क) यदि अनुमानित संसाधनों का मूल्य 25 करोड़ रु. से अधिक है तो आवेदक, कोई व्यक्ति सहित, के पास अनुमानित संसाधनों के मूल्य का 4 प्रतिशत से अधिक शुद्ध कीमत होगी ।

(ख) यदि अनुमानित संसाधनों का मूल्य 25 करोड़ से कम अथवा समतुल्य है तो आवेदक, कोई व्यक्ति न होते हुए, के पास अनुमानित संसाधनों के मूल्य का 2 प्रतिशत से अधिक शुद्ध कीमत होगी ।

(ग) यदि अनुमानित संसाधनों का मूल्य 25 करोड़ से कम अथवा समतुल्य है तो आवेदक, कोई व्यक्ति होते हुए, के पास अनुमानित संसाधनों के मूल्य का न्यूनतम 1 प्रतिशत से अधिक शुद्ध कीमत होगी ।

(2) मिश्रित अनुज्ञप्ति की नीलामी के मामले में आवेदक के पास अनुमानित संसाधनों के मूल्य का एक प्रतिशत से अधिक शुद्ध कीमत, होगी ।

[3] नोट : राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि उद्धृत पाठ निविदा दस्तावेज के प्रकाशन की तारीख पर मौजूद नीलामी नियम की अनुसूची-I के अनुरूप है।

व्याख्या :

(1) यदि आवेदक भारत में निगमित अन्य कंपनी का सहायक है, तो ऐसा धारक कंपनी की निवल कीमत पर भी विचार किया जाएगा :

बशर्ते कि ऐसे मामले में आवेदक को, आवेदक द्वारा ऊपर उल्लिखित निवल कीमत थ्रैसहोल्ड प्राप्त करने के समय तक ऐसी होल्डिंग कंपनी की सहायक बनी रहनी चाहिए ।

(2) कंपनी के मामले में निवल मूल्य, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार चुकता शेयर पूंजी और फ्री रिजर्व का योग होगा ।

(3) व्यक्ति के मामले पर, निवल मूल्य, आवेदन की प्रस्तुति के लिए अंतिम तिथि को क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा और । इस राशि में अनुसूचित बैंक/डाकघर में बचत बैंक खातों में जमा धनराशि, अनुसूचित बैंक, डाकघर, सूची कंपनी/सरकारी संगठन/राज्य और केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में फ्री और अनएनकम्बर्ड फिक्स्ड डिपोजिट, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, बॉण्ड, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर, सूचीबद्ध म्यूचुअल फण्ड, यूलिप, पीपीएफ, आवेदक के नाम की जीवन बीमा पॉलिसियों का समर्पण मूल्य शामिल किया जाएगा ।

(ग) [यदि राज्य सरकार द्वारा नीलामी नियम के नियम 6 के उप-नियम (2) के अनुसार कोई अतिरिक्त पात्रता शर्तें निर्धारित की जाती हैं तो यहां उसका उल्लेख किया जाए][4]

(घ) [रियायत क्षेत्र को [अंतिम उपभोक्ता के विवरण][5] के लिए आरक्षित किया गया है जैसा कि अधिनियम की धारा 10 ख) की उप-धारा (6) के परंतुक जिसे नीलामी नियम के नियम 6 के उप-नियम (3) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार अंतिम उपभोक्ता का उल्लेख किया गया है][6] ।

(ङ) पात्रता शर्तों का उपयोग केवल ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से किया जाएगा । सफल बोलीदाता का निर्णय केवल पात्र बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत अंतिम कीमत प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा ।

6. समीक्षा अवधि और स्थल दौरा

6.1. नीलामी नियम के नियम 9 के उप-नियम (3) के अनुसार बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज के अध्ययन हेतु निश्चित अवधि (दिन) दी जाएगी और बोली प्रक्रिया उस अवधि (दिन) के बाद ही आरंभ होगी।

6.2. ऐसी अवधि (दिन) [एनआईटी की तिथि] को आरंभ होगी और (तिथि) को समाप्त होगी ।

6.3. ऐसी अवधि के दौरान बोलीदाता अपनी लागत और जोखिम पर रियायत क्षेत्र का स्थल दौरा कर सकते हैं और अपने लिए स्थल दशाओं, स्थिति, संचार, जलवायु, बिजली की उपलब्धता और उनके द्वारा संगत समझे जाने वाले किसी अन्य मामले को सुनिश्चित कर सकते हैं ।

6.4. तथापि यह निविदा दस्तावेज, बोलीदाताओं को रियायत क्षेत्र तक पहुचने का अथवा बोलीदाताओं को खनिजों की संभाव्यता का पता लगाने हेतु बिना किसी शर्त के अथवा गैर प्रतिबंधित अधिकार नहीं देता है । स्थल दौरा, रियायत क्षेत्र संबंधी सतही अधिकार धारक व्यक्ति (व्यक्तियों) के अधिकारों तथा लागू कानून की अनुपालना में होना चाहिए ।

[4]टिप्पणी: यदि, नीलामी नियम के नियम 6 के उप-नियम (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार कोई अतिरिक्त पात्रता शर्तों को निर्धारित नहीं करता है तो हटा दिया जाए ।

[5]टिप्पणी: नीलामी नियम के 6 के उप-नियम (3) के अनुसार राज्य सरकार, नीलामी नियम के अनुसूची 11 में यथानिर्धारित अंत्य उपयोग सहित निर्दिष्ट अंतिम उपयोक्ता को निर्धारित कर सकता है।

[6]टिप्पणी: यदि राज्य सरकार, नीलामी नियम के नियम 6 के उप-नियम (3) के संबंध में निर्दिष्ट अंत्य उपयोग के लिए रियायत क्षेत्र को आरक्षित नहीं करता है तो हटा दिया जाए ।

6.5. यदि कोई बोलीदाता स्थल दौरा करता है तो वह बोलीदाता, ऐसे बोलीदाता अथवा इसके कर्मचारियों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, एजेंटों, परामर्शदाताओं के किसी कृत्य अथवा भूल के कारण स्थल और/अथवा रियायत क्षेत्र संबंधी सतही अधिकार धारक व्यक्ति (व्यक्तियों) को हुई किसी हानि अथवा क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

6.6. रियायत क्षेत्र का स्थल दौरा राज्य सरकार को निम्नलिखित ई-मेल पता [उस ई-नीलामी के लिए राज्य सरकार का निर्धारित ई-मेल पता] के माध्यम से पूर्व सूचित करके आयोजित किया जाएगा ।

7. बोली पूर्व सम्मेलन

7.1 बोलीदाता, इस निविदा दस्तावेज से संबंधित स्पष्टीकरण मांग सकते हैं अथवा और जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं।

7.2 इस निविदा दस्तावेज से संबंधित अतिरिक्त जानकारी संबंधी कोई पूछताछ अथवा अनुरोध, ई-मेल के जरिए राज्य सरकार को (किसी ई-नीलामी के लिए राज्य सरकार की निर्धारित ई-मेल आईडी पर) अनुसूची-II में निर्धारित प्रपत्र में (निविदा दस्तावेज से संबंधित स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रारूप) भेजी जा सकती है।

7.3 ई-मेल में निम्नलिखित विषय शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए: "अतिरिक्त सूचना के लिए पूछताछ/अनुरोध: [रियायत क्षेत्र का नाम] के लिए निविदा दस्तावेज"।

7.4 प्रत्येक पूछताछ में पूछताछ के संगत तथ्यों, सूचना और लागू कानून का तथा पूछताछ करने वाले व्यक्ति का भी पूरा ब्यौरा होना चाहिए। राज्य सरकार अपूर्ण अथवा अज्ञात सहित किसी भी पूछताछ का उत्तर न देने का अधिकार रखती है।

7.5 सभी पूछताछ, पूछताछ प्राप्त करने के लिए खंड 12 में विनिर्दिष्ट तारीख को अथवा उससे पूर्व ई-मेल पर दी जानी चाहिए।

7.6 राज्य सरकार, खंड 12 मे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूछताछ का प्रत्युत्तर देने का प्रयास करेगी। तथापि, राज्य सरकार अपने पूर्ण विवेक के साथ किसी प्रश्न का प्रत्युत्तर न देने अथवा कोई स्पष्टीकरण न देने का अधिकार रखती है और इस निविदा दस्तावेज में कुछ भी बाध्यकारी नहीं है अथवा जिसके लिए राज्य सरकार को किसी प्रश्न का प्रत्युत्तर देने अथवा कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है।

7.7 राज्य सरकार, पूछताछ के स्रोत का पता लगाए बिना उन पूछताछ को प्रकाशित करेगी जिनके लिए वेबसाइट पर प्रत्युत्तर दिए गए हैं।

7.8 राज्य सरकार द्वारा, विनिर्दिष्ट स्थान पर और खंड 12 में यथा निर्धारित तारीख को बोलीदाताओं के बोली पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। केवल उन्ही लोगों को बोली-पूर्व सम्मेलनों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने निविदा दस्तावेज खरीदे हैं।

7.9. बोलीदाता द्वारा विधिवत जारी प्राधिकार पत्र और पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रत्येक बोलीदाता के अधिकतम तीन प्रतिनिधियों को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। बोली पूर्व सम्मेलन (सम्मेलनों की अवधि के दौरान बोलीदाता अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांग सकते है और राज्य सरकार के विचारार्थ सुझाव दे सकते हैं ।

7.10 राज्य सरकार अपने विवेक के अनुसार एक निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए उचित समझे जाने वाले स्पष्टीकरण और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देने का प्रयास करेगी।

7.11. राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे, अपनी ओर से सभी बोलीदाताओं को व्याख्या और स्पष्टीकरण भी दे सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी सभी स्पष्टीकरण और व्याख्या को निविदा दस्तावेज का भाग माना जाएगा। बशर्ते कि, तथापि राज्य सरकार, इसके कर्मचारियों अथवा प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी रूप में दिए गए अलिखित स्पष्टीकरणों और सूचना किसी भी रूप में राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।

8. निविदा प्रक्रिया

8.1 नीलामी नियम के नियम 9 के उप-नियम (4) के अनुसार ई-नीलामी बढ़ते क्रम में फॉरवर्ड ऑनलाइन इलैक्ट्रोनिक नीलामी होगी और इसमें निम्नलिखित दो चरण शामिल होंगे :

क. ई-नीलामी का प्रथम चरण

(क) पहले चरण में बोलीदाताओं को [नियत तारीख और समय] पर अथवा उससे पूर्व **("बोली की नियत तिथि")** बताना आवश्यक होगा:

(i) तकनीकी बोली; तथा

(ii) आरंभिक कीमत प्रस्ताव, जो प्रेषित खनिज की कीमत का प्रतिशत होगा और खंड 9 में विनिर्दिष्ट आरक्षित मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक अवश्य होगा।

तकनीकी बोली और आरंभिक कीमत प्रस्ताव अनुसूची-III (इलैक्ट्रॉनिक नीलामी संबंधी तकनीकी ब्यौरे) में उल्लिखित अनुसार इलैक्ट्रॉनिक रूप में अवश्य प्रस्तुत किया जाए।

(ख) बोलीदाता द्वारा इस निविदा दस्तावेज के अंतर्गत पात्रता शर्तों और आवश्यकताओं की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी बोली का मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी बोलियों की जांच के दौरान राज्य सरकार उसके द्वारा संगत समझे जाने वाले मानदंडों सहित यह ध्यान में रखेगी कि तकनीकी बोली :

(i) सभी अपेक्षित दस्तावेजों और सूचना सहित निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्राप्त हुई है ;

(ii) बोली की नियत तारीख सहित उसके किसी विस्तार तक प्राप्त हुई है;

(iii) अनुसूची-III (इलैक्ट्रॉनिक नीलामी संबंधी तकनीकी ब्यौरे) में उल्लिखित अनुसार इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की गई है;

(iv) इस निविदा दस्तावेज में अनुरोध किए गए अनुसार प्रस्तावित आरंभिक कीमत सहित सभी सूचना (सभी तरह से परिपूर्ण) शामिल है ;

(v) कोई शर्त अथवा योग्यता शामिल नहीं है ;

(vi) बोलीदाता द्वारा केवल एक तकनीकी बोली प्रस्तुत की गई है;

(vii) प्रस्तावित आरंभिक कीमत, आरक्षित मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक है; तथा

(viii) राज्य सरकार द्वारा संगत समझे जाने वाले किसी अन्य मानदंडों के शर्तों के अनुपालन में है।

(ग) केवल उन्हीं बोलीदाताओं को "**तकनीकी रूप से पात्र बोलीदाता**" घोषित किया जाएगा जो निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार योग्य होंगे और जिनकी आरंभिक कीमत प्रस्ताव आरक्षित मूल्य के बराबर अथवा उसके अधिक होगी तथा जिनकी बोलियां इस निविदा दस्तावेज की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

(घ) तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं के बीच उच्चतम आरंभिक कीमत प्रस्ताव ऑन लाइन इलैक्ट्रॉनिक नीलामी के दूसरे चरण के लिए न्यूनतम कीमत होगी **("न्यूनतम कीमत")**।

(ड.) तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत आरंभिक कीमत प्रस्ताव के अवरोही क्रम में स्थान दिया जाएगा। उस रैंकिंग के आधार पर तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता, जिनके पास श्रेणियों के प्रथम पचास प्रतिशत होंगे (उच्चतर इंटीजर तक किसी अंश को पूर्णांकित करने के साथ) अथवा शीर्ष पांच तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बोलीदाता, जो भी अधिक हो, ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक नीलामी के दूसरे चरण में भाग लेने हेतु पात्र होंगे **("पात्र बोलीदाता")**। केवल पात्र बोलीदाताओं को सूचना दी जाएगी।

बशर्ते कि तकनीकी रूप से पात्र बोलीदाताओं की कुल संख्या तीन से कम होने की स्थिति में, किसी भी तकनीकी रूप से पात्र बोलीदाता को पात्र बोलीदाता नहीं माना जाएगा और उस स्थिति में नीलामी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी।

बशर्ते कि इसके अतिरिक्त राज्य सरकार, अपने विवेकाधिकार से ई-नीलामी प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय न करता हो यदि तीसरे अथवा उत्तरवर्ती प्रयास के बावजूद तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की कुल संख्या लगातार तीन से कम हो तथा ऐसे मामलों में राज्य सरकार तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को योग्य बोलीदाताओं के रूप में ले सकता है जिससे कि बोली प्रक्रिया जारी रहे।

बशर्ते कि तकनीकी रूप से पात्र बोलीदाताओं के तीन और पांच के बीच होने की स्थिति में सभी तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को योग्य बोलीदाता माना जाएगा।

बशर्ते कि दो या दो से अधिक तकनीकी रूप से पात्र बोलीदाताओं द्वारा किए गए एक समान आरंभिक कीमत प्रस्तावों के मामले में ऐसे सभी तकनीकी रूप से पात्र बोलीकर्ताओं को पात्र बोलीकर्ताओं के निर्धारण के उद्देश्यार्थ समान रेंक प्रदान की जाएगी और ऐसे मामलों में उपर्युक्त उल्लिखित प्रतिशत को बढ़ाकर पचास प्रतिशत में उन तकनीकी रूप से पात्र बोलीकर्ताओं की संख्या, जिनके एक समान आरंभिक मूल्य प्रस्ताव है, को जोडकर उसमें से ऐसे एक समान आरंभिक कीमत प्रस्तावों की संख्या को घटा दिया जाएगा।

व्याख्या :

(i) ऐसी स्थिति में जहां कुल तकनीकी रूप से पात्र बोलीदाता 10 हैं, और प्रत्येक तकनीकी रूप से पात्र बोलीदाता अलग-अलग आरंभिक कीमत प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तब प्रथम पचास प्रतिशत रेंक वाले तकनीकी रूप से पात्र बोलीकर्ताओं को ही पात्र बोलीदाता माना जाएगा।

(ii) इसके अतिरिक्त उपर्युक्त वर्णित मामले में यदि ऐसे 3 तकनीकी रूप से पात्र बोलीदाता एक समान आरंभिक कीमत प्रस्ताव प्रस्तुत करते है और रेंक की कुल संख्या के प्रथम पचास प्रतिशत में स्थान रखते है तब सभी ऐसे तीनो तकनीकी रूप से पात्र बोलीकर्ताओं को पात्र बोलीदाता माना जाएगा और पात्र बोलीकर्ताओं की कुल संख्या में 2 की वृद्धि हो जाएगी।

(क) बोलीदाता जो तकनीकी योग्य बोलीदाता के रूप में सफल नहीं हो पाते है कि अयोग्यता पर स्पष्टीकरण अथवा सफाई देने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है।

(ख) तकनीकी बोली को प्रस्तुत करने के तुरंत बाद ही से विचारधीन समझा जाएगा तथा उस समय तक राज्य सरकार बोलीदाताओं को अनुमति/रद्द होने की आधिकारिक सूचना दे सकती हैं । निविदा प्रक्रिया के दौरान बोलीदाताओं और/अथवा उनके प्रतिनिधि अथवा अन्य इच्छुक पार्टियों को विचाराधीन बोलियों से संबंधित मामलों पर किसी भी तरह से राज्य सरकार और/अथवा उनके कर्मचारी/प्रतिनिधियों से निविदा दस्तावेज के तहत यथा अपेक्षित/अनुमति को छोड़कर, संपर्क न करने की सलाह दी जाती है।

(ग) इस निविदा दस्तावेज में यथा प्रावधान के सिवाय, राज्य सरकार किसी भी बोली अथवा निविदा प्रक्रिया की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में किसी भी बोलीदाता के साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

ख. ई-नीलामी का द्वितीय चरण

(क) दूसरे चरण में, पात्र बोलीदाता अपना अंतिम मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है जो प्रेषित खनिज के मूल्य का प्रतिशत **("अंतिम कीमत प्रस्ताव")** होगा और जो न्यूनतम कीमत से अधिक होगा। अंतिम कीमत प्रस्ताव को, नीलामी प्लेटफार्म

के तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार नीलामी के निष्कर्ष तक पहुचने तक संशोधित किया जा सकता है जैसा कि अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट है (इलेक्ट्रोनिक नीलामी के संबंध में तकनीकी ब्यौरे)।

(ख) यदि कोई भी सफल बोलीदाता ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक नीलामी प्लेटफार्म पर अंतिम कीमत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करते हैं तो ई-नीलामी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। यदि इलेक्ट्रोनिक नीलामी प्लेटफार्म पर कम से कम एक भी अंतिम कीमत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होने के कारण ई-नीलामी प्रक्रिया को रद्द किया जाता है तो सफल बोलीदाता (ओं) जिसने अधिकतम प्रारंभिक कीमत प्रस्ताव अर्थात ई-नीलामी के दूसरे दौर के लिए प्रयोज्य फ्लोर कीमत को प्रस्तुत किया है की बोली प्रतिभूति को खंड 15.6 के अनुसार ज़ब्त किया जाएगा।

(ग) पात्र बोलीदाता जो सबसे अधिक अंतिम कीमत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा उसे ही नीलामी के निष्कर्ष के समय तत्काल **"अधिमानी बोलीकर्ता"** के रूप में घोषित किया जाएगा।

8.2 खनन पट्टा, ई-नीलामी से पहले किए गए गवेषण के अनुसार क्षेत्र में पाए गए खनिजों के लिए होगा :

बशर्ते कि, वहां ई-नीलामी के बाद यदि कोई नया खनिज प्राप्त होता है तो खनन पट्टाधारी को खनन पट्टा संविदा में ऐसे नए खनिज को शामिल करने के लिए खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

जहां, ई-नीलामी से पहले अथवा ई-नीलामी के बाद, गौण खनिजों की मौजूदगी प्रमाणित अथवा पाई जाती है, वैसे गौण खनिजों का निपटान अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

8.3 [सूचना ज्ञापन में यथाउल्लिखित, रियायत क्षेत्र में निम्नलिखित गौण खनिज भी शामिल है : गौण खनिजों का विवरण][7]

8.4 राज्य सरकार को उस पद्धति का निर्धारण करना होगा जिसके तहत गौण खनिज का अधिनियम की धारा 15 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप निष्कर्षण तथा वहां उससे संबंधित भुगतान किया जाएगा।

9. रिजर्व कीमत

9.1 रिज़र्व कीमत [राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत] भेजे गए खनिज की कीमत का प्रतिशत है। **"प्रेषित खनिज की कीमत"** निम्न उत्पाद के बराबर राशि का होगा –

(i) महीने में भेजे गए खनिज; और

(ii) भेजे गए माह के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथाप्रकाशित खनिज का विक्रय मूल्य (ग्रेड-वार तथा राज्य-वार)।

10. सफल बोलीदाता की घोषणा तथा खनन पट्टा प्रदान करना[8]

नीलामी नियम के नियम 10 के अनुसार निम्नलिखित तरीके से सफल बोलीदाता को खनन पट्टा दिया जाएगा :

10.1 आशय पत्र जारी करना :

राज्य सरकार, अग्रिम भुगतान की पहली किस्त जो भारतीय रूपए में (राशि आंकडों में) (रूपए [राशि शब्दों में]) होगा का अग्रिम भुगतान करने पर अधिमानित बोलीदाता को आश्य पत्र जारी करेगी।

10.2 सफल बोलीदाता की घोषणा :

अधिमानी बोलीदाता निम्नानुसार **"सफल बोलीकर्ता"** माना जायेगा ,-

(क) सभी पात्रता शर्तों के अनुपालन में बना रहे;

टिप्पिणियां 7 : यदि रियायत क्षेत्र में गौण खनिज नहीं है तो हटा दिया जाए।

टिप्पिणियां 8 : यदि खनन पट्टा के लिए ई-नीलामी की जाती है तो इसे रहने दिया जाए। संयुक्त लाइसेंस के लिए यदि ई-नीलामी की जाती है तो हटा दिया जाए।

(ख) अग्रिम भुगतान की दस प्रतिशत राशि की दूसरी किश्त का भुगतान कर दिया हो जो आईएनआर (राशि आंकड़ो में) [(रूपए राशि शब्दो में)] : है;

(ग) एमडीपीए में निर्धारित अवधि के लिए नीलामी नियम के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति मुहैया करना जो आईएनआर (राशि, आंकड़ों में) रूपए [(राशि शब्दों में)] के समकक्ष होगा । नीलामी नियम के नियम 12 के उप-नियम (1) के अनुसार प्रत्येक पांच वर्षों में निष्पादन प्रतिभूति को समायोजित किया जाएगा जिससे कि यह निरंतर नीलामी नियम के अनुसार निर्धारित, अनुमानित संसाधनों के पुनर्मूल्यांकन कीमत के 0.50 प्रतिशत के अनुरूप हो । ऐसे मामले में बैंक गारंटी जिसमें निष्पादन प्रतिभूति शामिल है को खंड 10.2 के अनुसार जारी समान मूल्य की अन्य बैंक गारंटी के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो संशोधित राशि के लिए है अथवा यदि निष्पादन प्रतिभूति, प्रतिभूति जमा के द्वारा प्रदान की जाती है तो प्रतिभूति जमा के लिए अतिरिक्त राशि दी जाएगी;

(घ) खनन योजना के संबंध में अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना; और

(ड.) (केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना) [9]।

10.3 खान विकास और उत्पादन करार का निष्पादन :

सफल बोलीदाता द्वारा सभी अनुमतियां, अनुमोदन, परमिट, अनापत्ति तथा खनन कार्य को शुरू करने के लिए लागू कानूनों के तहत यथावश्यक इसी प्रकार की स्वीकृति को प्राप्त कर लेने पर राज्य सरकार और सफल बोलीदाता खान विकास और उत्पादन करार (एनडीपीए) निष्पादित करेंगे ।

10.4 खनन पट्टा प्रदान करना

खान विकास और उत्पादन करार के निष्पादन के पश्चात सफल बोलीदाता अग्रिम भुगतान जो आईएनआर [(राशि अंकों में)] (रूपए [राशि आंकडों में]) है का तीसरी किस्त के रूप में भुगतान करेगा । इसके भुगतान होने पर राज्य सरकार सफल बोलीदाता को भुगतान की तारीख से 30 दिनों के भीतर खनन पट्टा प्रदान करेगी । खनन पट्टा की अवधि शुरू होने की तारीख वह होगी जब निष्पादित खनन पट्टे को विधिवत पंजीकृत किया गया हो ।

11. सफल बोलीदाता की घोषणा और संयुक्त लाइसेंस प्रदान करना[10]।

नीलामी नियम के नियम 18 के अनुसार सफल बोलीदाता को निम्नलिखित तरीके से संयुक्त लाइसेंस दी जाएगी ।

11.1 आशय पत्र जारी करना

नीलामी प्रक्रिया के समाप्त होने पर, पसंदीदा बोलीदाता नीलामी नियम के नियम 19 में निर्धारित अनुसार निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करेंगे । निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार अधिमानी बोलीदाता को आशय पत्र जारी करेंगे । अधिमानी बोलीदाता से आशय पत्र प्राप्त करने के बाद, उसे **"सफल बोलीदाता"** समझा जाएगा;

11.2 खनन पट्टा के बाद संयुक्त लाइसेंस प्रदान करना :

(क) "अधिमानी बोलीदाता" से आशय पत्र प्राप्त करने के बाद, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर उसे **"सफल बोलीदाता"** समझा जाएगा;

(i) सभी पात्रता शर्तों का अनुपालन करना;

टिप्पिणयां 9 : यदि राज्य सरकार, निविदा दस्तावेज जारी करने से पहले केंद्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लेते हैं तो प्रविष्ट की जाए ।

टिप्पिणयां 10 : यदि संयुक्त लाइसेंस के लिए ई-नीलामी की जाती है तो रखा दिया जाए । खनन पट्टा के लिए यदि ई-नीलामी की जाती है तो हटा दिया जाए ।

(ii) पूर्वेक्षण प्रचालन प्रारंभ करने के लिए लागू कानूनों के तहत अपेक्षित सभी सहमतियों, अनुमोदनों, परमिटों, अनापत्ति और ऐसा सदृश प्राप्त करना; और

(iii) पूर्वेक्षण योजना को प्रस्तुत करना।

(ख) राज्य सरकार खंड (क) में सूचीबद्ध शर्तों के पूरा होने पर सफल बोली लगाने वालों को मिश्रित अनुज्ञप्ति प्रदान करेगी।

(ग) संयुक्त लाइसेंस धारी, अधिनियम के प्रावधानों तथा नीलामी नियमों के अनुसार खनन पट्टा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

12. समय तालिका

निम्नवत समय तालिका निविदा प्रक्रिया पर लागू होगी। समय तालिका को निविदा दस्तावेजों के परिशिष्ट के प्रकाशन के जरिए राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

क्रं.सं.	विषय विवरण	अनुमानित समय (दिन)	
चरण-I अधिमानी बोलीदाता के चयन के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया			
1.	निविदा आमंत्रण नोटिस का प्रकाशन कम से कम एक अंग्रेजी समाचार पत्र में और एक स्थानीय भाषा समाचार पत्र और राज्य सरकार की वेबसाइट पर	T_0 (एम एल के लिए)	T_0 (संयुक्त लाइसेंस के लिए)
2.	निविदा दस्तावेजो की बिक्री का प्रारंभ	T_0	T_0
3.	निविदा दस्तावेजो की बिक्री की अंतिम तारीख	T_0+15	T_0+15
4.	बोलीदाता द्वारा पूछताछ करने की अंतिम तारीख	T_0+25	T_0+25
5.	बोली-पूर्व सम्मेलन	T_0+30	T_0+30
6.	राज्य सरकार के प्रश्नों का उत्तर देने की अंतिम तारीख	T_0+40	T_0+40
7.	बोली की नियत तारीख (तकनीकी+आरंभिक कीमत प्रस्ताव) (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निश्चित समय)	T_0+45	T_0+45
8.	तकनीकी बोलीयो का खुलना	T_0+46	T_0+46
9.	तकनीकी बोलियों के परीक्षण की आरंभिक तारीख	T_0+46	T_0+46
10.	तकनीकी रूप से सफल बोलीदाता की घोषणा	T_0+60	T_0+60
11.	ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रदाता द्वारा ई-नीलामी प्लेट फार्म पर सभी तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के लिए प्रशिक्षण और मॉक नीलामी	T_0+62	T_0+62
12.	तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की आरंभिक कीमत प्रस्ताव को खोलना और सफल बोलीदाता को संबंधित खनिज ब्लॉक की ई-नीलामी कार्यक्रम की अनुबंधित तारीख से दो दिन पूर्व सूचना देना	T_0+65	T_0+65
13	अग्रसारित आरोही इलैक्ट्रोनिक नीलामी का संचालन करना और इलैक्ट्रोनिक नीलामी प्लेट फार्म पर अंतिम कीमत प्रस्ताव को जमा करना।	T_0+67	T_0+67
14.	अधिमानित बोलीदाता की घोषणा	T_0+67	T_0+67
15.	खनन पट्टे के लिए अधिमानी बोलीदाता द्वारा अग्रिम भुगतान की प्रथम	T_0+97	T_0+97

	किस्त (10%) का भुगतान या संयुक्त लाइसेंस के मामले में निष्पादन प्रतिभूति का भुगतान		
16.	राज्य सरकार द्वारा आश्य पत्र जारी करना	T_0+105	T_0+105
चरण-II अधिमानी बोलीदाता द्वारा विभिन्न सरकारी एजेंसियों/विभागों से सभी आवश्यक निकासी/अनुमोदन प्राप्त करने के बाद			
1.	केवल खनन पट्टे के लिए प्रयोज्य- अग्रिम भुगतान की द्वितीय किस्त (10%) के साथ निष्पादन प्रतिभूति और खनन योजना को अधिमानित बोलीदाता द्वारा सफल बोलीदाता बनने के लिए जमा करना। [संयुक्त पट्टे के लिए प्रयोज्य- निष्पादित प्रतिभूति और पूर्वेक्षण योजना को जमा करना]	T_1	T_1
2.	राज्य सरकार द्वारा सफल बोलीदाता को मानते हुए आदेश को जारी करना।	T_1+10	T_1+10
3.	केवल खनन पट्टे के लिए प्रयोज्य- अग्रिम भुगतान के तृतीय किस्त (80%) के भुगतान के बाद राज्य सरकार एवं सफल बोलीदाता के बीच खान विकास उत्पादन अनुबंध (एमडीपीए) को निष्पादित किया जाएगा; खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा निष्पादित होगा। सफल बोलीदाता ही खनन पट्टा धारक होगा। [संयुक्त लाइसेंस के लिए प्रयोज्य- संयुक्त लाइसेंस संविदा पर हस्ताक्षर करना]	T_1+20	T_1+10

13. सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान [11]

13.1 अग्रिम भुगतान

खनिज(जो) के उत्पादन की शुरूआत के प्रथम 5 वर्षों के अंदर अंतिम मूल्य प्रस्ताव के तौर पर उद्धृत प्रेषित खनिज के मूल्य की प्रतिशत के अनुसार भुगतान की जाने वाली राशि के विरूद्ध सफल बोलीदाता द्वारा चुकाए गए अग्रिम भुगतान को पूरी तरह समायोजित किया जाएगा।

13.2 आवधिक भुगतान

खनन पट्टे का धारक ऐसे भुगतान कर सकता है जैसे कि नीलामी नियमों के नियम 13 में विनिर्दिष्ट किया गया हो। यह सुस्पष्ट किया जाता है कि, खनन पट्टे का धारक एमडीपीए में विनिर्दिष्ट न्यूनतम उत्पादन आवश्यकता अथवा प्रेषित खनिज के मूल्य, जो भी अधिक हो, के संबंध में मासिक भुगतान करेगा।

14. निविदा प्रक्रिया से संबंधित सामान्य शर्तें

14.1 तकनीकी बोली की प्रस्तुति

14.1.1 तकनीकी बोली में निम्नलिखित शामिल होगा:

(क) अनुसूची I के भाग ख में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में बोली पत्र (बोली पत्र का फॉर्मेट)

टिप्पणियां 11 : खनन लाइसेंस के मामले में प्रायोजित

(ख) अनुसूची-I के भाग ग ('बोली प्रतिभूति' का फॉर्मेट) में आईएनआर [आंकड़ों में राशि] [रूपए (शब्दों में राशि)] के समान राशि के लिए बैंक गारंटी के रूप में बोली प्रतिभूति, जो उपधारा 15 के अधीन होगी;

(ग) बोलीदाता के कंपनी होने के मामले में, अनुसूची-I के भाग ड़ (मुख्तारनामा का फार्मेट) में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में बोलीदाता की ओर से डिजीटल सिग्नेचर के प्रयोग सहित, बोलीदाता की ओर से इसके अनुसार सभी कार्य करते हुए और निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु बोली के हस्ताक्षरी को प्राधिकृत करते हुए मुख्तारनामा। बोलीदाता के व्यक्ति होने की स्थिति में, मुख्तारनामा की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु ऐसे व्यक्ति निजी तौर पर हस्ताक्षर करें ;

(घ) अनुसूची-I के भाग-ड़ में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में शपथ पत्र (शपथ पत्र का फॉमेंट); और

(ड़) बोलीदाता के कंपनी होने के मामले में, कॉरपोरेट प्राधिकरण की विधिवत प्रमाणित प्रति, जैसे कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु बोर्ड संकल्प और बोली को प्रस्तुत करना।

14.1.2 तकनीकी बोली को इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर प्रस्तुत किया जाएगा और विधिवित निष्पादित मूल वास्तविक प्रतियों को निम्नलिखित पते पर भेजा जाए ताकि वह बोली नियत तिथि पर या उससे पूर्व प्राप्त की जा सके, जिसके न होने पर तकनीकी बोली को प्राप्त नहीं किया गया माना जाएगा।

[विशेष ई-नीलामी के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार को नामित पता]

14.2 भाषा

निविदा दस्तावेज और बोली के संबंध में या उससे संबंधित सभी पत्र व्यवहार और बोली अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए।

14.3 दस्तावेज और सूचना

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए निविदा दस्तावेज और सभी संबंधित दस्तावेज सहित दस्तावेज राज्य सरकार की सम्पत्ति है और रहेंगी अथवा बन जाएंगी और बोलीदाताओं को केवल बोली के निर्माण और प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ही इसके साथ इसके अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा। बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि ऐसी सभी सूचना को पूरी तरह गोपनीय रखा जाए और उनकी बोली के निर्माण और प्रस्तुति के अलावा किसी और उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं किया जाए। इस उपधारा के प्रावधान बोली के संबंध में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत सभी अन्य दस्तावेजों और बोलियों पर भी लागू होंगे, और राज्य सरकार बोलीदाताओं को कोई बोली, दस्तावेज अथवा उसके साथ दी गई कोई बोली, दस्तावेज अथवा उसके साथ दी गई अन्य सूचना वापस नहीं करेगी।

14.4 अधिभावी प्रभाव

यदि इस निविदा दस्तावेज और [खनन पट्टा जिसमें एमडीपीए/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टा शामिल होगा] के बीच विरोध हो, तो [खनन पट्टा जिसमें एमडीपी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टा शामिल होगा] का अधिभावी प्रभाव होगा।

14.5 बोली की लागत

बोलीदाता निविदा प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और बोलियों के निर्धारण से जुड़ी सभी लागतों के लिए जिम्मेदार होगा। राज्य सरकार निविदा प्रक्रिया के संचालन अथवा परिणाम के बावजूद ऐसी किसी लागत के लिए किसी रूप में जिम्मेदार नहीं होगी।

14.6 बोलीदाताओं द्वारा सूचना की जांच

14.6.1 यह माना जाता है कि बोली प्रस्तुत करने के द्वारा बोलीदाता ने:

(क) निविदा दस्तावेज की सम्पूर्ण और ध्यानपूर्वक जांच की है और शर्तविहिन और सम्पूर्ण रूप से शर्त मानी है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सभी आवश्यक सूचना की समीक्षा की है, जैसा कि बोली के लिए आवश्यक हो;

(ग) ई-नीलामी प्रक्रिया से जुड़े किसी मामले के संबंध में राज्य सराकर की ओर से अथवा उसके द्वारा दी गई अथवा निविदा दस्तावेज में दी गई सूचना में अपर्याप्तता, चूक अथवा गलती के ज़ोखिम को स्वीकार किया है।

(घ) इस निविदा दस्तावेज और उसके सभी कर्तव्यों के निष्पादन के अनुसार, सूचित बोली प्रस्तुत करने हेतु ई-नीलामी प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों के बारे में खुद को संतुष्ट कर लिया है;

(ङ) यह स्वीकृति एवं सहमति दी कि निविदा दस्तावेज में दी गई सूचना की अपर्याप्तता, सम्पूर्णता का अभाव, अपर्याप्तता अथवा इसके साथ उपर्युक्त ई-नीलामी प्रक्रिया से संबंधित किसी मामले को अनदेखा करना, राज्य सरकार से क्षतिपूर्ति, नुकसान,अपने कर्तव्यों के निष्पादन हेतु समय के विस्तार, मुनाफे की हानि इत्यादि के बारे में किसी दावे का आधार अथवा सफल बोलीदाता द्वारा एमडीपीए की समाप्ति का आधार नहीं माना जाएगा; और

(च) इसके तहत और इस कारण दी गई शर्तों में दिए गए वचनों से बंधें रहने की सहमति दी है।

14.6.2 राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना अथवा डाटा अथवा उसमें किसी गलती या त्रुटि सहित, निविदा दस्तावेज या निविदा प्रक्रिया से जुड़े या संबंधित या उससे उत्पन्न किसी मामले के कारण से या दी गई किसी सूचना के संबंध में किसी त्रुटि, गलती या भूल के लिए राज्य सरकार ज़िम्मेदार नहीं होगी।

14.7 राज्य सरकार द्वारा जांच और अयोग्यता

14.7.1 राज्य सरकार के पास निविदा दस्तावेज के जवाब में बोलीदाता द्वार प्रस्तुत किए गए सभी विवरण, सूचना और दस्तावेजों की जांच का अधिकार आरक्षित है और बोलीदाता, राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पड़ने पर, ऐसी सभी सूचना, साक्ष्य और दस्तावेज उपलब्ध कराएगा जैसा कि इस जांच के लिए आवश्यक होगा। राज्य सरकार की और से ऐसी कोई जांच अथवा ऐसी जांच का अभाव इसके तहत बोलीदाता को उसके कर्तव्यों या ज़िम्मेदारियों से मुक्त नहीं करेगा और न ही इसके तहत, राज्य सरकार के किसी अधिकारों को प्रभावित करेगा।

14.7.2 राज्य सरकार के पास किसी बोली को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है, और साथ ही सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति को विनियोजित करने का भी यदि:

(क) यदि किसी समय, अन्यथा-प्रस्तुति दी जाए या सामने आए,

(ख) यदि बोलीदाता, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर, बोली के आंकलन हेतु राज्य सरकार द्वारा मांगी गई अनुपूरक सूचना प्रदान नहीं करता है, अथवा

(ग) यदि बोलीदाता के किसी कार्य अथवा गलती से अधिनियम, उसके तहत नियमों, इस निविदा दस्तावेज, अथवा यहां संदर्भित या इसके अनुपालन में जारी किसी अन्य दस्तावेज या निविदा प्रक्रिया के लिए आवश्यक कोई मान्य कानून का गैर अनुपालन या उल्लंघन होता है।

14.7.3 उपधारा 14.7.2 के तहत बोली के अस्वीकृत होने से बोली प्रतिभूति के विनियोजन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि हेतु या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य पूर्व तिथि के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई किसी ई-नीलामी या आबंटन के लिए बोली लगाने के लिए बोलीदाता अयोग्य हो जाएगा।

14.7.4 उपर्युक्त वर्णित कार्यक्रमों में, राज्य सरकार को निविदा दस्तावेज के तहत राज्य सरकार के पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना, अथवा अन्यथा, बिना किसी जवाबदेही के, बोली प्रतिभूति या निष्पादन प्रतिभूति को, जैसा भी मामला हो, जब्त और विनियोजित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

14.8 निविदा दस्तावेज में संशोधन

14.8.1 बोली नियत तिथि से पूर्व किसी भी समय, राज्य सरकार, किसी कारण के लिए, या तो अपनी पहल पर या बोलीदाता द्वारा अनुरोध किए गए स्पष्टीकरण के जवाब में, निविदा दस्तावेज को संशोधित करेगा।

14.8.2 इसके तहत जारी कोई भी संशोधन लिखित में होगा और बोलीदाता को उपलब्ध कराया जाएगा और निविदा दस्तावेज का हिस्सा माना जाएगा ।

14.8.3 बोलीदाताओं को किसी संशोधन को समझने के लिए उचित समय देने, या किसी अन्य कारण के लिए राज्य सरकार केवल अपने विवेक से उपधारा 14.9 के अनुसार बोली की नियत तिथि को बढ़ा सकती है ।

14.9 बोली नियत तिथि और विस्तार

14.9.1 तकनीकी बोलियों को अपलोड किया जाना चाहिए और धारा 14.1.2 के अनुसार में वास्तविक रूप से प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज बोली नियत तिथि से पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। बोली नियत तिथि पर विनिर्दिष्ट समय के पश्चात राज्य सरकार द्वारा प्राप्त तकनीकी बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

14.9.2 राज्य सरकार, अपने विवेक पर, संशोधन जारी करते हुए बोली नियत तिथि को बढ़ा सकती है जिसे बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ।

14.10. बोलियों का संशोधन/प्रतिस्थापन/वापसी

14.10.1. बोलीदाता बोली नियत तिथि से पूर्व, प्रस्तुति के पश्चात अपनी तकनीकी बोली संशोधित, प्रतिस्थापित या वापस ले सकता है । बोली नियत तिथि के दिन अथवा उसके पश्चात बोलीदाता द्वारा कोई तकनीकी बोली संशोधित, प्रतिस्थापित अथवा वापस नही ली जाएगी, जब तक कि यह राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से मांगी न जाए ।

14.11 बोलियों की अस्वीकृति

14.11.1. इस निविदा दस्तावेज में निहित किसी तथ्य के बावजूद, किसी बोली को खारिज करने का और/अथवा निविदा प्रक्रिया को खत्म करने का अधिकार ऐसी किसी स्वीकृति, अस्वीकृति या निरस्तता के लिए किसी जवाबदेही या किसी आभार के बिना, और उसके लिए कोई कारण बताए बिना किसी भी समय सभी बोलियों को अस्वीकृत करने का अधिकार राज्य सरकार के पास आरक्षित है।

14.11.2. यदि ऐसा निरस्तता बोली की प्रस्तुति बनाम संबंधित बोलीदाताओं द्वारा गैर अनुपालन के अनुपालन में हो तो राज्य सरकार अनुपालन न करने वाले बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई संबंधित बोली प्रतिभूति को विनियोजित करने का अधिकार रखती है ।

14.11.3. राज्य सरकार के पास किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को, बिना नोटिस या जवाबदेही के आगे न बढ़ाने का, और बिना कारण बताए किसी बोली को अस्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त है ।

14.11.4. पूर्ववर्ती की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार इस निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट किसी मापदंड पर किसी बोली को अस्वीकृत करने का अधिकार, निम्नलिखित को परिसीमित न करते हुए रखती है :

(क) बोलियों को इस निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध सभी सूचना और ब्यौरो सहित प्रस्तुत नहीं किया गया हो ।

(ख) बोली इस निविदा दस्तावेज के खंड 8.1 (क) (ख) की शर्तों के अनुरूप न हो।

(ग) बोलियों को बिना बोली प्रतिभूति अथवा वैधता की अवधि के बिना जमा किया गया हो ।

(घ) बोलियों को अन्यथा इस निविदा दस्तावेज के अनुसार जमा न किया गया हो।

14.12 बोलियों की वैधता

14.12.1. प्रस्तावित आरंभिक कीमत बोली की नियत तारीख से 180 दिन की अवधि के लिए वैध होगी । यदि बोली की नियत तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर नीलामी का दूसरा चरण आयोजित नहीं किया जाता है तो ई-नीलामी की प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी और राज्य सरकार बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज की कीमत वापस कर देगी ।

14.13. बोलीदाताओं को प्रभावित करने वाले परिवर्तन

तकनीकी बोली प्रस्तुत करने के बाद बोलीदाताओं को प्रभावित करने वाले पात्रता शर्तों की अनुपालना संबंधी किसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप बोलीदाता अयोग्य हो जाएगा । बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई किसी सूचना में किसी परिर्वतन के बारे में राज्य सरकार को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

14.14. गौण विपथन

राज्य सरकार इस निविदा दस्तावेज की आवश्यकताओं से गौण विचलन की अनुमति दे सकती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे गौण विपथन पात्रता संबंधी मामलों में अनुमत्य नहीं होंगे और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए मात्र अनुमत्य होंगे। गौण विपथन संबंधी राज्य सरकार के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

15. बोली प्रतिभूति

15.1 बालीदाता अपनी तकनीकी बोली के भाग के रूप में अनुसूची-I के भाग-ग (बोली प्रतिभूति का प्रारूप) में यथानिर्धारित प्रारूप में राज्य सरकार के पक्ष में ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के शीर्षकों के अंतर्गत सूचीबद्ध को छोडकर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध अनुसूचित बैंक द्वारा (राज्य की राजधानी में) देय बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा जिसकी वैधता अवधि बोली की नियत तारीख से 240 दिन से कम नहीं होगी और जिसमें 60 दिनों की दावा अवधि शामिल होगी तथा जिसे इस खंड की अनुपालना में जारी उसी मूल्य की अन्य बैंक गारंटी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है और जो समय-समय पर राज्य सरकार और बोलीदाता के बीच आपसी सहमति से विस्तारित अवधि के लिए वैध होती है।

15.2 बोली प्रतिभूति आईएनआर [राशि अंको में] [रुपए (राशि शब्दो में)] में होगी।

15.3 राज्य सरकार द्वारा इस निविदा दस्तावेज में दिए गए के अलावा असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति बिना किसी ब्याज के पूर्ण तत्परता से वापस कर दी जाएगी।

15.4 निष्पादन प्रतिभूति के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के बाद सफल बोलीदाताओं को बिना किसी ब्याज के बोली प्रतिभूति वापस कर दी जाएगी।

15.5 राज्य सरकार इस निविदा दस्तावेज में विर्निदिष्ट किसी भी घटना में अन्य के बीच जब्ती और क्षति के रूप में बोली प्रतिभूति के समायोजन के लिए पात्र होगी। इस निविदा दस्तावेज के अनुसार अपनी बोली प्रस्तुत करने के बाद बोलीदाता इस बात के प्रति संज्ञान रखने और पुष्टि करने वाला माना जाएगा कि राज्य सरकार इस निविदा दस्तावेज में विर्निदिष्ट अनुसार बोली वैधता की अवधि के दौरान बोलीदाता द्वारा अपनी बोली वापस लेने अथवा किसी अन्य भूल के कारण हुई हानि और क्षति का वहन करेगी। किसी बोलीदाता को बोली प्रतिभूति से संबंधित किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

15.6 अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निविदा दस्तावेज और/अथवा किसी अन्य के अंतर्गत राज्य सरकार के पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार अथवा उपचार के प्रति पक्षपात के बिना बोली प्रतिभूति को क्षति के रूप में जब्त कर लिया जाएगा :

(क) यदि कोई बोलीदाता कोई ऐसी तकनीकी बोली प्रस्तुत करता है जो इस निविदा दस्तावेज, अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप नहीं है अथवा एक प्रस्तावित आरंभिक मूल्य प्रस्तुत करता है जो आरक्षित मूल्य से कम है ;

(ख) यदि कोई बोलीदाता इस निविदा दस्तावेज के खंड 16 में विर्निदिष्ट अनुसार भ्रष्ट कार्य, छलपूर्ण कार्य, बलपूर्वक कार्य, अवांछित कार्य अथवा प्रतिबंधित कार्य करता है;

(ग) यदि कोई बोलीदाता इस निविदा दस्तावेज में विर्निदिष्ट अथवा राज्य सरकार और संबंधित बोलीदाता (बोलीदाताओं) की आपसी सहमति से विस्तारित बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है ;

(घ) सफल बोलीदाता के मामले में यदि वह विर्निदिष्ट समय सीमा के भीतर निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में असफल रहता है और इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित अवधि के भीतर अग्रिम भुगतान कर देता है ; अथवा

(ङ) यदि सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं), जिन्होंने प्रस्तावित सर्वोच्च आरंभिक कीमत प्रस्तुत किया है अर्थात ई-नीलामी के दूसरे चरण के लिए लागू आधार कीमत, द्वारा इलैक्ट्रोनिक ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर कम से कम एक प्रस्तावित अंतिम कीमत प्रस्तुत न करने के कारण ई-नीलामी प्रक्रिया रद्द होती है।

16. छलपूर्ण और भ्रष्ट कार्य

16.1 बोलीदाता और उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट और परामर्शदाता खनन पट्टा प्रदान होने के बाद निविदा प्रक्रिया के दौरान नीतिगत बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। इसमें शामिल अन्य किसी बात के बावजूद राज्य सरकार बोलीदाता, तकनीकी रूप से सुयोग्य बोलीदाता, प्राथमिकता प्राप्त बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता, जो भी मामला हो, के प्रति किसी भी रूप में जिम्मेदार हुए बिना किसी बोली को अस्वीकार, खनन पट्टे को वापस अथवा एमडीपीए को समाप्त कर सकती है, जो भी मामला हो, यदि राज्य सरकार को यह पता लगता है कि बोलीदाता, तकनीकी रूप से सुयोग्य बोलीदाता, प्राथमिकता प्राप्त बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता, जो भी मामला हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में भ्रष्ट कार्य, छलपूर्ण कार्य, बलपूर्वक कार्य, अवांछित कार्य अथवा प्रतिबंधित कार्य में शामिल है । ऐसी स्थिति में राज्य सरकार इस निविदा दस्तावेज और/अथवा अन्य के अंतर्गत राज्य सरकार के पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार अथवा उपचार के प्रति पक्षपात के बिना क्षति के रूप में बोली प्रतिभूति अथवा निष्पादन प्रतिभूति, जो भी मामला हो, की जब्ती और समायोजन के लिए पात्र होगी ।

16.2. ऊपर वर्णित खंड 16.1 के अंतर्गत राज्य सरकार के अधिकारों और अधिकार एवं उपचार, जो राज्य सरकार को खनन पट्टा अथवा एमडीपीए या अन्यथा के अंतर्गत प्राप्त हो सकते हैं , के प्रति पक्षपात के बिना यदि कोई बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता, जो भी मामला हो, राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से निविदा प्रक्रिया के दौरान भ्रष्ट कार्य, छलपूर्ण कार्य, बलपूर्वक कार्य, अवांछित कार्य अथवा प्रतिबंधित कार्य में लगा हुआ पाया जाता है, अथवा खनन पट्टा प्रदान होने या एमडीपीए के निष्पादन के बाद ऐसा बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से किसी भ्रष्ट कार्य, छलपूर्ण कार्य, बलपूर्वक कार्य, अवांछित कार्य अथवा प्रतिबंधित कार्य, जो भी मामला हो, में ऐसे बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता, जो भी मामला हो, में लगा हुआ पाए जाने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किसी निविदा अथवा निविदा दस्तावेज में शामिल होने का पात्र नहीं होगा ।

16.3 इस निविदा दस्तावेज के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शब्दों का अब से उनके लिए निर्धारित अर्थ होगा :

(क) **"भ्रष्ट कार्य"** से तात्पर्य है (i) निविदा प्रक्रिया से संबंधित किसी व्यक्ति के कार्य को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई मूल्यवान चीज प्रदान करना, देना, प्राप्त करना अथवा मांगना (राज्य सरकार का कोई अधिकारी, जो उस अधिकारी के राज्य सरकार की सेवा से त्याग पत्र देने अथवा सेवानिवृत होने अथवा उसमें होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय निविदा प्रक्रिया अथवा उससे उत्पन्न किसी प्रक्रिया के निष्पादन से पूर्व अथवा पश्चात किसी भी रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहा हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संदेह की नजरअंदाजी, किसी भी रूप में रोजगार का प्रस्ताव रखने, रोजगार देने अथवा उसमें शामिल करने के लिए निविदा प्रक्रिया से संबंधित व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करने वाला माना जाएगा; अथवा (ii) इस निविदा दस्तावेज के अंतर्गत अनुमत्य को छोडकर किसी भी रूप में, चाहे निविदा प्रक्रिया के दौरान अथवा खनन पट्टा प्रदान करने के बाद या एमडीपीए के निष्पादन के पश्चात, जो भी मामला हो, शामिल होना ;

(ख) **"छलपूर्ण कार्य"** से तात्पर्य है निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना अथवा भूल करना या तथ्यों को छिपाना या अधूरे तथ्य बताना ;

(ग) **"बलपूर्वक कार्य"** से तात्पर्य है निविदा प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की भागीदारी अथवा कार्य को प्रभवित करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा प्रोपर्टी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हानि या क्षति पहुचाना अथवा हानि या क्षति पहुंचाने की धमकी देना;

(घ) **"अवांछित कार्य"** से तात्पर्य है (i) केनवासिंग, लॉबिइंग अथवा किसी भी रूप में निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने अथवा प्रभावित करने का प्रयास करने के प्रयोजन से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अथवा संलग्न किसी व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करना ; (ii) हितों में विरोध होना ; या (iii) किसी अनुप्रयोग्य कानून का उल्लंघन करना तथा

(ड) **"प्रतिबंधित कार्य"** से तात्पर्य है निविदा प्रक्रिया में पूर्ण और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित अथवा संचालित करने के प्रयोजन से बोलीदाताओं के बीच कार्टल तैयार करना अथवा कोई समझौता या व्यवस्था करना।

17. अन्य प्रावधान

17.1 शासकीय कानून

निविदा प्रक्रिया भारत के कानून के अनुसार शासित और सार्थक होगी।

17.2 राज्य सरकार के अधिकार

17.2.1 राज्य सरकार अपने पूर्ण विवेक के साथ और बिना किसी उपकार अथवा जिम्मेदारी के बिना किसी भी समय निम्नलिखित करने का अधिकार रखती है ;

(क) निविदा प्रक्रिया को स्थगित और/अथवा रद्द करने और/अथवा निविदा प्रक्रिया को संशोधित और/अथवा अनुपूरित करने अथवा उससे संबंधित तारीखों या अन्य निबंधन और शर्तों को संशोधित करना ;

(ख) स्पष्टीकरण अथवा और जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी बोलीदाता से परामर्श करना ;

(ग) राज्य सरकार को किसी बोलीदाता की ओर से और/ अथवा उससे संबंधित की ओर से राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई कोई सूचना और/अथवा साक्ष्य रखना ;

(घ) किसी बोलीदाता द्वारा अथवा उसकी ओर से कोई अथवा सभी प्रस्तुतियों या अन्य सूचना और/अथवा साक्ष्य का स्वतंत्र रूप से सत्यापन, अयोग्य सिद्ध करना, अस्वीकार करना और/अथवा स्वीकार करना।

17.2.2.यह माना जाएगा कि बोली प्रस्तुत करके बोलीदाता सहमत है और राज्य सरकार, उसके कर्मचारियों, एजेंटों और परामर्शदाताओं को पूरी तरह बिना किसी शर्त के पूर्ण और अंतिम रूप से निविदा प्रक्रिया से किसी भी रूप में संबंधित अथवा किसी अधिकार के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले और/अथवा किसी उपकार से होने वाले दावों, हानियों, क्षतियों, लागतों, व्ययों अथवा जिम्मेदारियों से संबंधित किसी और सभी दायित्वों से मुक्त करती है और अनुप्रयोग्य कानून द्वारा स्वीकृत पूर्ण विस्तार तक, इस संबंध में किसी और सभी अधिकारों और/अथवा दावों चाहे वास्तविक अथवा प्रासंगिक हो,चाहे वर्तमान अथवा भविष्य में हो, हटाती है।

अनुसूची-I तकनीकी बोली का प्रारूप

क. सामान्य निर्देश :

तकनीकी बोली में निम्न दस्तावेज शामिल हैं :

(क) भाग-ख में विनिर्दिष्ट प्रारूप में बोली पत्र (बोली पत्र का प्रारूप ;)

(ख) भाग ग में विनिर्दिष्ट प्रारूप आईएनआर [आंकड़ों में राशि](रुपए [राशि शब्दों में]) के बराबर राशि के लिए बैंक गारंटी के रूप में बोली प्रतिभूति (बोली प्रतिभूति का प्रारूप);

(ग) यदि बोलीदाता कोई कंपनी है तो भाग-घ में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मुख्तारनामा (मुख्तारनामा का प्रारूप) जिसमें, बोली पर हस्ताक्षर करने वाले को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने और बोलीदाता की ओर से इसके अतिरिक्त सभी कार्य को करने तथा बोलीदाता की ओर से डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है । यदि बोलीदाता कोई व्यक्ति है तो मुख्तारनामे की कोई आवश्यकता नही होगी किंतु उस व्यक्ति के व्यक्तिगत हस्ताक्षर आवश्यक होंगे ; और

(घ) भाग-ङ में विनिर्दिष्ट प्रारूप में शपथ पत्र (शपथ पत्र का प्रारूप)।

उल्लिखित सभी दस्तावेजों को इलैक्ट्रानिक ई-नीलामी प्लेटफार्म पर अपलोड करने की आवश्यकता है और मूल वास्तविक प्रति को खंड 14.1.2 के अनुसार प्रेषित करना होगा जिससे कि बोली नियत तारीख को अथवा उससे पूर्व प्राप्त हो जाएगी । ऐसा ना कर पाने पर तकनीकी बोली को प्राप्त नहीं माना जाएगा ।

उपर्युक्त प्रत्येक दस्तावेजों को जमा करने के लिए विनिर्दिष्ट निर्देश प्रत्येक भाग में नीचे दिए गए है:

ख. बोली पत्र

(1) बोली पत्र जमा करने संबंधी निर्देश

(क) यदि बोलीदाता कोई कंपनी, फर्म या अन्य व्यक्तिगत संघ है तो, बोली पत्र, बोली दाता के लेटरहेड पर मुद्रित होना चाहिए । यदि बोलीदाता कोई व्यक्ति है तो यह एक साफ कागज पर मुद्रित हो सकता है।

(ख) यदि बोलीदाता कोई कंपनी है तो बोली पत्र, बोलीदाता के प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि बोलीदाता एक व्यक्ति है तो बोली पत्र पर बोलीदाता का व्यक्तिगत हस्ताक्षर होगा।

(ग) बोली पत्र के साथ बोलीदाता (यदि कंपनी है) के प्राधिकृत हस्ताक्षरी का निगमित प्राधिकृति संलग्न किया जाना चाहिए । यह सिफारिश की गई है कि बोलीदाता एक व्यक्ति को बोली से संबंधित सभी मामलो में लेन देन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। यद्यपि, बोलीदाता एक व्यक्ति से अधिक को प्राधिकृत करता है तो सभी व्यक्तियों का निगमित प्राधिकृति संलग्न करना चाहिए । किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए निगमित प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को तुरन्त सूचना देना आवश्यक होगा ।

(घ) योग्यता शर्तों के साथ अनुपालन दस्तावेजो के साक्ष्यों को बोलीपत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, यदि बोलीदाता कोई कंपनी है, तो बोलीदाताओं में से किसी भी एक निदेशक के द्वारा विधिवत प्रमाणित, या बोलीदाता कोई व्यक्ति है तो स्वयं प्रमाणित हो । इस दस्तावेज में निम्न आवश्यक रूप से सम्मलित होगा :

(i) बोलीदाता, जो एक कंपनी है, का पंजीकरण प्रमाण पत्र, अथवा यदि बोलीदाता कोई व्यक्ति है तो पासपोर्ट अथवा अन्य राष्ट्रीयता दस्तावेज की प्रति ।

(ii) बोलीदाता के फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ होने की दशा में, फर्म अथवा संघ के सभी सदस्यों के विवरण सहित संगठन का दस्तावेज । इस मामले में फर्म अथवा संघ के सभी सदस्यों, दस्तावेजो को प्रस्तुत करने के संबंध में, निविदा दस्तावेजों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करना अपेक्षित होगा ।

(iii) [कारोबार और कुल मूल्य प्रमाण पत्र इनके द्वारा जारी : (क) बोलीदाता (कंपनी) का कानूनी लेखा परीक्षक; अथवा (ख) यदि बोलीदाता व्यक्ति है- चार्टेड एकाउंटेंट अथवा प्रतिभूतियों और एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया के साथ पंजीकृत मर्चेन्ट बैंकर ।] अथवा [12] [कुल राशि अर्थात चार्टेड एकाउंटेंट अथवा प्रतिभूतियों और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत मर्चेन्ट बैंकर द्वारा जारी क्लोजिंग कैश बैलेंस का प्रमाण पत्र]

(iv) [विनिर्दिष्ट अंत्य-उपयोग के लिए खनिजों की आवश्यकताओं का साक्ष्य दस्तावेज] [13]

[12] टिप्पणी : जो लागू नहीं है हटा दिया जाए ।

[13] टिप्पणी : यदि राज्य सरकार ने कोई भी अंत्य उपयोग निर्धारित नहीं किया हो, तो हटा दिया जाए।

(v) अधिनियम की धारा 6 के उद्देश्य के लिए बोलीदाता द्वारा धारित खनन पट्टा, आवीक्षण परमिट अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस का विवरण

2. बोली पत्र का प्रारूप

[दिनांक]

सेवा में,

[राज्य सरकार का नाम एवं पता]

विषय: [रियायत क्षेत्र का नाम] के लिए खनन पट्टा प्रदान करने संबंधी ई-नीलामी में भाग लेने के लिए बोली पत्र

महोदय,

आपके निविदा दस्तावेज दिनांक [दिनांक] के संदर्भ में मैने, निविदा दस्तावेज की जांच कर ली है तथा उसमें निहित अन्तर्वस्तु को समझकर मैने एतद्वारा तकनीकी बोली प्रस्तुत की है। इस पत्र में प्रयोग किए गए पूंजीकृत अभिव्यक्ति का अभिप्राय वही है जो निविदा दस्तावेज में दिया गया कारण है।

1. तकनीकी बोली बिना शर्त और अयोग्य है।

2. हमने निविदा दस्तावेजों के निबंधनों की समीक्षा कर ली है और एतद्वारा बिना किसी शर्त के और पूरी तरह से उसमें दिए गए निबंधनों को स्वीकृत, सहमत और मानते है।

3. हमें राज्य सरकार द्वारा अधिमानित बोलीदाता तथा उसके बाद सफल बोलीदाता के चयन के लिए तकनीकी बोली तथा तकनीकी बोली के साथ संलग्न दस्तावेजों पर दी गई जानकारी पर पूरा भरोसा है, तथा हम प्रमाणित करते हैं कि उसमें दी गई सभी सूचनाएं सत्य और सही हैं; कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है जो सूचना को भ्रमित करता हो; तकनीकी बोली के साथ संलग्न सभी दस्तावेज, उनसे संबंधित मूल प्रति की सही प्रतिलिपि हैं।

4. यह वक्तव्य, निविदा प्रक्रिया तथा सफल बोलीदाता के रूप में संभावित चयन में हमारी सहभागिता के उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है।

5. हम एतद्वारा यह सुनिश्चित करते हैं कि हम निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी पात्रता शर्तों से संतुष्ट हैं। पात्रता शर्तों के अनुपालन के संबंध में विशिष्ट पुष्टि निम्नवत है :

 (क) [निर्देशों में यथा उल्लिखित संलग्न दस्तावेजों के विशिष्ट संदर्भ में निविदा दस्तावेजों की [प्रत्येक पात्रता शर्तों के अनुपालन के लिए अलग से पैराग्राफ प्रविष्ट करें]।

6. हम एतद्वारा यह मानते हैं कि यदि हम कोई दस्तावेज प्रस्तुत अथवा पेश करते हैं और उसके बाद यह पाया जाता है कि यह दस्तावेज गलत अथवा सही नहीं है तो हम उपयुक्त कानून के तहत कुछ समय के लिए प्रवृतन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

7. [राज्य सरकार को अंत्य उपयोग आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त विवरण का उल्लेख करना होगा, यदि राज्य सरकार ऐसा विनिर्दिष्ट करती हैं।]

8. हम राज्य सरकार को सभी अतिरिक्त सूचनाएं प्रदान करेंगे यदि वह आवश्यक अथवा अनुपूरक के लिए अपेक्षित अथवा तकनीकी बोली को सत्यापित करने के लिए हो।

9. मैं यह स्वीकार करता हूं कि राज्य सरकार को बिना कारण बताए हमारे तकनीकी बोली और/अथवा अंतिम कीमत प्रस्ताव को रद्द करने अथवा अन्यथा तथा एतद्वारा किसी भी कारण से उसे चुनौती देने के हमारे अधिकार को प्रयोज्य कानून के द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक माफ करने का अधिकार हैं।

10. हम घोषणा करते है कि :

 (क) हमने अधिनियम, उसके तहत बने सभी नियमों, निविदा दस्तावेज और उससे संबंधित सभी दस्तावेज जिसमें सूचना ज्ञापन शामिल है, की जांच की है और समझ लिया है;

(ख) हमने जांच कर ली है और राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी परिशिष्ट सहित निविदा दस्तावेज में कोई संदेह नहीं है;

(ग) हम, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी एजेंट के माध्यम से किसी भी निविदा अथवा राज्य सरकार अथवा किसी भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा कोई भी सरकार चाहे केंद्र अथवा राज्य हो, द्वारा जारी प्रस्ताव के लिए अनुरोध अथवा उनके साथ किए गए कोई भी करार के संबंध में निविदा दस्तावेज में यथा परिभाषित किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, प्रतिरोधी कार्य, अनुचित कार्य अथवा प्रतिबंधात्मक कार्य में लिप्त नहीं है; और

(घ) हम, एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि निविदा दस्तावेज के खंड 16 के प्रावधानों के अनुरूप, हमारे लिए कार्य कर रहे अथवा हमारी ओर से कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, प्रतिरोधी कार्य, अनुचित कार्य अथवा प्रतिबंधात्मक कार्य नहीं कर रहें हैं।

11. हम समझते हैं कि आप किसी भी समय निविदा प्रक्रिया के रद्द कर सकते हैं और निविदा दस्तावेज के अनुसार न तो आप किसी भी बोली को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है जो आप प्राप्त कर सकते हैं और न ही, बोलीदाताओं के संबंध में कोई भी दायित्व प्राप्त किए बिना बोली के लिए बोलीदाताओं को आमंत्रित कर सकते हैं।

12. हम एतद्वारा पूरी तरह से ऐसे किसी भी अधिकार अथवा उपाय को छोड़ सकते हैं जो किसी भी कानूनी स्तर पर हो सकते हैं अथवा कितनी ही अन्यथा निविदा दस्तावेजों और उसके निबंधन और कार्यान्वयन के संबंध में अधिमानी बोलीदाता के चयन अथवा इसके निविदा प्रक्रिया के सिलसिले में, राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी भी निर्णय पर चुनौती अथवा प्रश्न उठा सकते हैं।

13. सफल बोलीदाता के रूप में घोषित होने के बाद, हम एमडीपीए मे प्रवेश करने और निविदा दस्तावेज के अनुसरण में अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने तथा संबंधित राशि का भुगतान करने और उसमें यथाअपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए सहमत हैं।

14. हम यह सुनिश्चित करते हैं कि निविदा दस्तावेज का अनुपालन किया गया है और हमारी समझ से यह बोली संबंधित निबंधन के अनुरूप हैं।

15. हम सहमत है तथा इस तथ्य को समझते हैं कि बोली निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अध्यधीन है। यदि हमें खनन पट्टा नहीं दिया जाता है अथवा हमारी बोली नहीं खोली अथवा रद्द कर दी जाती है तो ऐसे किसी भी मामले में हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा अथवा अधिकार नहीं कर पाएंगे।

16. प्रारंभिक कीमत प्रस्ताव को उद्घृत किया गया है तथा निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी निबंधन और शर्तों, एमडीपीए, हमारी अपनी अनुमानित लागत और व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद तथा भूवैज्ञानिक और अन्य सूचना, सूचना ज्ञापन तथा प्रस्तावित खनन पट्टा और खनिजों की उपयोगिता को प्रभावित करने वाली सभी परिस्थितयों का सावधानीपूर्वक आकलन करने के बाद ही हमारे द्वारा अंतिम कीमत प्रस्ताव का उल्लेख किया जाएगा।

17. हम, इस प्रस्ताव को निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट बोली की नियत तारीख से 180 दिनों के लिए अथवा राज्य सरकार की सहमति से बढ़ाई गई अवधि के लिए वैद्य घोषित करेंगे।

इसके साक्ष्य में, हम निविदा दस्तावेज के निबंधन के तहत और उसके अनुसार हमारी तकनीकी बोली के भाग के रूप में यह बोली पत्र प्रस्तुत करते हैं

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम)

बोलीदाता का नाम एवं मोहर

दिनांक :

स्थान:

संलग्न :

(क) [संलग्न दस्तावेजो की सूची और विवरण]

(ग). बोली प्रतिभूति

(1) बोली प्रतिभूति की प्रस्तुति हेतु निर्देश

(क) बोली प्रतिभूति आईएनआर [आंकड़ों में राशि] (रूपए [शब्दों में राशि]) के समान राशि के लिए बैंक गारंटी के रूप में होनी चाहिए।

(ख) बोली प्रतिभूति को ग्रामीण बैंक, नगरीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक के शीर्ष के तहत सूचीबद्ध के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध अनुसूचित बैंक द्वारा भारत में किसी स्थान पर भी जारी किया जा सकता है, किन्तु इसका भुगतान [राज्य की राजधानी] में किया जाएगा।

(ग) बोली प्रतिभूति की वैधता अवधि, 60 दिनों की दावा अवधि सहित बोली नियत तिथि से 240 दिनों से कम नहीं होनी चाहिए।

(घ) लागू नियम के अनुसार बोली प्रतिभूति पर मोहर लगाई जाएगी।

(2) बोली प्रतिभूति का फार्मेट

[बैंक गारंटी सं.] [दिनांक]

1. आपके [राज्य का नाम] के राज्य सरकार होने की स्थिति में **("निविदा दस्तावेज")** [दिनांक] दिनांकित निविदा दस्तावेज के अनुपालन में ई-नीलामी हेतु **("बोलीदाता")** [बोलीदाता का नाम और पता] की बोली [दिनांक] दिनांकित निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसरण में, स्वीकार करने की स्थिति में, हम [बैंक का नाम] जिसका पंजीकृत कार्यालय [पंजीकृत कार्यालय का पता] है और जिसकी एक शाखा [शाखा का नाम और पता] **("बैंक")** में स्थित है, बोलीदाता के अनुरोध पर, निविदा दस्तावेज के अनुसार यहां, बोलीदाता द्वारा निविदा दस्तावेज के नियम और शर्तों की उचित और विश्वसनीय पूर्ति और अनुपालन की पूर्णत:, शर्तविहीन और बिना आरक्षण के गारंटी देता है और बोलीदाता के निविदा दस्तावेज में निहित सभी अथवा कुछेक नियम और शर्तों की पूर्ति अथवा अनुपालन नहीं कर पाने की स्थिति में बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, आश्रय, संघर्ष अथवा विरोध और बोलीदाता को संदर्भित किए बिना अपने प्रथम कर्तव्य के तौर पर आईएनआर [आंकडों में राशि] (रूपए [शब्दों में राशि]) **("गारंटी")** अविलंब भुगतान करने का पूर्णत: वचन देती है।

2. राज्य सरकार द्वारा यह वर्णित करते हुए कोई भी लिखित मांग कि बोलीदाता ने इस निविदा दस्तावेज में शामिल नियम और शर्तों का उचित और विश्वसनीय रूप से पूर्ति और अनुपालन नहीं किया है, बैंक के लिए अंतिम, निर्णायक और बाध्य होगा।

3. हम, बैंक, इस गारंटी के तहत उचित और भुगतान की जाने वाली राशि को बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, आश्रय, संघर्ष अथवा विरोध और बोलीदाता अथवा किसी अन्य व्यक्ति को किसी संदर्भ के बिना और बोलीदाता द्वारा राज्य सरकार के दावे का विरोध किया गया है या नहीं के बावजूद, राज्य सरकार की यह कहते हुए केवल प्रथम मांग पर कि निविदा दस्तावेज में शामिल नियम और शर्तों की पूर्ति और अनुपालन में बोलीदाता के सफल न रहने के कारण ही इस राशि का दावा किया गया है, पर इस राशि के भुगतान का वचन देते है। बैंक से की गई ऐसी कोई भी मांग इस गारंटी के तहत बैंक द्वारा भुगतान किए जाने वाले तथा आवश्यक राशि के संबंध में निर्णायक होगी। हालांकि, इस गारंटी के तहत हमारी देयता आईएनआर [आंकड़ो में राशि] (रूपए [शब्दों में राशि]) से कम की मात्रा तक सीमित रहेगी।

4. यह गारंटी स्थाई होगी और बोली को नियत तिथि से 240 दिनों की अवधि तक लागू रहेगी अर्थात [दिनांक] जिसमे 60 दिनों की दावा अवधि शामिल होगी अथवा उस विस्तृत अवधि के लिए होगी जैसा कि राज्य सरकार और बोलीदाता के बीच आपसी सहमति जताई गई हो, और बैंक द्वारा सहमति जताई गई हो, और तब तक लागू रहेगा जब तक इस गारंटी के तहत सभी रकम चुकता नहीं की जाती।

5. यह, बैंक, आगे सहमति देता है कि राज्य सरकार इस निर्णय हेतु एकमात्र न्यायाधीश होगी कि अन्य के अलावा निविदा दस्तावेज में निर्धारित बोली वैधता अवधि के दौरान बोलीदाता द्वारा अपनी बोली खुली न रखने की गलती सहित निविदा दस्तावेज में शामिल नियम और शर्तों की आवश्यक और विश्वसनीय पूर्ति और अनुपालन करने में बोलीदाता से गलती हुई है कि नहीं, और किसी न्यायालय, अधिकरण, पंच या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी विवाद या राज्य सरकार और बोलीदाता के मध्य किसी मतभेद के बावजूद, राज्य सरकार का यह निर्णय कि बोलीदाता से उपर्युक्त त्रुटि हुई है, बैंक के लिए अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा ।

6. संविधान में किसी बदलाव अथवा बोलीदाता या बैंक के समापन अथवा बोलीदाता या बैंक के किसी अन्य व्यक्ति के साथ आमेलन, विलयन अथवा सम्मामेलन से गारंटी प्रभावित नहीं होगी।

7. इस गारंटी को संपूर्ण प्रभाव देने के लिए, राज्य सरकार बैंक को प्रमुख देनदार मानने की हकदार होगी । राज्य सरकार को संपूर्ण अधिकार होगा कि इस गारंटी के तहत बैंक की देयता को किसी भी रूप में प्रभावित किए बिना वह समय–समय पर निविदा दस्तावेज में शामिल किसी नियम एवं शर्तों को बदलने अथवा कथित बोलीदाता द्वारा निविदा दस्तावेज में शामिल सभी अथवा कुछ नियम और शर्तों की पूर्ति और अनुपालन हेतु समय सीमा विस्तृत करें अथवा समय के साथ या समय-समय पर कथित बोलीदाता के खिलाफ प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को स्थगित करने और निविदा दस्तावेज को शामिल किसी नियम और शर्तों या राज्य सरकार को उपलब्ध सुरक्षाओं को लागू करने या लागू करने से रोके, और उपर्युक्त मामलों के संदर्भ में राज्य सरकार के स्वतंत्रता के प्रयोग अथवा कथित बोलीदाता को दिए गए समय के कारण अथवा राज्य सरकार की ओर से किसी अन्य क्षमा, कृत्य अथवा छूट अथवा कथित बोलीदाता को राज्य सरकार का कोई अनुग्रह अथवा राज्य सरकार के संविधान में किसी बदलाव द्वारा अथवा इसके किसी अन्य व्यक्ति या सरकारी विभाग या उपकरण के साथ आमेलन, विलयन अथवा समामेलन द्वारा बैंक को उसके उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा किंतु इस प्रावधान में बैंक को उसके उत्तरदायित्व से मुक्त करने का प्रभाव होगा।

8. इसके आगे अनुरोध, मांग या अन्यथा के द्वारा कोई नोटिस पर्याप्त रूप से दिया जाएगा अथवा निर्मित किया जाएगा यदि वह बैंक को संबोधित किया गया हो और इसे बैंक को कुरिअर द्वारा रिजस्टर्ड मेल द्वारा इसके साथ निर्धारित पते पर भेजा जाएगा ।

9. बैंक आपके द्वारा [शाखा पता सहित बैंक का नाम] पर भेजे गए दावे की सूचना की प्राप्ति पर भुगतान को और उपर्युक्त शाखा पर देने को वचनबद्ध है जिसे दावे की कथित सूचना को प्राप्त करने हेतु पूरी तरह प्राधिकृत माना जाएगा ।

10. राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि बैंक के विरूद्ध कार्रवाई से पूर्व कथित बोलीदाता के विरूद्ध कार्रवाई करे और कथित बोलीदाता या किसी अन्य व्यक्ति से राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए किसी अन्य सुरक्षा के होने के बावजूद इसके आगे निहित गारंटी को बैंक के विरूद्ध लागू किया जाएगा और जो आगे चलकर बैंक के विरूद्ध होने वाली कार्रवाई के समय बकाया अथवा अप्राप्य होगी ।

11. बैंक इसके आगे लिखित में राज्य सरकार द्वारा दी गई पूर्व व्यक्त सहमति के अलावा अपनी मुद्रा के दौरान इस गारंटी को वापस नहीं लेने को वचनबद्ध हैं।

12. बैंक घोषणा करता है कि इसके पास इस गारंटी को जारी करने का और इसके साथ किए गए दायित्वों की पूर्ति का अधिकार है, अधोहस्ताक्षरी पूरी तरह प्राधिकृत हैं और उसे बैंक की तरफ से और उसके लिए इस गारंटी को निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार हैं ।

13. इसमें निहित किन्ही तथ्यों के बावजूद;

क. इस गारंटी के तहत बैंक का उत्तरदायित्व गारंटी रकम अर्थात आईएनआर [आंकडों में रकम] (रुपए) [शब्दों में रकम] से अधिक नहीं होगा ।

ख. यह गारंटी [तिथि] तक लागू होगी ।

..... बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

घ. मुख्तारनामा

(1) मुख्तारनामा की प्रस्तुति हेतु निर्देश

(क) मुख्तारनामें को भारत में लागू नियम के अनुसार जारी किया जाएगा और इसे आवश्यक सभी कॉरपोरेट अनुमोदनों को प्राप्त करने के पश्चात बोलीदाता के संवैधानिक दस्तावेजों के अनुसार जारी किया जाएगा । संवैधानिक दस्तावेजों का सार और कॉरपोरेट अनुमोदनों की प्रमाणित प्रतियां मुख्तारनामें के साथ संलग्न की जाएगी ।

(ख) मुख्तारनामें को समान सील के तहत जारी किया जाएगा, यदि कोई हो तो ।

(ग) लागू नियम के अनुसार मुख्तारनामें पर स्टैम्प लगाया जाएगा ।

(घ) मुख्तारनामें को उस व्यक्ति के नाम से जारी किया जाएगा जो बोलीदाता के अधीन पूर्णकालिक नियुक्ति में होगा ।

(2) मुख्तारनामें का फॉर्मेट :

सभी स्थितियों की जानकारी रखते हुए, यह बैंक [राज्य क नाम] **('राज्य सरकार')** की राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक (तिथि) के निविदा दस्तावेज के जवाब में खनिज खंड **('खनिज खंड')** [खंड का नाम] के लिए अपनी बोली के संबंध में आवश्यक या अपेक्षित अथवा इसकी प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक ऐसे सभी कार्यों, विलेखों और चीज़ों को, इसकी ओर से और इसके नाम से करने के लिए इसके सच्चे और कानूनी अटॉर्नी **('अटॉर्नी')** के तौर पर, [पदनाम] के पद पर होते हुए [पिता/पति का नाम] के पुत्र/पुत्री/पत्नी को जिनका वर्तमान में (पता) आवास स्थान है और, जो वर्तमान में हमारे साथ नियुक्त हैं, (नाम) को इसके द्वारा यह बैंक (बोलीदाता का नाम और पता) को सूपंर्ण रूप से तैयार, नामित, नियुक्त और प्राधिकृत करता है जिसमें सभी आवेदनों, शपथपत्रों, बोलियों और अन्य दस्तावेज और लेखों की प्रस्तुति और हस्ताक्षरण, बोलीदाता के और अन्य सम्मेलनों में भागीदारी और राज्य सरकार की सूचना/जवाब प्रदान करना, राज्य सरकार के समक्ष हमारा सभी मामलों में प्रतिनिधित्व करना और आमतौर पर खनिज खंड के लिए हमारी बोली से उत्पन्न या संबंधित या उससे जुड़े और/अथवा उसके हमें मिलने पर और/अथवा राज्य सरकार के साथ खान विकास और उत्पादन अनुबंध में शामिल होने और खनन पट्टे के अनुदान तक सभी मामलों में राज्य सरकार के साथ आमतौर पर व्यवहार करने के अलावा अन्य भी शामिल हैं।

और यह बैंक यहां अनुसमर्थन और पुष्टि करने की सहमति देता है और यहां इस मुख्तारनामें द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों के प्रयोग से और अनुपालन में हमारे अटॉर्नी द्वारा किए गए या सभी कार्यों, विलेखों और वस्तुओं का अनुसमर्थन और पुष्टि देता है और यह कि इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग से हमारे कथित अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य, विलेख और वस्तुऐं हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएगी।

जिसकी गवाही में हमनें, (बोलीदाता का नाम), इस तिथि (तिथि) को इस मुख्तारनामें को उपर्युक्त नामित सिद्धांत द्वारा निष्पादित किया है ।

..... हेतु

(हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पता)

गवाह :

1.

2.

(नोटरीकरण का विवरण)

ङ. हलफनामा

(1) मुख्तारनामा की प्रस्तुति हेतु निर्देश

(क) हलफनामा, अनुप्रयोग्य कानून के अनुसार भारत में ही निष्पादित की जानी चाहिए और यह अपेक्षित सभी कारपोरेट अनुमोदनों की प्राप्ति के बाद बोलीदाता के संवैधानिक दस्तावेजों के अनुसार जारी

किया जाना चाहिए। संवैधानिक दस्तावेजों का सारांश और कारपोरेट अनुमोदनों की प्रमाणित प्रतियां मुख्तारनामें के साथ अवश्य संलग्न की जानी चाहिए। बोलीदाता के व्यक्ति विशेष होने के मामले में हलफनामे पर बोलीदाता का हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए।

(ख) अनुप्रयोग्य कानून के अनुसार हलफनामे पर टिकट अवश्य लगा होना चाहिए।

(ग) हलफनामे पर उस व्यक्ति का हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए जो बोलीदाता के अधीन पूरे समय रोजगार में रहा हो और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।

(2) हलफनामे का प्रारूप

<u>हलफनामा</u>

मैं , [नाम] आयु [] वर्ष, निवासी [पता] [] के रूप में कार्यरत [बोलीदाता का नाम] ("बोलीदाता") की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एतद्वारा निम्नवत घोषणा करता हूँ :

1. मैं बोलीदाता का [साक्षी का पदनाम] हूँ। मैं इस हलफनामें [कारपोरेट अनुमोदन के विवरण] के अनुपालन में जारी दिनांक[] के मुख्तारनमें के अनुपालन में उसे हटाने के लिए प्राधिकृत किया गया हूँ] के विषय से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों से सुपरिचित हूँ। मैं [खनिज ब्लॉक का नाम] से संबंधित निविदा प्रक्रिया से संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों के सत्यापन को अभिलेखित करने के लिए यह हलफनामा दायर कर रहा हूँ।

2. [ई-नीलामी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर अभिलेखित किए गए अथवा राज्य सरकार को प्रत्यक्षत: प्रस्तुत किए गए प्रत्येक दस्तावेज को क्रमवार रखने के लिए अलग से पैरा शामिल करें]।

3. उपर वर्णित प्रस्तुत सूचना में कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

एतद्वारा [दिन] [माह] [वर्ष] को [स्थान] पर पुष्टि और सत्यापित किया गया

(हस्ताक्षर)

नाम, पदनाम, मुहर

<u>सत्यापन</u>

मैं, [नाम], उपर उल्लिखित बोलीदाता [[साक्षी का नाम]] कार्यालय [पता], एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त पैरा [1] से [संख्या] में जो कहा गया है वह बोलीदाताओं की पुस्तकों और अभिलेखों पर आधारित है और यह सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त हलफनामे की विषयवस्तु सत्य और सही है, इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है तथा उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

[दिन] [माह] [वर्ष] को [स्थान] पर सत्यापित किया गया।

साक्षी

(हस्ताक्षर)

नाम, पदनाम, मुहर

अनुसूची-II : निविदा दस्तावेज संबंधी स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रारूप

(निविदा दस्तावेज के प्रत्युत्तर में तकनीकी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व बोली-पूर्व सम्मेलन के लिए मात्र अनुप्रयोग्य)

क्रं.सं.	दस्तावेज	खंड सं. और मौजूदा प्रावधान	अपेक्षित स्पष्टीकरण	संशोधन के लिए सुझाया गया पाठ, यदि कोई हो,	स्पष्टीकरण अथवा संशोधन के लिए औचित्य

अनुसूची-III : ऑनलाइन इलैक्ट्रोनिक नीलामी संबंधी तकनीकी ब्यौरे

[तकनीकी ब्यौरे, मानकीकरण जांच एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई-प्रापण प्रणालियों की गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए]

1. <u>पंजीकरण पद्धति :</u>

खनिज ब्लॉक के लिए बोली प्रस्तुत करने हेतु बोलीदाता को स्वयं को ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रोवाइडर की ई-नीलामी वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा । बोलीदाता को एक ऑनलाइन पंजीकरण फार्म भरना होगा और अपना "यूजर आईडी" और "पासवर्ड" बनाना होगा और उसे ध्यान रखना होगा बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके यूजर आईडी और पासवर्ड की गोपनीयता हमेशा बनी रहे और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के किसी प्रकार के दुरूपयोग के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेवार होगा। बोलीदाता किसी भी प्रकार की सहायता के लिए ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रोवाइडर की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध "बोलीदाता मार्गदर्शक" भी देख सकता है ।

[विस्तृत पंजीकरण प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिए ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रोवाइडर]

बोलीदाता को ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रोवाइडर द्वारा उपलब्ध कराए गए **ई-नीलामी के निबंधनों और शर्तों** को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ।

ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म सफलता पूर्वक प्रस्तुत करने के बाद बोलीदाताको पंजीकृत ई-मेल पते पर एक पुष्टि ई-मेल प्राप्त होगा जिसमें बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने का परामर्श होगा :

(नोट : भविष्य में बोलीदाता के साथ सभी पत्राचार इस पंजीकृत ई-मेल आईडी मात्र के माध्यम से होगा)

1. आयकर पैनकार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति ।
2. प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता के पासपोर्ट आकार के दो फोटो ।
3. बोलीदाता के अध्यक्ष/एमडी/निदेशक/सीईओ/कंपनी सचिव की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में वेबसाइट पर उपलब्ध मानक प्रारूप में प्राधिकार पत्र । प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता वह व्यक्ति होगा जो बोली प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेवार होगा। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता के पास भारतीय प्रमाणिकरण द्वारा जारी चरण-III हस्ताक्षर प्रकार वाला डिजिटल हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा जिसका ब्यौरा प्राधिकार पत्र में दिया जाएगा ।
4. कंपनी का पहचान पत्र/पैनकार्ड/चुनाव पहचान पत्र/आधार कार्ड के रूप में प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता का पहचान का प्रमाण ।
5. पुष्टि ई-मेल की प्रति ।

बोलीदाता अपने अकाउंट के सत्यापन और उसे आरंभ करने के लिए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म प्रोवाइउर को निम्नलिखित ई-मेल पते पर उपर उल्लिखित दस्तावेजों की स्केन की गई प्रतिया भेज सकते है:

[ई-नीलामी के लिए ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रोवाइडर का ई-मेल आई]

बोलीदाता की ओर से ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों का सेट इलैक्ट्रोनिक माध्यम से प्राप्त होते ही ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रोवाइडर दस्तावेजों के सत्यापन/संवीक्षा के बाद उस बोलीदाता का लॉगिन चालू कर देगा । ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रोवाइडर बोलीदाता के सुरक्षित लॉगिन के पंजीकरण और उसे चालू करने से पूर्व बोलीदाता से अतिरिक्त दस्तावेज मंगा सकता है, यदि आवश्यक हो ।

ऊपर उल्लिखित पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद बोलीदाता ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रोवाइडर की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकता है।

लॉगिन चालू होने के बाद बोलीदाता को ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रोवाइडर द्वारा एक "फोटो पहचान पत्र" जारी किया जाएगा जिसमें संपर्क व्यक्ति फोटो और हस्ताक्षर होगा । फोटो पहचान पत्र ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रोवाइडर द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत होगा ।

2. <u>खनिज ब्लॉक संबंधी सूचना डाउनलोड करना</u>

ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रोवाइडर की वेबसाइट से डानलोड करने के लिए दस्तावेजों के दो सेट उपलब्ध हैं ।

दस्तावेजों का पहला सेट सार्वजनिक क्षेत्र में नि:शुल्क उपलब्ध होगा और उसे ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रोवाइडर की वेबसाइट पर पंजीकरण किए बिना डाउनलोड किया जा सकता है। इन दस्तावेजों में शामिल हैं :

(क) इस विशेष ई-नीलामी प्रक्रिया के लिए कस्टमाइज्ड़ मॉडल निविदा दस्तावेज का खाली प्रारूप; और

(ख) खनिज ब्लॉक सारांश

उपर्युक्त जानकारी सभी सक्षम बोलीदाताओं को उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उन्हें निविदा प्रक्रिया और ई-नीलामी में खनिज ब्लॉक से परिचित करवाने में मदद की जा सके ।

ई-नीलामी प्लेटफार्म के साथ बोलीदाता पंजीकरण प्रक्रिया के बाद बोलीदाता के लिए प्रति खनिज ब्लॉक निविदा शुल्क [राज्य सरकार उस राशि का निर्धारण करेगी, जो 5 लाख से अधिक नहीं होगा] के भुगतान के बाद ही कुछ विस्तृत दस्तावेज (सूचना ज्ञापन, जिसमें भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और अन्य सूचना हो, सहित उस खनिज ब्लॉक का निविदा दस्तावेज) डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे । बोलीदाता एनईएफटी/ आरटीजीएस/नेट बैंकिंग के जरिए निविदा दस्तावेज शुल्क का भुगतान कर सकेंगे (ई-नीलामी प्लेटफार्म के पेमेंट गेटवे के जरिए) । ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रोवाईडर के वेबसाईट के जरिए ही निविदा दस्तावेज को ऑनलाईन बेचा जाएगा ।

बोलीदाता यह ध्यान देंगे कि खनिज ब्लॉकों से संबंधित सूचना वाली फाइले विभिन्न प्रारूप जैसे डीओसी, एक्सएलएस, पीपीटी, पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी, जैडआईपी इत्यादि में हो सकते हैं और यह बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी कि उसके पास ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रोवाइडर की वेबसाईट से इन दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए उपर्युक्त सुविधाएं उपलब्ध हों।

3. <u>बोली तैयार एवं प्रस्तुत करना</u>

बोली प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया को निम्नलिखित दो चरणों में बाटा जाएगा :

क. चरण I : तकनीकी बोली

इस चरण में निम्न शामिल होंगे (i) तकनीकी बोली का ऑनलाइन तकनीकी प्रस्तुतिकरण और आरंभिक कीमत प्रस्ताव ; और (ii) कुछ वास्तविक दस्तावेजों का ऑफ लाइन प्रस्तुतिकरण जो निम्नवत है ।

(i) ***<u>सहायक दस्तावेजों के साथ तकनीकी बोली और आरंभिक कीमत प्रस्ताव का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण</u>***

यह चरण उन सभी बोलीदाताओं के लिए खोला जाएगा जिन्होंने विशिष्ट खनिज ब्लॉक (ओ) के लिए निविदा दस्तावेज (ओ) की खरीद की है ।

[ई-नीलामी प्लेटफॉर्म प्रदाता सहायक दस्तावेजों के साथ तकनीकी बोली और आरंभिक कीमत प्रस्ताव को ऑन लाइन प्रस्तुत करने के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध करेगा]

बोलीदाता के पास अंतिम रूप से प्रस्तुत करने तक उसकी इच्छा अनुसार कई बार तकनीकी बोली और आरंभिक कीमत प्रस्ताव को बदलने का विकल्प है।

तकनीकी बोली और आरंभिक कीमत प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के समय उस पर बोलीदाता द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर का प्रयोग करते हुए डिजीटल हस्ताक्षर होगा और उसका प्रयोग करने वाला बोलीदाता की

ओर से विधिवत प्राधिकृत होगा और जिसे पंजीकरण के समय प्रयोग किया गया था । उपर्युक्त के अलावा कोई भी डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, सिस्टम द्वारा बोली प्रस्तुत करने के लिए स्वीकार्य नहीं होगा ।

बोलीदाता को यह नोट करना चाहिए कि तकनीकी बोली का मूल्यांकन करने के लिए केवल विशिष्ट खनिज ब्लॉको के लिए प्रस्तुत की गई फाइल (ओ) पर ही विचार किया जाएगा ।

सफलता पूर्वक अंतिम प्रस्तुतिकरण पर बोलीदाताओं को स्वत: ही सिस्टम से बोली की पावती प्राप्त होगी ।

बोलीदाता यह नोट कर सकते है कि उपर्युक्त की तरह ऑनलाइन तकनीकी बोली और आरंभिक कीमत प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर डाटा बेस में स्टोर करने से पहले ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रदाता के द्वारा एनक्रिपटेड किया जाएगा । यह इसे वास्तविक रूप से खोलने से पहले बोली की शुद्धता और विश्वसनियता को सुरक्षित रखने के लिए किया जाएगा ।

बोली में संशोधन/वापस लेना

अंतिम रूप से बोली प्रस्तुत करने के बाद और बोली की नियत तारीख पर बोली प्रस्तुत करने की अनुबंधित समापन सीमा से पहले बोलीदाता के पास उसमें संशोधन करने/वापस लेने/एक नई बोली पुन: प्रस्तुत करने का विकल्प है।

(ii) <u>कुछ वास्तविक दस्तावेजो की ऑफ लाइन प्रस्तुतिकरण</u>

बोलीदाता बोली की नियत तारीख पर बोली के लिए अनुबंधित समापन सीमा के अंदर मोहरबंद कवर में निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करेंगे । मोहरबंद कवर में पहचान के लिए स्पष्ट रूप से निम्नलिखित लिखा होना चाहिए : [खनिज ब्लॉक का नाम] के लिए वास्तविक दस्तावेज (तकनीकी बोली और बोलीदाता का नाम और पता का भी उल्लेख होगा) इसके अतिरिक्त दस्तावेजो में पृष्ठ संख्या होनी चाहिए: [*] का पृष्ठ[*];

(क) बोलीप्रतिभूति वस्तुत: उसी फॉर्मेट में होगा जैसा अनुसूची I (ग) में दिया गया है;

(ख) वस्तुत: उसी फॉर्मेट में मुख्तारनामा जैसा अनुसूची I (घ) में दिया गया, जिसमें चार्टर दस्तावेजों का सार तथा बोर्ड अथवा शेयरधारकों का संकल्प जैसे दस्तावेज जिसमें इस मुख्तारनामा के निष्पादन को प्राधिकृत किया जा रहा है शामिल है;

(ग) वस्तुत: उसी फॉर्मेट में शपथ पत्र, जैसा अनुसूची I (ई) में दिया गया है ।

उपर्युक्त दस्तावेज निम्नलिखित पते पर भेजे जाएंगे :

[विशेषकर ई-नीलामी के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार का पदनामित पता।

(i) सहायक दस्तावेजो के साथ तकनीकी बोली और आरंभिक कीमत प्रस्ताव की ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण; और (ii) कुछ मूल दस्तावेजो की ऑफ लाइन प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि

बोलीदाता को यह भी नोट करना होगा की सहायक दस्तावेजो के साथ **तकनीकी बोली और आरंभिक कीमत प्रस्ताव** की ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण और कुछ वास्तविक दस्तावेजों की ऑफलाइन प्रस्तुतिकरण की अनुमति, केवल खंड 12 में विनिर्दिष्ट बोली की नियत तारीख के अनुसार समय और तारीख पर दी जाएगी ।

(iii) **तकनीकी बोली का मूल्यांकन**

(क) तकनीकी बोली का मूल्यांकन

निविदा दस्तावेज में दिए गए तरीके से तकनीकी बोली का मूल्यांकन किया जाएगा । तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की पूरी सूची राज्य सरकार की वेबसाइट और ई-नीलामी प्लेटफार्म पर प्रकाशित की जाएगी । ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रदाता, ई-नीलामी प्लेटफार्म पर तकनीकी रूप से सफल सभी बोलीदाताओं के लिए प्रशिक्षण और मॉक-नीलामी आयोजित करेगा ।

(ख) आरंभिक कीमत प्रस्ताव को खोलना

आरंभिक कीमत प्रस्ताव, संबंधित खनिज ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए निर्धारित तारीख से दो दिन पहले खोली जाएगी । उदाहरणत: खनिज ब्लॉक (ओ) के लिए आरंभिक कीमत प्रस्ताव के लिए ई-नीलामी की निर्धारित तिथि 03.01.20xx है जो 01.01.20xx को खोली जाएगी । तकनीकी रूप से सफल सभी बोलीदाताओं को खंड 8.1क(ड.) के अनुसार रैंक दी जाएगी ।

शीर्ष 50 प्रतिशत रैंकिग के अनुसार सफल बोलीदाताओं की सूची (निविदा दस्तावेज में यथा निर्धारित मापदंड के अध्यधीन) राज्य सरकार द्वारा ई-मेल (विशिष्ट ई-नीलामी के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित ई-मेल आईडी से) के द्वारा खनिज ब्लॉक के सभी सफल बोलीदाताओं को भेजा जाएगा **अथवा** (राज्य सरकार, ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रदाता को, ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रदाता के ई-मेल आईडी से इस विशिष्ट ई-मेल को भेजने की सलाह दे सकता है)। सफल बोलीदाताओं को ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रदाता वेबसाइट में उनके संरक्षित लॉग-इन के भीतर, अधिसूचना के माध्यम से विशिष्ट खनिज ब्लॉक के बजाए ईलेक्ट्रानिक-नीलामी के दूसरे दौरे में उनके सफल होने की सूचना भी दी जाएगी।

(ख) चरण-2: इलेक्ट्रोनिक नीलामी – अंतिम कीमत प्रस्ताव

(क) सफल बोलीदाता को सूचना

उपर्युक्त सूचना के साथ, बोलीदाता खनिज ब्लॉक की ई-नीलामी के दूसरे दौरे के लिए प्रयोज्य फ्लोर कीमत संबंधी सूचना भी प्राप्त करेगा, जो तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं से प्राप्त उच्चतम आरंभिक कीमत प्रस्ताव है।

यह बोलीदाता का एकमात्र दायित्व होगा कि वह ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रदाता वेबसाइट की नियमित रूप से जांच करे और यह देखने के लिए लॉग-इन करें कि कुछ खनिज ब्लॉकों के लिए यह सफल है अथवा नहीं। राज्य सरकार/ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रदाता, बोलीदाता के ई-मेल प्राप्त नहीं होने तथा उसके परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ख) ई-नीलामी का आयोजन

ई-नीलामी, अधिमानी बोलीदाता को निर्धारण करने के उद्देश्य से इंटरनेट के माध्यम से सफल बोलीदाताओं से अनिवार्य अंतिम कीमत प्रस्ताव (ओं) को आमंत्रित करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान, सफल बोलीदाता समान खनिज ब्लॉक के लिए कई बार अपना अंतिम कीमत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समर्थ होंगे। ईलेक्ट्रॉनिक-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले रहे अन्य सफल बोलीदाताओं तथा ईलेक्ट्रॉनिक-नीलामी प्लेटफार्म प्रदाता/राज्य सरकार के लिए सफल बोलीदाता का नाम गुप्त रखा जाएगा। सफल बोलीदाता खनिज ब्लॉक के लिए प्रचलित अधिकतम अंतिम कीमत प्रस्ताव को देखने में समर्थ होगे, लेकिन किसी भी समय सर्वोच्च सफल बोलीदाता का नाम प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। सफल बोलीदाता को सर्वोच्च बोलीदाता बनने के लिए [राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि अर्थात 0.05%] की न्यूनतम वृद्धि के द्वारा प्रदर्शित अधिकतम बोली से अधिक अपनी अंतिम कीमत प्रस्ताव रखना होगा। इलैक्ट्रोनिक नीलामी प्रक्रिया में शुरू और समापन समय निर्धारित किया जाएगा जिसे स्क्रीन पर डिसप्ले किया जाएगा। सफल बोलीदाता अपनी अंतिम कीमत प्रस्ताव बोली समय शुरू होने के बाद तथा इलैक्ट्रोनिक नीलामी के समाप्त होने के समय तक रख सकते है। चालू सर्वर समय (आईएसटी) भी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इलैक्ट्रोनिक नीलामी की अनुबंधित समापन समय से पहले आखरी मिनट में [(आंकडे) (शब्द) अर्थात 10(दस)] में अंतिम कीमत प्रस्ताव प्राप्त होने की दशा में इलैक्ट्रोनिकनीलामीका समापन समय अन्य सभी सफल बोलीदाताओं को समान अवसर देने के लिए, प्राप्त अंतिम बोली समय से [(आंकडे) (शब्द) अर्थात 10(दस)] तक स्वत: बढ़ जायेगा। स्वत: विस्तार की यह प्रक्रिया उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि [(आंकडे) (शब्द) अर्थात 10(दस)] मिनट की अवधि के दौरान कोई भी अंतिम कीमत प्रस्ताव प्राप्त न हो।

उदाहरण के तौर पर, माना किसी विशिष्ट इलैक्ट्रोनिक नीलामी के लिए आरंभिक अनुबंधित समापन समय 1:00 अपराह्न है और 12:55 अपराह्न को अंतिम कीमत प्रस्ताव प्राप्त हुआ हो तो अनुबंधित समापन समय 1:05 अपराह्न हो जाएगा। पुन: यदि 1:01 अपराह्न को अंतिम कीमत प्रस्ताव प्राप्त होता है तो अनुबंधित समापन समय 1:11 अपराह्न और इसी तरह आगे हो जाएगा 11:11 अपराह्न तक यदि कोई अंतिम कीमत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है तो 1:11 अपराह्न इलैक्ट्रोनिक नीलामी बंद कर दी जाएगी। संशोधित समापन समय स्क्रीन पर

दिखाया जाएगा और सफल बोलीदाताओं को इसके वेबपेज को रिफ्रेश करने की सलाह दी जाती है जिससे उन्हें नवीनतम सूचना प्राप्त हो।

उपर्युक्त उदाहरण केवल व्याख्यात्मक है तथा इसका अभिप्राय ई-नीलामी को समझाना है।

इलैक्ट्रोनिक नीलामी की प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता को अपने संबंधित डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) के द्वारा अपनी बोलियो पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित होगा और उसका प्रयोग करने वाला बोलीदाता की ओर से विधिवत प्राधिकृत होगा तथा उसका उपयोग पंजीकरण के समय भी किया गया हो। उपर्युक्त के अलावा कोई भी अन्य डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, बोली प्रस्तुत करते समय सिस्टम द्वारा स्वीकृत नहीं होगा।

बोलीदाता को उसके अपने हित के लिए खंड 12 के अनुसार कुछ डेमो इलैक्ट्रोनिक नीलामी के जरिए पहले से ही अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रशिक्षित करने के द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म प्रदाता के इलैक्ट्रोनिक नीलामी प्रक्रिया से परिचित होने की सलाह दी जाती है।

<u>डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण</u>

बोलीदाता के पास अपनी बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्लेटफॉर्म प्रदाता की वेबसाइट पर इलैक्ट्रोनिक नीलामी में भाग लेने के लिए हस्ताक्षर की वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र(डीएससी) का होना अपेक्षित होगा। इस उद्देश्य के लिए बोलीदाता को भारत में किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण अथवा उनके प्राधिकृत एजेंसियों से हस्ताक्षर की श्रेणी-III डीएससी प्रकार को प्राप्त करने के लिए अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरी को प्राधिकृत करने की आवश्यकता होगी।

बोलीदाता के सक्षम प्राधिकारी को ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रदाता की वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए मानक प्रारूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में प्राधिकार पत्र जारी करना अपेक्षित होगा जिसमें प्राधिकृत प्रतिनिधि के डीएससी की क्रम संख्या का उल्लेख होगा। निम्नलिखित में से एक सक्षम प्राधिकारी होंगे :

- कंपनी के अध्यक्ष
- कंपनी के प्रबंध निदेशक
- कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- कंपनी के कंपनी सचिव

बोलीदाता को यह नोट करना होगा कि प्राधिकृत प्रतिनिधि को दिए गए डीएससी के साथ केवल एक यूजर आईडी को ही माना जाएगा। यदि एक बार बोलीदाता के विशेष यूजर आईडी के साथ डीएससी का प्रयोग किया जाता है तो साधारणतया उसे बदला नहीं जाएगा और इसलिए बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि मैपिंग के लिए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म में इसे अग्रेषित करने से पहले डीएससी का सावधानी पूर्वक चयन करे।

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग बोलीदाता द्वारा ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के लिए किया जाएगा।

बोलीदाता और उसके संबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधि का एक मात्र दायित्व होगा की डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखे बोलीदाता और उसके संपर्क व्यक्ति ही डीएससी के किसी भी प्रकार गलत प्रयोग के उत्तरदायी होंगे और इस संबंध में ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रदाता/राज्य सरकार द्वारा किसी भी स्तर पर कोई भी शिकायत/अभ्यावेदन सुना नहीं जाएगा।

[उपर्युक्त प्रक्रिया की व्याख्या मात्र उदाहरण हेतु है और राज्य सरकार को यथाअनुप्रयोग विस्तृत तकनीकी विवरण का उल्लेख करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा इलैक्ट्रोनिक नीलामी प्लेटफॉर्म के चयन पर आधारित है।]

अनूसूची IV : एमडीपीए का प्रपत्र

खान विकास और
उत्पादन करार

(मॉडल प्रपत्र)

(यह मॉडल प्रपत्र है और राज्य सरकार प्रत्येक नीलामी की आवश्यकताओं के आधार पर इस मसौदे को उपर्युक्त ढंग से संशोधित कर सकती है)

(पर्याप्त मूल्य के स्टांप पेपर पर निष्पादित होगा)

यह खान विकास और उत्पादन करार निम्नलिखित द्वारा और के बीच होगा :-

पक्षकारगण :-

1. **{ राज्य }** के राज्यपाल**, (राज्य का खान और भूविज्ञान विभाग) (राज्य सरकार की**) की ओर से कार्य करेगा।
2. **{सफलबोलीदाता का नाम} (कंपनी अधिनियम के तहत भारत में निगमित (1956/2013))** निगम पहचान संख्या **(सफल बोलीदाता का सीआएन)**, जिसका पंजीकृत कार्यालय (पंजीकृत कार्यालय का पता), भारत सरकार और व्यवसाय का मुख्य स्थान **(व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता, यदि वह पंजीकृत कार्यालय से भिन्न हो)}**[14] अथवा (**कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, आयकर स्थायी खाता संख्याधारक) (संख्या), (पता)}**[15] पर निवास करता है अथवा **(अनुसूची क मे सूचीबद्ध व्यक्ति जो (फर्म/व्यक्तियों का संघ) के रूप में सगंठित हैं, जो सभी भारतीय नागरिक हैं और भारत के निवासी हैं }**[16] **(सफल बोलीदाता)**

पृष्ठभूमि :

(क) पट्टायुक्त क्षेत्र (जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा) में खनिजों **(जिनका उल्लेख आगे किया जाएगा)** के खनन के लिए खनन पट्टा/कंपोजिट लाइसेंस जारी करने के लिए निविदा दस्तावेजों, **(जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा)** के अनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक नीलामी कराई गई।

(ख) बोलीदाता ने इलेक्ट्रानिक नीलामी के मानकों के अनुसार **(अंतिम मूल्य प्रस्ताव किया)** प्रतिशत बोली लगाई और उसे अधिमान्य बोलीदाता घोषित किया गया **(जैसा कि निविदा दस्तावेज में आगे परिभाषित है)**।

(ग) सफल बोलीदाता ने अधिमान्य बोलीदाता के रूप में ['अग्रिम' भुगतान की पहली किश्त का भुगतान किया (जो आगे परिभाषित है)] अथवा[17] (**निष्पादन प्रतिभूति के रूप में)** भारतीय रूपये **(राशि अंको में) राशि शब्दों में)** के बराबर की राशि [भुगतान मैंकेनिज्म] के जरिए [तारीख] जमा करवाई जिसके आधार पर राज्य सरकार ने [निर्धारित तारीख] तारीख पर आशय पत्र जारी किया।

(घ) अधिमान्य बोलीदाता ने निविदा दस्तावेज के खंड (10.2 या 11.2[18]) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया और तदनुसार राज्य सरकार को लिखित रूप से पुष्टि कर पत्र (दिनांक) प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अधिमान्य बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना गया।

[14] तभी रखा जाए जब सफल बोलीदाता एक कंपनी हो।

[15] तभी रखा जाए जब सफल बोलीदाता एक व्यक्ति हो।

[16] तभी रखा जाए जब सफल बोलीदाता एक फर्म या व्यक्तियों का संघ हो।

[17] खनन पट्टे के नीलामी के लिए पूर्व निर्धारित भुगतान के लिए संदर्भ रखा जाए। तभी कंपोजिट लाइसेंस की नीलामी के लिए संदर्भ रखा जाए।

[18]10.2 खनन पट्टे के लिए लागू, 11.2 कंपोजिट लाइसेंस की स्थिति में लागू।

(ड़) [तत्पश्चात सफल बोलीदाता ने कंपोजिट लाइसेंस धारक के रूप में खनिज **(खनिज संधारण साक्ष्य)** नियम 2015 के सदृश अधि नियम के धारा 11 (9) के अनुसार पूर्वेक्षण गवेषण पूरा किया। सफल बोलीदाता ने खनिज **(नीलामी)** नियम, 2015 के नियम 18 के उपनियम (6) के खंड (ख) के अनुक्रम में खनन पट्टा जारी करने हेतु राज्य सरकार को आवेदन किया। राज्य सरकार द्वारा निश्चित तारीख **(दिनांक)** का एक पत्र खनन पट्टा जारी करने बाबत सफल बोलीदाता को जारी किया गया][19]।

(च) तत्पश्चात सफल बोलीदाता ने अनुसूची "ख" में दी गई सूची अनुसार आवश्यक सभी सहमतियाँ, अनुमोदन अनुमतियाँ, अनापत्तियाँ प्राप्त कर लीं जो कि खनन प्रचालन के लिये नियमानुसार आवश्यक थीं।

(च) तदनुसार, राज्य सरकार अब सफल बोलीदाता के साथ खनन पट्टा और अन्य अनुषंगी मामलों के संबंध में यह करार कर रही है और यह करार खनन पट्टे के अभिन्न अंग के रूप में पठनीय होगा।

इसीलिए अब इस करार में निर्धारित किए गए आपसी औचित्यों, निबंधन और शर्तों और अन्य उत्तम व मूल्यवान सोच विचार **(जो कि दोनों पक्षों को ज्ञात है)** द्वारा दोनों पक्षकार वस्तुत: कानूनन आबद्ध होगें, अधोलिखितानुसार सहमति व्यक्त करते है:

1. परिभाषाएँ और व्याख्याएं

परिभाषाएँ और नियमों की व्याख्याएं इस करार के इस खंड में लागू होंगे।

1.1 परिभाषाएं

1.1.1 **"करार"** का अर्थ खान विकास और उत्पादन करार और सभी संबद्ध अनुबंधों, अनुसूचियों प्रदर्शनों और इस करार के प्रावधानों के अन्तर्गत करार में संशोधन, आशोधन अथवा पुष्टिकरण संबंधी अनुपूरक प्रपत्र में संलग्न सहित होगा।

1.1.2 **"करार की तारीख"** का तात्पर्य उस तारीख से होगा जिस दिन से इस करार का निष्पादन सफल बोलीदाता और राज्य सरकार दोनों के द्वारा पूरा होगा।

1.1.3 **"विनियोग की घटना"** का अर्थ खंड 4.2.1 में दी गई अभिव्यक्ति के अनुसार होगा।

1.1.4 "**दावा**" का अर्थ उपबंध 12.3 में दी गई अभिव्यक्ति के अनुसार होगा।

1.1.5. **"नियंत्रण"** में अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति या प्रबंधन नियंत्रण या व्यक्ति, अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों द्वारा या सामूहिक रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से नीति संबंधी निर्णय प्रवृत्त करना शामिल है, फिर चाहे वह उनके शेयर धारक धारण या प्रबंधन क्षमता या शेयरधारकों के करारों अथवा वोटिंग अधिकार या उन्य किसी ढंग से अधिकृत किया गया हो।

1.1.6 **"पात्रता शर्तें"** : पात्रता शर्तों का तात्पर्य अधि नियम में विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों से है जिनमें निविदा दस्तावेज के खंड (5) में सूचीबद्ध सभी पात्रता शर्तें शामिल हैं।

1.1.7 **"ऋणभार"** से आशय किसी बधंक गिरवी समता हित, प्रतिभूति के माध्यम से हस्तांतरण, सशर्त विक्रय अनुबंध, आडमान, अन्य व्यक्तियों के अधिकार, दावे, प्रतिभूति हित, ऋणभार, स्वत्वाधिकार में कमी, स्वत्व अधिकार करार, मतदान न्यास करार, ब्याज, विकल्प, ग्रहणधिकार, प्रभार, प्रतिबद्धता, उपयोग, मतदान अधिकार अंतरण सहित किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध या सीमाकंन, आय प्राप्ति या स्वामित्व के किसी अन्य अधिकार का प्रवर्तन , निस्तारण का अधिकार ऐसी कोई व्यवस्था (जो प्रतिभूति अनुदान के उद्देश्य या पर प्रभाव डालता हो) या किसी भी प्रकार का, जो भी हो, कोई अन्य प्रतिभूति हित, या कोई करार, चाहे सशर्त हो या अन्यथा, जो उनमें से किसी का सृजन करे, है।

1.1.8 **"अप्रत्याशित घटना की स्थिति"** का अर्थ खंड 17.1 में दी गई इस प्रकार की अभिव्यक्तियों के अर्थ के अनुसार होगा।

1.1.9 **"अन्तिम मूल्य प्रस्ताव"** का अर्थ (भेजे गए खनिज का प्रतिशत मूल्य) जिसके आधार पर पट्टा क्षेत्र के लिए निविदा प्रक्रिया के दौरान सफल बोलीदाता को सफल घोषित किया गया था। "भेजे गए खनिज का मूल्य" (i) माह में भेजे गए खनिज; (ii) भेजे गए माह के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथा प्रकाशित खनिज (ग्रेड-वार) का विक्रय मूल्य के बराबर राशि है।

[19]खनन पट्टे के लिए नीलामी को हटा दिया जाए तथा संयुक्त अनुज्ञप्ति के लिए नहीं।

1.1.10 **"उत्तम औद्योगिक प्रैक्टिस"** का आशय, किसी भी कार्य और किसी भी परिस्थिति में कौशल, अध्यवसाय, विवेक और दूरदर्शिता का इस्तेमाल करना जो कौशल और अनुभवी व्यक्ति जो उसी अथवा समान परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं से तर्कसंगत और साधारणतया अपेक्षित है।

1.1.11 **"सरकारी अनुमोदन"** का अर्थ किसी प्रकार का प्राधिकरण, अनुमोदन, सहमति, अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति जो किसी सरकारी प्राधिकारी से आवश्यक होगा।

1.1.12 **"सरकारी प्राधिकारी"** का अर्थ कोई केन्द्रीय या राज्य सरकार का प्राधि कारी सांविधिक प्राधिकारी, सरकारी विभाग, संस्था, आयोग, बोर्ड, अधिकरण अथवा न्यायालय अथवा अन्य कानून, नियम या विनियम बनाने वाली सत्ता जो भारत के गणतंत्र की ओर से न्याय के लिए अधिकृत हो अथवा कोई राज्य अथवा उनका कोई उप विभाग या नगरपालिका, जिला अथवा उनके उपविभाग से है।

1.1.13 **"क्षतिपूर्तिकर्ता पक्षकार"** का अर्थ खंड 12.1 में दी गई, अभिव्यक्ति के अर्थ के अनुरूप होगा।

1.1.14 **"पट्टा क्षेत्र"** का अर्थ अनुसूची में भली भांति परिभाषित किया गया है।

1.1.15 **"खनिज"** का अर्थ **(खनिज का नाम)**

1.1.16 **"खनन पट्टा"** खनन पट्टा का अर्थ अधिनियम व उसके तहत बने नियमों में की अभिव्यक्ति के अनुसार होगा।

1;1.17 **"खनन योजना"** का अर्थ अधिनियम की धारा 5 की उपधार (2) के खंड (ख) के अनुसार बनाई गई खनन योजना से है।

1.1.18 **"मासिक भुगतान"** का अर्थ खण्ड 7.1.1 में की गई अभिव्यक्ति अनुसार होगा।

1.1.19 **'पक्षकारों' का संदर्भ** और अर्थ राज्य सरकार और सफल बोलीदाता के लिए सामूहिक रूप से है जबकि पक्षकार शब्द दोनों में से किसी एक के लिए प्रयोग किया जाएगा।

1.1.20 **"उत्पादन आवश्यकता"** का अर्थ खंड 8.1 में इस प्रकार की अभिव्यक्ति के अनुसार होगा।

1.1.21 **"चयनिती"** का अर्थ खंड 13.3.3 (ग) में इस प्रकार की अभिव्यक्ति के अनुसार होगा।

1.1.22 **'स्थानापन्न नोटिस'** का अर्थ खंड 13.3.3 (ग) में इस प्रकार की अभिव्यक्ति के अनुसार होगा।

1.1.23 **'अवधि'** का अर्थ खंड 18..2 में दिए गए इस प्रकार की अभिव्यक्ति के अनुसार होगा।

1.1.24 **'तृतीय पक्षकार'** का अर्थ उस ऐसे व्यक्ति से है जो इस करार का हस्ताक्षरी नही है ।

1.1.25 **'वारंटीज'** का अर्थ खंड 11.1 में इस प्रकार की अभिव्यक्ति के अनुसार होगा। जिसे अनुसूची 'च' के साथ पढ़ा जाए।

1.2 व्याख्या

1.2.1 किसी संविधि या सांविधानिक प्रावधान के संदर्भ में निम्न शामिल किया जाएगा:

(i) समय समय पर इस प्रावधान के अंतर्गत बनाए गए सभी अधीनस्थ विधान (जिन्हे संशोधित, आशोधित, पुन: विधिनिर्मित या समेकित किया गया है या नहीं); और

(ii) ऐसे प्रावधान जिनमे समय समय पर संशोधन, परिवर्तन, पुन:विधीयन अथवा समेकित सीमा उस हद तक किया गया हो (चाहे इस करार के पूर्व अथवा पश्चात) जहां इस प्रकार के संशोधन, परिवर्तन, पुन:विधीयन अथवा समेकन लागू होता है अथवा, इस करार के पूर्व इस करार के तहत कोई भी लेन देन करने के समय लागू करवाने में समर्थ होंगे और (उसके तहत उस सीमा तक जिम्मेवारी मौजूद अथवा उत्पन्न हो सकती है) कोई भी पूर्व

सांविधिक प्रावधान शामिल किए जाऐगें (समय समय पर संशोधित, परिवर्त्य, पुन: विधीयन अथवा समेकित) जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्षत: प्रावधानों को प्रतिस्थापित करती है।

1.2.2 जब तक कि संदर्भ, अन्यथा अपेक्षित न हो एक वचन में प्रयुक्त शब्द बहुवचन तथा बहुवचन में प्रयुक्त शब्द एक वचन में शामिल होंगे

1.2.3 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के संदर्भ में वे आपस में एक दूसरे में शामिल होंगे।

1.2.4 **"कंपनी"** के संदर्भ में एक कंपनी, कॉरपोरेशन या अन्य निकाय कॉरपोरेट, जहां कही और किसी भी प्रकार से निगमित या स्थापित किया गया हो, शामिल होगें।

1.2.5 वे विवरण और अनुसूचियां जो इस करार का भाग हैं और समान क्षमता और प्रभाव रखेंगे जैसा कि इस करार के प्रांरभ में स्पष्ट किया गया है और इस करार के संदर्भ में इसके सभी विवरण और अनुसूचियां शामिल होंगी। किन्हीं खंडों और अनुसूचियों का कोई भी संदर्भ, इस करार के खंड और अनुसूची होगें। अंशों अथवा अनुच्छेदों का कोई संदर्भ जब तक अन्यथा अनुसूची के भाग अथवा पैराग्राफ जिसमें संदर्भ प्रतीत होता है, के संदर्भ में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

1.2.6 इस करार अथवा अन्य दस्तावेज के संदर्भ को, इस करार अथवा इसके अन्य दस्तावेजों में जैसा कि समय समय पर संशोधनों, परिवर्तन, नवाचार, अनुपूरकों प्रतिस्थापन किया गया है, में यथासंदर्भित निर्मित किया जाएगा।

1.2.7 इस खंड का संदर्भ को जब तक कि किसी विशिष्ट प्रावधान के लिए उल्लेखित न हो यह समझा जाएगा कि इसको पूरे खंड के लिए संदर्भित किया गया है (न कि केवल उप-खंड, अनुच्छेद अथवा अन्य प्रावधान के लिए) जिसमें अभिव्यक्ति का उल्लेख हैं।

1.2.8 'पक्षकार' का संदर्भ होने पर, इसमें पार्टियों के प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त विनिर्दिष्ट व्यक्ति शामिल होंगे।

1.2.9 इस करार में उल्लेख किए गए सभी अभ्यावेदन और वारंटियाँ पूरी तरह स्वतंत्र होंगे और तब तक कि स्पष्ट रूप से विपरीत उल्लेख न हो इस करार का कोई खंड किसी अन्य खंड को लागू करने को सीमाबद्ध नहीं करता।

1.2.10 खंडों के शीर्षक, अनुसूचियों के भाग व अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ मात्र सुविधा के लिए हैं और ये इस करार की व्याख्या को प्रभावित नहीं करते।

1.2.11 **"लिखित रूप में"** का संदर्भ किसी पत्र अथवा फैक्स द्वारा किए गए पत्राचार से है (जब तक कि इसे इस करार में स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो।)

1.2.12 जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो **"एक दिन"** के समय का संदर्भ 'भारतीय मानक समय'' से होगा।

1.2.13 किन्ही शब्द जो सहित, शामिल करना, विशेषत: उदाहरणार्थ, अथवा किसी समान अभिव्यक्ति आदि पदों से बनते है के लिए यह समझा जाएगा कि वे मात्र उदाहरणस्वरूप हैं और उनके पूर्व प्रयुक्त शब्दों, विवरण, परिभाषा, वाक्यांश अथवा शब्द के भाव को सीमित नहीं करते हैं।

1.2.14 यथा स्थान संदर्भानुसार प्रयुक्त **"अन्य और अन्यथा"** निदर्शी है और अपने पूर्व प्रयुक्त शब्द को सीमित नहीं करतें।

1.2.15 **'सहमति प्रपत्र'** के दस्तावेज का संदर्भपक्षकारों द्वारा सहमत प्रपत्र में दिए गए दस्तावेज हैं और उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से उन पर पहचान के लिए हस्ताक्षर कि गए हों।

1.2.16 किसी पक्ष पर ''दायित्व'' में ऐसा एक उत्तरदायित्व शामिल होगा जिसके तहत कोई काम किए जाने की मनाही है।

2. अनुपालन

2.1 सफल बोलीदाता इस प्रकार राज्य सरकार को अभ्यावेदन और आश्वासन देता है कि उसने पट्टा क्षेत्र की निविदा प्रकिया संबधी अधिनियम की सभी निबंधन एवं शर्तों, नियमों, निविदा दस्तावेजों और यथाअपेक्षित अन्य लागू कानून का अनुपालन किया गया है और सफल बोलीदाता पट्टा क्षेत्र में खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए सभी तरह से पात्र है। सफल

बोलीदाता राज्य सरकार को यह भी अभ्यावेदन और आश्वासन देता है कि वह सभी पात्रता शर्तों का अनुपालन को पूरी करता है और भविष्य में पूरी अवधि के दौरान ये पात्रता शर्तों का अनुपालन करेगा।

2.2 सफल बोलीदाता के अभ्यावेदनों और आश्वासनों और सफल बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, प्रस्तुत दस्तावेजों और अन्य वचनबद्धताओं, जिनमें खंड II के अंतर्गत दिए गए आश्वासन शामिल हैं, के आधार पर राज्य सरकार सफल बोलीदाता के साथ पट्टा क्षेत्र में खनन पट्टा जारी करने हेतु इस करार में विनिर्दिष्ट निंबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत यह करार करती है।

3 खनन पट्टा जारी करने संबंधी शर्त:

3.1 पट्टा क्षेत्र पर, करार की तारीख से [30] दिन की अवधि के भीतर अग्रिम भुगतान की तीसरी किस्त जो भारतीय रूपए [राशि अंको में] (भारतीय रूपए [राशि, शब्दों में]) है, के पूर्व अदायगी पर सशर्त खनन पट्टा दिया जाएगा ।

3.2 राज्य सरकार इस भुगतान के प्राप्त हो जाने पर भुगतान की तारीख से 30 दिन के अंदर सफल बोलीदाता को खनन पट्टा जारी करेंगी।

3.3 पट्टा अवधि के लिए खनन पट्टा शुरू होने की तारीख निष्पादित खनन पट्टे के पंजीकरण की तारीख से होगी।

4. निष्पादन प्रतिभूति और विनियोजन :

4.1 निष्पादन प्रतिभूति

4.1.1 सफल बोलीदाता ने नीलामी नियमों की अनुसूची ।।। में दिए गए प्रारूप में राज्य सरकार को भारतीय रूपए [राशि अंको में] (भारतीय रूपए [राशि, शब्दों में]) (**"निष्पादन प्रतिभूति"**) के बराबर राशि के लिए [बैंक का नाम], [स्थान] से जारी और [राज्य की राजधानी/प्रतिभूति जमा] में देय [अचल और बिना शर्त बैंक गारंटी, दिनांक [दिनांक] का प्रावधान है।

4.1.2 निष्पादन प्रतिभूति की राशि का निष्पादन प्रतिभूति जारी होने की तारीख अर्थात [दिनांक] से प्रत्येक पाँच वर्ष पर पुर्नमूल्यांकन किया जाएगा ताकि निष्पादन प्रतिभूति की पुर्नमूल्यांकित संसाधन कीमत के 0.5 प्रतिशत के बराबर बनी रहे।

4.1.3 पुनर्मूल्यांकन के लिए सफल बोलीदाता उपरोक्तानुसार पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने के तीन माह पूर्व राज्य सरकार को इस बाबत लिखित आवेदन करेगा इस प्रकार के आवेदन में पर्याप्त विवरणों, आवेदन करने की तारीख पर पुर्नमूल्याकिंत संसाधनों की कीमत के दस्तावेजी साक्ष्यों शामिल होंगे।

4.1.4 राज्य सरकार विधिवत भरे गए इस प्रकार के आवेदनों का प्राप्ति तारीख से (3) माह के अंदर इस आवेदन का निस्तारण करेगी । यदि राज्य सरकार उपरोक्त वर्णित 3 माह की अवधि के अंदर आवेदन का निस्तारण नही करती है तो ऐसी स्थिति में आवेदन अनुमोदित मान लिया जाएगा। ऐसे मामलों मे (निष्पादन प्रतिभूति के लिए दी गई बैंक गारंटी को दूसरी अन्य बैंक गारंटी से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा) अथवा इस खंड 4 के अनुसार पुनर्मूल्यांकित मूल्य की [सिक्यूरिटी (प्रतिभूति) जमा के लिए अतिरिक्त राशि] उक्त वर्णित अवधि [3] माह समाप्त होने के [15] दिनों के अंदर जमा करवा दी जाएगी।

4.1.5 निष्पादन प्रतिभूति [अवधि] के लिए वैध रहनी चाहिए।

4.2 निष्पादन प्रतिभूति के विनियोजन की स्थितियां

4.2.1 राज्य सरकार निष्पादन प्रतिभूति का तालिका 4.3.1 (**"विनियोजन की घटना"**) में विनिर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति के उत्पन्न होने पर अपने स्व विवेकानुसार निर्धारण कर विनियोजन कर सकती है। यदि निष्पादन प्रतिभूति बैंक गारंटी के रूप में है तो राज्य सरकार विनियोजन अवसर पर उसकी मांग कर सकती है। यदि निष्पादन, प्रतिभूति जमा के रूप में है, तो राज्य सरकार विनियोजन अवसर पर प्रतिभूति जमा राशि में उतनी राशि घटा सकती है।

4.2.2 तथापि विनियोजन की स्थिति में सफल बोलीदाता की ओर से अप्रत्याशित घटना की स्थिति के कारण उत्पन्न हुआ हो और जिसे खंड 17 में किए गए प्रवाधानानुसार 'अच्छे औद्योगिक व्यवहार द्वारा सफल बोलीदाता द्वारा उपशमन न हो पा रहा हो, ऐसी स्थिति में निष्पादन प्रतिभूति का विनियोजन इस प्रकार के विशिष्ट विनियोजन अवसर के लिए नहीं किया जाएगा।

4.3 निष्पादन प्रतिभूति के विनियोजन का तरीका

4.3.1 विनियोजन अवसर की स्थिति होने पर इसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार को बिना शर्त यह अधिकार होगा कि वह निष्पादन प्रतिभूति का विनियोग करे, इसके लिए राज्य सरकार सफल बोलीदाता को निम्न अनुपात की लिखित सूचना देते हुए विनियोजन करेगी।

तालिका 4.3.1

	समायोजन कार्य	**समायोजित की जाने वाली निष्पादन प्रतिभूति की राशि**
1.	सफल बोलीदाता द्वारा खंड 3.1 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर बकाया राशि की तीसरी किस्त का भुगतान न कर पाना।	खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 14 के अनुसार संगणित ब्याज के साथ बकाया राशि की तीसरी किस्त के बराबर राशि।
2.	सफल बोलीदाता द्वारा खंड 8 के अंतर्गत अपेक्षित उत्पादन आवश्यकता का अनुपालन न कर पाना।	अनुसूची ई में विनिर्दिष्ट उत्पादन आवश्यकता के अनुपालन हेतु प्रत्येक असफलता के लिए निष्पादन प्रतिभूति का प्रतिशत।
3.	पट्टा क्षेत्र में अधिकार, शीर्षक और ब्याज पर नियंत्रण अथवा अंतरण में कोई परिवर्तन जो अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप नहीं है।	संपूर्ण निष्पादन प्रतिभूति।
4.	सफल बोलीदाता द्वारा मासिक भुगतान का भुगतान नहीं कर पाना।	खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 14 के अनुसार संगणित ब्याज के साथ देय और भुगतान योग्य मासिक भुगतान की राशि।
5.	अधिनियम के किसी प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, इस करार सहित खनन पट्टा और निविदा दस्तावेज का किसी तरह से उल्लंघन अथवा अनुपालना।	राज्य सरकार द्वारा उसके विवेकानुसार निर्धारित किया गया समानुपात।

4.3.2 निष्पादन प्रतिभूति के आंशिक अथवा पूर्ण विनियोजन होने पर सफल बोलीदाता को (i) विनियोजन अवसर में सुधार करना होगा। (ii) (निष्पादन प्रतिभूति के लिए जमा की गई बैंक गारंटी में आवश्यक अतिरिक्त राशि जमा करवानी होगी) अथवा (प्रतिभूति जमा के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि को खंड 4.3.1 के तहत नोटिस प्राप्त होने के [सात] दिन के अंदर जमा करवाना होगा)

4.3.3 किसी एक या अधिक विनियोजन अवसरों के परिणामस्वरूप यदि संपूर्ण निष्पादन प्रतिभूति का विनियोजन होने की स्थिति में राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी पूर्वाग्रह के खनन पट्टा निर्धारण हेतु पट्टाधारी के विरूद्ध कोई अन्य कानूनी कार्यवाही कर सकती है।

5. सूचना

5.1 सफल बोलीदाता उपर्युक्त कानून के तहत आवश्यक सूचनाएं राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त वह आवधिक रिपोर्ट राज्य सरकार (अथवा ऐसे किसी सरकारी प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार ने विनिर्दिष्ट किया हो) को पट्टा क्षेत्र में निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार उत्पादन आवश्यकताओं की अनुपालना सहित खनन प्रचालन संबंधी सूचनाएं देगा।

(क) प्रारंभ-पूर्व रिपोर्ट

पट्टा क्षेत्र में खनन प्रचालनों के आरंभ के पूर्व सफल बोली दाता राज्य सरकार को प्रत्येक (तीस) कलेंडर दिवस में एक बार निम्नलिखित, लिखित सूचना (प्रारंभ-पूर्व रिपोर्ट) प्रदान करेगा :-

i. खनन योजना अनुपालना तथा खनन प्रचालन के आरंभ की अनुमानित तारीख सहित पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य शुरू करने के लिए सफल बोलीदाता द्वारा की गई कार्रवाई।

ii. खनन योजना से इतर कोई उल्लंघन, इस प्रकार के उल्लंघन के कारण तथा सफल बोलीदाता द्वारा इस प्रकार के उल्लंघन को संशोधित करने के लिए उठाए गए कदम; तथा

iii. क्या सफल बोलीदाता की राय में, उपर्युक्त खनन प्रचालनों की शुरूआत के लिए उप-खंड (क) के तहत निर्धारित समयावधि के भीतर पट्टा क्षेत्र में खनन प्रचालनों का आरम्भ संभव होगा।

(ख) प्रारंभिक रिपोर्ट :-

पट्टटा क्षेत्र में खनन प्रचालन के आरंभिक (तीन) दिनों के भीतर, सफल बोलीदाता राज्य सरकार को पट्टटा क्षेत्र (प्रारंभिक रिपोर्ट) में खनन प्रचालन के प्रारंभ की पुष्टि की लिखित सूचना प्रदान करेगा।

(ग) आवधिक रिपोटिंग :-

सफल बोलीदाता अधिनियम तथा उनके तहत निर्मित नियमों के अधीन यथा आवश्यक इस प्रकार की सूचना तथा रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा ।

5.2 खंड 5.1 के अंतर्गत रिपोर्ट को राज्य सरकार के समक्ष तत्संबंधी ई-मेल के पते पर उनको ई-मेल पते सहित भेजा जाएगा : (ई-मेल पता) इस प्रकार के संलग्न पर भारत में सत्यापित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया – वर्ग - ।।। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण – पत्र का प्रयोग करते हुए सफल बोलीदाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।

5.3 राज्य सरकार के पास खंड 5.1 के अंतर्गत दी गई रिपोर्ट से संबंधित अग्रिम सूचना तथा उसके स्वतंत्र सत्यापन का पता लगाने का अधिकार होगा।

6 खनिज का उपयोग

6.1 सफल बोलीदाता अधिनियम तथा उसके तहत बने नियमों सहित लागू कानून के अनुसार खनिज का दृढता से उपयोग करेगा।

6.2 [सफल बोलीदाता यह मानता है कि पट्टा क्षेत्र को [अंत्य उपयोग विवरण] के लिए आरक्षित किया गया है तथा सफलबोलीदाता अपने अभ्यावेदन के आधार पर इलेक्ट्रानिक नीलामी के लिए पात्र होता है कि खनन पट्टे के तहत निष्कासित खनिजों का:- (i) केवल विशिष्ट अंत्य उपयोग में ही उपयोग होगा और (ii) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेचे या स्थानांतरित या अन्य किसी प्रकार से निष्पादन नही होगा८]

6.3 खनन पट्टा नीलामी से पूर्व गवेषण अनुवर्ती क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी खनिजों (गौण खनिज सहित) के लिए होगा। यदि नीलामी से पूर्व या नीलामी के बाद, गौण खनिज खोजे या प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार के गौण खनिजों को गौण खनिज रियायत नियम के प्रावधानों या संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्मित किसी भी नाम के तहत व्यवहृत किया जाएगा।

7 भुगतान

7.1 बोली राशि का भुगतान

7.1.1 सफल बोलीदाता अंतिम मूल्य प्रस्ताव **("मासिक भुगतान")** के आधार पर मासिक भुगतान करेगा। मासिक भुगतान की गणना खंड-8 में वर्णित भेजे गए खनिज का मूल्य या न्यूनतम उत्पादन मांग का मूल्य जो भी अधिकतम है, के आधार पर की जाएगी।

7.1.2 सफल बोलीदाता के द्वारा किये गए अग्रिम भुगतान राशि को पूर्ण रूप से खनिज (ओ) उत्पादन के आरंभ के पहले पांच वर्षों के भीतर अंतिम मूल्य प्रस्ताव में वर्णित भेजे गए खनिज के मूल्य के प्रतिशत के अनुरूप समायोजित किया जाएगा ।

7.1.3 मासिक भुगतान, संबधित कलेंडर माह में पट्टा क्षेत्र से निष्कर्षित खनिज के अनुपात में प्रत्येक माह के 20 कलेंडर दिवसों के भीतर करना आपेक्षित है।

7.1.4 सफल बोलीदाता द्वारा यथा आपेक्षित सभी भुगतानों को सभी प्रकार के लागू करों के निवल पर किया जाएगा । कर-देय की स्थिति में सफल बोलीदाता समग्र देय राशि की गणना कर सकल राशि का भुगतान करेगा।

7.2 अन्य भुगतान

सफल बोलीदाता अधिनियम तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों सहित लागू कानून के अंतर्गत यथावश्यक राशि का भुगतान भी करेगा ।

8 न्यूनतम उत्पादन अपेक्षा :-

8.1 पट्टा क्षेत्र में खनन प्रचालनों का संचालन में सूचीबद्ध मील के पत्थर तथा इस संबंध में उत्पादन (**"उत्पादन मांग"**) तथा प्रति वर्ष प्राप्त होने वाले न्यूनतम वाषिक उत्पादन से संबंधित होगा।

8.2 सफल बोलीदाता खंड– 5 (सूचना) में अनुबंधित तरीके से उत्पादन मांग के अनुपालन के संबंध में संकलित आवधिक सूचना राज्य सरकार को प्रदान करेगा।

8.3 उत्पादन मॉंग के साथ किसी भी प्रकार की अनुपालना खंड – 4 (निष्पादन सुरक्षा) के अंतर्गत निर्धारित विधि के तहत विनियोग में परिणित होगा तथा उस स्थिति में जहॉं इस प्रकार की गैर सम्मति की घटना अधिक (सात से) बार होती है, तो इस प्रकार की अनुपालना राज्य सरकार को पट्टा धारक के विरुद्ध बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्यवाही करने का अधिकार सुनिश्चित करती है ।

9 सामान्य अधिकार और दायित्व

9.1 **सीमित खनन अधिकार**

इस करार के अनुसार सफल बोलीदाता केवल पट्टा क्षेत्र में ही खनन प्रचालन करने का हकदार होगा तथा उसे पट्टा क्षेत्र के बाहर कहीं भी खनन प्रचालन करने का हक नहीं होगा। इसके अंतर्गत सफल बोलीदाता के प्रदत्त अधिकार, विशेषतया पट्टा क्षेत्र में ही खनन प्रचालन करने का है।

9.2 प्राधिकरण :-

सफल बोलीदाता पट्टा क्षेत्र में खनन प्रचालन संचालित करने तथा इस करार के तहत दायित्वों के निर्वहन के लिए आपेक्षित सभी सरकारी अनुमोदनों को प्राप्त कर उन्हें बनाए रखेगा। सरकार बिना किसी दायित्व के आधार पर खनन प्रचालन के लिए यथावश्यक सभी अनुमोदन तथा सहायता प्रदान करने के लिए तथा इस करार के तहत सफल बोलीदाता को इस संबंध में आपेक्षित अन्य कोई अधिकार देने हेतु उत्तरदायी है।

9.3 भूवैज्ञानिक तथा पुरातात्विक उपलब्धियॉं :-

यह स्पष्ट रूप से सहमति है कि इस करार के अंतर्गत सफल बोलीदाता को प्रदत्त प्राधिकारों के किसी भाग में खनिज (ओ) (इसके अनुवर्ती किसी खान पट्टा के तहत दिया गया हो) भूवैज्ञानिक अथवा पुरातात्विक अधिकार शामिल नहीं है तथा सफल बोलीदाता एतद्वारा यह स्वीकार करे कि खनिज के संबंध के अतिरिक्त (जैसा कि इसके अनुवर्ती किसी खनन पट्टा के

तहत आदेश दिया गया है) उसके अंतर्गत आने वाले खनिज, धातु, गैस, तेल, जीवाश्म, पुरावस्तुएं , ढांचा या अन्य अवशेष या वस्तु भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक हित से संबंधित वस्तुओं के खनन का कोई अधिकार नहीं होगा तथा पट्टा क्षेत्र में आने वाले ऐसे अधिकार हित, और सम्पति लागू कानून के अंतर्गत केन्द्र/राज्य सरकार या संबंधित सरकारी प्राधिकारी से संबंधित होगी। सफल बोलीदाता अपने मूजदूरों या किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार की वस्तुओं सम्पति की क्षति को रोकने के लिए जरूरी सावधानियों का ध्यान रखेगा तथा इनके प्राप्त होने पर केन्द्र/राज्य सरकार को तुरंत सूचना देगा तथा ऐसी सम्पति के निकालने के लिए संबंधित सरकारी प्राधिकरण जो निर्देश दे उनका पालन करे।

10 खनन योजना तथा लागू कानून का अनुपालन

अधिनियम के खंड 5 के उप-धारा (2) के खंड (ख) के अनुवर्ती खनन योजना का सफल बोलीदाता को सदैव समय पालन करना होगा। सफल बोलीदाता को खनन प्रचालन के संबंध में लागू कानून का भी पालन करना होगा।

11. अभ्यावेदन तथा वारंटी

11.1 सफल बोलीदाता परिशिष्ट च **("वारंटी")** में विहित ढंग से जैसा कि करार तारीख के अनुरूप राज्य सरकार (बशर्ते कि राज्य सरकार को लिखित में प्रस्तुत किया गया हो) के समक्ष अभ्यावेदन तथा वारंटी देगा।

11.2 इस करार के अंतर्गत किसी भी अभ्यावेदन, वारंटी, तथा/अथवा कथन को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या तत्संबंधी किसी भी एजेंट, प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी या परामर्शदाता के स्तर पर किसी भी वास्तविक या रचनात्मक जानकारी द्वारा योग्य नहीं माना जाएगा।

11.3 सफल बोलीदाता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन या वारंटी के सत्य सिद्ध होने या परिवर्तित होने की स्थिति में, सफल बोलीदाता उसके बारे में राज्य सरकार को तुरंत अधिसूचित करेगा। सफल बोलीदाता एतद्वारा उनके सारे अधिकार अभियाचना हेतु छोड़ देगा तथा राज्य सरकार को ऐसी तथ्य परिस्थिति जो कि सफल बोलीदाता के वारंटी या प्रतिज्ञा पत्र या दायित्व के विच्छेद हेतु शिकायत के लिए बचाव के तौर पर कथन को असत्य, अयथार्थ, अधूरा या गुमराह कर सकता है, नहीं उकसाएगा।

12 मुआवजा

12.1 इस खंड में, राज्य सरकार के संदर्भ में, कि राज्य सरकार के कोई भी विभाग या मंत्रालय तथा राज्य सरकार का कोई अधिकारी, कर्मचारी परामर्शदाता, प्रतिनिधी या ऐजेंट (सामूहिक रूप से ''मुआवजा पक्षकार') तथा इस खंड के प्रावधान मुआवजा पक्ष हितार्थ होगें तथा ऐसे प्रत्येक मुआवजा पक्ष से प्रवर्तनीय होगें।

12.2 सफल बोलीदाता समस्त उत्तरदायित्वों, लागत, व्यय, क्षति तथा नुकसान (बशर्ते कि किसी विशेष रूचि, दंड तथा कानूनी लागत (पूर्ण मुआवजा के आधार पर आँकलित) सभी अन्य पेशेवर लागत तथा व्यय सहित) तथा मुआवजा पक्षकार द्वारा हुए नुकसान की निम्न के संबंध में क्षतिपूर्ति की जाएगी, इस संबंध में निम्न तथ्य समाविष्ट होगें।

(क) वारंटी का कोई उल्लंघन

(ख) सफल बोलदाता का उल्लंघन या इस समझौता के नगण्य निष्पादन या गैर-निष्पादन

(ग) इस समझौता का प्रवर्तन

(घ) पट्टा क्षेत्र में खनन प्रचालन से संबंधित या एक सीमा तक कि सफल बोलीदाता,या इस के कर्मचारी या एजेंट या ठेकेदार द्वारा इस करार के निष्पादन में देरी या नगण्य निष्पादन या असफलता या उल्लंघन उत्पन्न होने पर इस करार के तहत उत्तरदायित्व से संबंधित निष्पादन या अनिष्पादन होने पर तीसरी पक्षकार के अधिकारों का वास्तविक या तथाकथित अतिक्रमण के लिए मुआवजा पक्षकार के विरुद्ध किया गया कोई दावा,

(ड.) इस करार के तहत किसी भी दायित्व के अनिष्पादन अथवा निष्पादन या पट्टा क्षेत्र में खनन प्रचालन के संबंध में अथवा मृत्यु, वैयक्तिक क्षति, सम्पति के नुकसान होने पर तीसरी पक्षकार द्वारा मुआवजा पक्षकार के विरुद्ध किया गया कोई दावा, अथवा

(च) सफल बोलीदाता द्वारा बेहतर उद्योग अभ्यास, का अभाव, उल्लंघन, नगण्य निष्पादन अथवा असफलता अथवा इस करार के निष्पादन में की गई देरी अथवा लागू कानून के साथ अवहेलना के कारण राज्य सरकार के निर्धारित सीमा के अंतर्गत स्वच्छता या कोई भी पर्यावरणीय अशोधन या क्षति सहित किसी भी प्रकार का नुकसान या क्षति,

12.3 यदि कोई पक्ष मुआवजा पक्ष के विरूद्ध दावा या दावा करने की मंशा को व्यक्त करता है जो कि इस हरजाने के अंतर्गत ('दावा') उसके हक के तौर पर माना जाता है, तो मुआवजा पक्ष जितना शीध्र हो सके पर्याप्त विवरण में दावे के प्रकार की विवेचना करते हुए सफल बोलीदाता को दावे की लिखित सूचना दे।

12.4 सफल बोलीदाता के मुआवजा पक्ष किसी भी दावे, दायित्व, लागत व्यय, क्षति या नुकसान जो भी उत्पन्न हो, से सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में तथ्य यह है कि यदि इस प्रकार के क्रिया-कलाप, यथा विवाद, समझौता या दावे का बचाव टाला जा सके तो सफल बोलीदाता उनके भरसक प्रयास करेगा।

12.5 दावा-राशि का भुगतान देय होगा तथा इसका भुगतान दावे की सूचना प्राप्ति के (तीस) दिनों के भीतर करना होगा। इस खंड के तहत यदि भुगतान बाकी रहता है तो राशि कर (या तो प्रत्यक्ष निर्धारण या इसके स्रोत के रखने पर) कर सहित देय है तथा कर सहित जो वास्तविक राशि है के सुनिश्चित हो जाने के बाद मुआवजा पक्ष सफल बोलीदाता से ये राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, तथा यदि भुगतान पर कर नही लगता है तो मुआवजा पक्ष के संबंध में भुगतान की प्रक्रिया वही होगा।

13. कार्य सौपना, वित्तपोषण की सुरक्षा :-

13.1 कार्य निषेध

13.1.1 जैसा कि इस खंड – 13 में वर्णित को छोड़कर है, जब तक राज्य सरकार की लिखित में पूर्व अनुमति नहीं मिलती है, सफल बोलीदाता इस करार पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तथा इस अनुमति को राज्य सरकार के पास बिना किसी विशेष कारण के रद्द करने का हक होगा।

13.1.2 खंड 13.2 के प्रावधानों के अनुपालना के संबंध में इस करार पर सफल बोलीदाता निम्नलिखित नतीजों के अधीन हस्ताक्षर कर सकता है।

(क) अधिनियम तथा उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत खनन पट्टा के स्थानान्तरण होने पर

(ख) खंड 13.3 के संबंध में बैंक या वित्तिय संस्थान द्वारा स्थानांतरिती को निर्धारित प्रवर्तन की मौजूदगी होने पर।

13.2 कार्य शर्त

खंड 13.3 के अधीन इस करार का कार्य निम्नलिखित पूर्ववर्ती शर्तों से संबंधित होगा:

(क) प्रस्तावित प्रतिनिधि को लागू (निर्धारित) योग्यता शर्तों को पूरा करना चाहिए,

(ख) प्रस्तावित प्रतिनिधि को अधिनियम तथा उसके अधीन विहित नियमों के प्रावधानों से बिना शर्त तथा अपरिवर्तनीय रूप से सशक्त तथा सहमत होना चाहिए तथा राज्य सरकार द्वारा विहित आचरण के अनुरूप करार का पालन करना आवश्यक है।

(ग) प्रस्तावित प्रतिनिधि को सफलबोलीदाता द्वारा प्रदत्त कतिपय स्थानापन्न निष्पादन सुरक्षा को स्थापित करने के लिए निष्पादन सुरक्षा देना आवश्यक है। तथा

(घ) प्रस्तावित प्रतिनिधि को सफलबोलीदाता से बाकी अन्य किसी राशि का भुगतान करना आवश्यक है तथा हरजाने के लिए सहमत तथा राज्य सरकार को ऐसे करार से संबंधित किसी तीसरे पक्ष या सफलबोलीदाता से किसी दावे की हर स्थिति में हानि रहित रखना आवश्यक है।

13.3 वित्त प्रवर्तन घटना के लिए प्रतिभूति

13.3.1 सफलबोलीदाता लागू कानून के अंतर्गत, पट्टा क्षेत्र में खनन प्रचालन के वित्तीय सहयोग के उद्देश्य हेतु बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों से वित्त प्राप्त करने के लिए गिरवी के माध्यम से पट्टा क्षत्र को सुरक्षा प्रदान करने का हकदार होगा तथा ऐसे सुरक्षा के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमति की अपेक्षा नहीं होगी। यह स्पष्ट किया गया है कि इस खंड-13 के संबंध में इस करार के संबंध में सफल बोलीदाता को बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों के किसी भी करार की अनुमति होगी।

13.3.2 सफलबोलीदाता (i) किसी बैंक या वित्तीय सस्थान से किसी करार के तहत इसके दायित्वों के अंतर्गत किसी चूक (ii) पट्टा क्षेत्र पर किया गया कोई सुरक्षा व्यवस्था, तथा (iii) सुरक्षा प्रवर्तनके मद्देनजर बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा शुरू की गई किसी कार्यवाही के संबंध में [दस] दिनों के भीतर राज्य सरकार को सूचित करेगा।

13.3.3 चूक की स्थिति में यथास्थिति, बैंक या वित्तीय संस्थान को अपनी सुरक्षा प्रवर्तित करने का अधिकार होगा बतशर्तें कि खंड 13.2 के तहत अधोलिखित शर्तों को निम्न तरीके से पूरा किया गया हो ।

(क) सुरक्षा प्रभाव (व्यवस्था) को लागू कानून के प्रावधानों तथा सुरक्षित साहूकारों के बीच परस्पर यदि कोई करार हो, के अनुरूप प्रयोग में लाया जाएगा।

(ख) अग्रणी प्रतिभूत साहूकार (अल्पकालीन संघटन ऋण की स्थिति में) अथवा उच्चतम अनावरण के (बहु बैंक की स्थिति में) प्रतिभूत साहूकार को राज्य सरकार को लिखित सूचना ('स्थानापन्न सूचना') देकर सफलबोलीदाता के स्थानापन्न करने का हक होगा।

(ग) राज्य सरकार को चयनिती की ग्राहयता का निर्णय लेने के लिए स्थानापन्न सूचना में समस्त योग्यता स्थितियों बाकी ऋण तथा ऐसे अन्य आँकडें तथा सूचनाओं यथा संबंधित तथा आवश्यक विवरणों सहित चयनिती के अनुपालना का विवरण, प्रस्तावित स्थानांतरिति ('चयनिती') का पूरा विवरण होगा,

(घ) राज्य सरकार को अन्य सूचना यथा-पट्टा क्षेत्र के संबंध में अधिकार तथा दायित्व प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त चयनिती के संबंध में आपेक्षित हो सकती है।

(ड) प्रतिस्थापन सूचना के साथ चयनिती द्वारा वचन पत्र होना आवश्यक है कि यह राज्य सरकार से स्वीकृत, परिपूरित, निष्पादन तथा अवशिष्ट अवधि है, इस करार के शर्तों तथा प्रसंविदाओं को पूरा करता है तथा यदि चयनिती कर करार के तहत सफलबोलीदाता होता है तो वह प्रतिभूत साहूकार से निबंधन एवं शर्तों के आधार पर बाकी ऋण चुकाने को तैयार है। चयनिती को राज्य सरकार से इन दस्तावेजों तथा करार में यह भी वचन पत्र देना होगा कि यदि आवश्यक होता है तो राज्य सरकार चयनिती से सफलबोलीदाता के प्रतिस्थापन को प्रभावित कर सकता है।

(च) राज्य सरकार (क) प्रतिस्थापन सूचना की प्राप्ति की तारीख अथवा (ख) प्रतिस्थापन सूचना, में समाविष्ट कोई आँकडा, विवरण या सूचना के संबंध में अतिरिक्त सूचना तथा स्पष्टीकरण की प्राप्ति की तारीख, जो भी बाद में हो के (साठ) दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति अन्यथा अन्य चयनिती के बारे में बताएगा।

(छ) उस स्थिति में जब राज्य सरकार, उपखंड (छ) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपनी स्वीकृति या अन्य आपत्तियों, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने में असफल होता है तो यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार को प्रतिस्थापन सूचना तथा चयनिती स्वीकार है।

13.3.4 राज्य सरकार द्वारा चयनिती की स्वीकृति होने अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थानापन्न नोटिस के स्वीकृत मानने पर यह करार चयनिती के पक्ष में किसी अन्य अधिनियम अथवा सफल बोलीदाता के विलेख के बिना समनुदेशित हुआ माना जायेगा।

14 बीमा

यहां वर्णित संपूर्ण अवधि के दौरान सफल बोलीदाता स्वयं और अपने ठेकेदारों और उपठेकेदारों की वित्तिय स्थिति सुदृढ़ और प्रतिष्ठित बीमाकर्त्ता के रूप में बनाए रखेगा, ऐसी दुर्घटनाओं और इस प्रकार की आकस्मिकताओं का ऐसी शर्तों तथा ऐसी राशियों (कटौतियों, सह-बीमा और स्व-बीमा सहित, यदि उनके संबंध में पर्याप्त आरक्षितियां रखी गई हों) का बीमा करेगा जैसा कि अच्छे औद्योगिक व्यवहारों में किया जाता है।

15 लेखा एवं लेखा परीक्षा

15.1 लेखा परीक्षित लेखा

सफल बोलीदाता अपनी सभी रसीदों, आय, व्यय, भुगतान, सम्पत्तियों और दायित्वों का लेखा जोखा रखने के लिए एक अच्छे औद्योगिक व्यवहार और अनुप्रयोज्य कानून के अनुसार लेखा पुस्तकें रखेगा।

15.2 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

राज्य सरकार को पट्टा क्षेत्र से संबंधित उन सभी मामलों, व्ययों, लागतों, वसूलियों और अन्य बातों अथवा इस करार की अनुपालना में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए जाने, आरंभ किए जाने अथवा प्रमाणित किए जाने वाले मामलों का लेखा परीक्षण और सत्यापन करने के लिए समय-समय पर और किसी भी समय अपनी लागत पर किसी ओडिट फर्म अथवा किसी लेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार होगा, दायित्व नहीं ।

15.3 विधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दावों का प्रमाणन करना

सफल बोलीदाता द्वारा राज्य सरकार को रसीदों, आय, भुगतान, लागतों, खर्चों, लेखाओं अथवा लेखा परीक्षा से संबंधित दिए गए किसी दावे अथवा दस्तावेज और उनसे मामले प्रासंगिक मामले इनके विधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किए जाने पर ही वैध एवं प्रभावी होंगे।

16 सरकारी निरीक्षण

16.1 केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार को अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस करार और अनुप्रयोजित कानून की शर्तों की अनुपालना को मॉनिटर और अधिप्रमाणित करने के लिए सफल बोलीदाता द्वारा पट्टा क्षेत्र के किसी भी भाग में की जा रही अथवा क्रियान्वित कार्यों या गतिविधियों के किसी भी समय निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र अंतर्गमन और बहिर्गमन का अधिकार होगा।

16.2 केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से पर्याप्त अग्रिम सूचना देकर किसी भी समय सफल बोलीदाता के वित्तिय और अन्य अभिलेखों तथा संव्यवहारों (किसी भी अवधि से संबंधित) को देख सकेगी, उन्हें इस प्रकार और अनुप्रयोज्य कानून, नियमों और विनियमों या उनके प्रवर्तन में जुडे नियमों की शर्तों के तहत सफल बोलीदाता के निष्पादन और अनुपालन के आकलन के उद्देश्य से उनकी प्रति लेने का अधिकार होगा।

16.3 केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार को यहां आगे दिए गए आबंधों की सफल बोलीदाता द्वारा अनुपालना के अधि प्रमाणन हेतु किसी तृत्तीय पक्ष से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निष्पादन लेखा परीक्षा कराने का अधिकार होगा।

17 अप्रत्याशित घटना की स्थिति

17.1 अप्रत्याशित घटना की स्थिति का अर्थ है निम्नलिखित घटनाओं या परिस्थितियों में से कोई अथवा निम्नलिखित घटनाओं या परिस्थितियों के ऐसे दुर्योग जो सफल बोलीदाता के समुचित नियंत्रण से बाहर हों, जिन्हें अच्छे औद्योगिक व्यवहारों या उपर्युक्त कौशल और सावधानी बरतने पर भी रोका नहीं जा सका और जिसके या जिसकी कोई परिस्थिति इसके आबंधों अथवा इसके अधिकारों के उपभोग में सफल बोलीदाता के निष्पादन का कारण बनती हो और विपरीत प्रभाव डालती हो :-

(i) प्राकृतिक आपदाएं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप अथवा अन्य प्राकृतिक प्रकोप,

(ii) महामारी अथवा महारोग

(iii) आतंकी हमला, गृह युद्ध, जन उत्तेजना या दंगे, युद्ध, युद्ध की धमकी या तैयारी करना, सेना विद्रोह, स्वीकृतियों के लागू होना, पोत-अवरोध, अथवा कूटनीतिक संबंधों का टूटना।

(iv) आणविक, रासायनिक अथवा जैविक संदूषण अथवा अतिध्वनि प्रदूषण होना।

(v) भवनों/खानों का ध्वस्त होना, आगजनी, विस्फोट अथवा दुर्घटना, या

(vi) कोई भी मजदूर या ट्रेड विवाद, हड़ताल, औद्योगिक कार्यवाही, या तालाबंदी (ऐसी घटना जो सफल बोलीदाता को पूर्णत: प्रभावित करती है, अप्रत्याशित घटना की स्थिति के रूप में होती है और ऐसे सफल बोलीदाता की श्रमिक, मुआवजा अथवा रोजगार या श्रमिक संबंधी शर्तों को आरोपित करती हैं, के अलावा)

17.2 बशर्ते कि इसकी खंड 17.3 में पालना की गई हो, यदि सफल बोलीदाता को अप्रत्याशित घटना की स्थिति द्वारा रोका गया हो, बाधा हुई हो या विलंब हुआ हो अथवा इस करार के अन्तर्गत इसके किन्हीं आबंधनों का निष्पादन में बाधित हुआ हो या विलंब हुआ हो तो सफल बोलीदाता को इस प्रकार को भंग करने वाला अथवा किसी प्रकार से ऐसी किसी विफलता के लिए उत्तरदायी अथवा ऐसे आबंधनों के निष्पादन का दोषी नहीं माना जाएगा।

17.3 अप्रत्याशित घटना की स्थिति के उत्पन्न होने पर, सफल बोलीदाता को :-

(i) अप्रत्याशित घटना की स्थिति के आरंभ होने के बाद यथा संभव समुचित व्यवहार्यपूर्ण ढंग से परंतु इसके आरंभ होने से तीस दिन बाद नहीं, राज्य सरकार को अप्रत्याशित घटना की स्थिति की शुरुआत, वह तारीख जब यह आरंभ हुई, इसकी संभावित अवधि, और इस करार के अंतर्गत इसके किसी आबंधनों को निष्पादित करने में इसकी क्षमता पर अप्रत्याशित घटना की स्थिति के प्रभाव, और

(ii) अच्छे औद्योगिक व्यवहारों का पालना करते हुए इसके आबंधनों के निष्पादन पर अप्रत्याशित घटना की स्थिति के प्रभावों से निपटने के लिए समुचित सभी प्रयासों के उपयोग करने के बारे में सूचित करना होगा।

17.4 यदि अप्रत्याशित घटना की स्थिति के कारण कोई आबंधन लगातार (एक) माह से अधिक समय तक निलंबित रहता हैं, तो पक्षकार इस करार में परिवर्तित परिस्थितियों को दर्शाने के लिए सविश्वास-पूर्वक संशोधित शर्तें तय करेंगे, बशर्ते कि यह करार इस अवधि में प्रभावी बना रहेगा, जिस अवधि में पक्षकार ऐसे किसी संशोधन की शर्तें तय कर रहे थे।

18. प्रभावी तारीख और अवधि

18.1 **प्रभावी तारीख**

यह करार करार की तारीख अर्थात (तारीख) से प्रभावी होगा।

18.2 **अवधि**

यह करार खंड 18.1 में वर्णित तारीख से आरंभ होगा और सफल बोलीदाता को प्रदत्त खनन पट्टे की वैधता अवधि तक लागू रहेगा (''अवधि'')

18.3 **पुस्तकों और रिकार्डों की अवधारणा**

पुस्तकों और अभिलेखों पर सफल बोलीदाता पट्टा क्षेत्र से संबंधित सभी दस्तावेज, पुस्तकें और अभिलेख (तीन) वर्ष की अवधि अथवा लागू कानून के तहत ऐसी वर्णित अवधि तक रखेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि लागू कानून अनुमति देता है तो सफल बोलीदाता ऐसी पुस्तकों और अभिलेखों को इलेक्ट्रोनिक रूप में भी रख सकेगा।

19 विविध

19.1 सार का समय

प्रत्येक पक्षकार एतद्वारा सहमत होगा कि सभी तारीखें और निर्धारित समयावधि अथवा इस करार में संदर्भित समय, सार का समय है।

19.2 प्रचार

सफल बोलीदाता राज्य सरकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी समाचार या संचार माध्यम में कोई सूचना, दस्तावेज अथवा किसी समाचार या संचार माध्यम में प्रकाशनार्थ लेख अथवा इस करार से संबंधित कोई जनसूचना जारी नहीं करेगा,जब तक कि लागू कानून द्वारा ऐसा करना अपेक्षित न हो, बशर्ते कि लागू कानून द्वारा ऐसी सूचना के प्रकटीकरण के पूर्व, सफल बोलीदाता को पहले राज्य सरकार को अधिसूचित करना होगा, जिसे ऐसे साभिप्राय प्रकटीकरण पर प्रतिक्रिया करने और/अथवा वाद करने का अवसर प्राप्त रहेगा।

19.3 विच्छेदनीयता

19.3.1 यदि किसी सक्षम न्यायालय अथवा किसी भी सीमा तक, अन्य सरकारी प्राधिकारी द्वारा इस करार की कोई शर्त, प्रावधान, प्रतिज्ञापत्र अथवा प्रतिबंध अथवा किसी व्यक्ति द्वारा इसके लिए आवेदन या परिस्थिति से अवैध, शून्य या अप्रवर्तनीय मान लिया जाता है, तो इस करार की शेष शर्तें, प्रावधान, प्रतिज्ञापत्र और प्रतिबंध और व्यक्तियों का तत्संबंधी आवेदन या परिस्थितियाँ (इस करार के उस भाग को छोडकर जो अवैध, शून्य और अप्रवर्तनीय हो गया है) इसे प्रभावित नहीं करेंगी और वे कानून द्वारा अनुमत्य पूर्णरूपेण प्रवर्तनीय और पूर्ण प्रभावी रहेंगी, जब तक कि यहाँ वर्णित व्यवहारों के आर्थिक अथवा विधिक प्रभाव किसी पक्षकार को किसी प्रकार से यथार्थ रूप से कुप्रभावित नहीं करें।

19.3.2 ऐसा निर्धारण होने के पश्चात, पक्षकार गण इस करार को संशोधित करने के लिए सद्विश्वास पूर्वक विचार करेंगे ताकि पक्षकारों की मूल भावना यथा संभव ऐसे रूप में स्वीकार्य हो कि यहाँ किए गए व्यवहार पूर्णरूपेण संभव मौलिक व्यवहारों से मेल खाता हो।

19.4 लागत और खर्चे

19.4.1 सफल बोलीदाता इस करार के समझौतो, तैयारियों और क्रियान्वयन के संबंध में अपनी लागतों का वहन स्वयं करेगा।

19.4.2 इस करार के लिए स्टांप शुल्क का वहन सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा।

19.5 आगामी आश्वासन

सफल बोलीदाता राज्य सरकार का सहयोग करेगा और ऐसे विलेखों और इस्तावेजो का राज्य सरकार को निष्पादन एंव प्रस्तुतिकरण करेगा और इस करार संचालन, प्रमाणन और अधिकारों तथा निहित उद्देश्यों की पुष्टि करने हेतु समय-समय पर किए गए अनुरोध के अनुसार ऐसे अन्य कार्य भी करेगा।

19.6 विधिक एवं पूर्व अधिकार

यहाँ वर्णित राज्य सरकार के सभी अधिकार एवं उपचार राज्य सरकार से संबंधित अन्य सभी अधिकरों और उपचारों के अतिरिक्त होंगे और ऐसे ऊपर वर्णित विधिक अधिकार एवं उपचार अनुवर्ती माने जाएँगे न कि वैकल्पिक, और यहाँ पक्षकारों द्वारा एवं उनके बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति और घोषणा की जाती है कि इस करार के किसी कारण जो भी हो, के निर्धारण के लिए राज्य सरकार के किसी और सभी अधिकारों तथा दावों के पूर्वाग्रह के बिना होंगे इसमें पहले ही घटित हो सकते है।

19.7 अधित्याग

19.7.1 राज्य सरकार द्वारा इस करार के तहत किसी चूक अथवा भंग होने का अधित्याग में ऐसी ही प्रकृति की किसी सारभूत चूक अथवा इस करार की किन्हीं अन्य शर्तो के लिए खनन पट्टे का निर्धारण करने का अधिकार के अधित्याग को शामिल नहीं करेगा।

19.7.2 इस करार के तहत या अनुसरण में लागू कानून द्वारा दिए गए किसी अधिकार अथवा उपचार को प्रयुक्त करने में राज्य सरकार द्वारा कोई विफलता या विलंब ऐसे किसी अधिकार या उपचार या प्रचालन या अधित्याग स्वरूप या इसमें विचलन नहीं माना जाएगा या किसी उत्तरवर्ती समय में इसके प्रवर्तन को प्रतिबन्धित करके क्षीण नहीं करेगा और कोई भी ऐसे अधिकार या उपचार का एकाकी अथवा आंशिक प्रवर्तन इसके किसी अन्य अथवा आगामी प्रवर्तन अथवा किसी अन्य अधिकार या उपचार के प्रवर्तन को प्रतिबाधित नहीं करेंगा। इस करार के तहत या अनुसरण में राज्य सरकार के अधिकार

और उपचार अनुवर्ती होंगे, प्राय: ऐसे ही प्रवर्तित किए जा सकेंगे जैसे कि उपयुक्त समझे जाए और ये लागू कानून के तहत इसके अधिकारों एवं उपचारों के अतिरिक्त होंगे।

19.7.3 इस करार या किसी लागू कानून के तहत किसी चूक या भंग से संबंधित सूचना या संदर्भ को समाविष्ट करते हुए किसी दस्तावेज, सूचना, रिपोर्ट अथवा नोटिस का राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना ऐसे भंग या चूक का अनुमोदन होना नहीं माना जाएगा और राज्य सरकार ऐसी चूक के संबंध में किसी भी समय किसी अधिकार या उपचार को प्रवर्तन कर सकेगी।

19.8 संशोधन

इस करार अथवा (इस करार में संदर्भित कोई दस्तावेज के कोई भी) संशोधन वैध नहीं होगें जब तक कि वह लिखित में नही हो और इसके प्रत्येक पक्षकार द्वारा या उसकी और से हस्ताक्षरित नहीं हों। "संशोधन" की व्याख्या के अंतर्गत किसी प्रकार से प्रभावित करने वाला कोई, परिवर्तन, अनुपूरक, विलोपन अथवा प्रतिस्थापना शामिल है। जब तक कि स्पष्ट रूप से सहमति नहीं हो जाती, कोई संशोधन इस करार के किसी प्रावधान का सामान्य अधित्याग नहीं बनेगा, न ही यह इस करार के अधीन या अनुवर्ती किसी अधिकार, दायित्व या उत्तरदायित्व को प्रभावित करेगा, जो संशोधन की तारीख से पहले उपार्जित हो चुके हैं, और इस करार के अधीन या अनुवर्ती पक्षकरों के अधिकार और दायित्व पूर्ण सक्रिय और प्रभावी बने रहेंगे, बजाय और केवल इस स्थिति में कि वे इस प्रकार संशोधित हो गए हैं।

19.9 प्रतिरूप

यह करार दो प्रतिरूपों में प्रवर्तित हो सकता है, जिनमें प्रत्येक इस प्रभाव से मूल माना जाएगा जैसा कि उस पर हस्ताक्षर हों और यहाँ वह वैसा ही दस्तावेज माने जाएगें। किंतु यह सभी एकत्रित रूप से एक समान माने जाऐंगे।

19.10 कोई एजेंसी और साझेदारी नहीं

पक्षकार सहमत है कि इस करार में किसी अन्य पक्षकार के लिए और उसकी ओर से किसी प्रकार में कोई एजेंसी गटित करना निर्वाचित नही होगा। इस करार के किसी प्रावधान से यहाँ उल्लिखित पक्षकारों के बीच साझेदारी होना नही माना जाएगा और न ही किसी पक्षकार को दूसरे पक्षकार को बाध्य करने का कोई प्राधिकार होगा या न ही वह किसी प्रकार से दूसरे पक्षकार का एजेंट होना माना जाएगा।

19.11 नोटिस

इस करार और इसमें समाविष्ट प्रावधानों के तहत दी जाने वाली अपेक्षित या स्वीकार्य सभी सूचनाएँ, अभ्यर्थनाएँ, अभियाचना और अन्य संप्रेषण (नोटिस) अंग्रेजी में लिखे जाएंगे और देय पावती सहित पंजीकृत डाक से या प्रतिकृति संचार द्वारा संचारित करके दूसरे पक्षकारों को यहाँ उल्लिखित पते पर देने होंगे या ऐसे अन्य पते पर जहाँ पक्षकार को ऐसी सूचनाएँ अभ्यर्थनाएँ, अभियाचना और अन्य संप्रेषण इस खंड में दिए गए तरीके के अनुसार पक्षकार को अंतिम बार अधिसूचित किया गया था, परंतु जब तक कि ये सूचनाएं वास्तव में उस पक्षकार द्वारा प्राप्त नहीं कर जी जाती जिसे इसके घटकों की पावती देना प्रभारित था तब तक इस पते में कोई परिवर्तन नहीं स्वीकारा जाएगा । कोई सूचना, अभ्यर्थनाएँ, अभियाचना और अन्य संप्रेषण उस पक्षकार को सुपुर्द करना होगा जिसका पता दिया गया है, जैसाकि खंड 9.11 में दिया गया है, तभी दिया हुआ माना जाएगा जब ऐसे पते पर इसकी प्राप्ति उसी दिन ले ली जाएगी।

नोटिस की प्रति देय पावती सहित पंजीकृत डाक भेजी जाएगी अथवा प्रतिकृति संचार द्वारा संचारित करके अनुसूची जी में दिए गए ईमेल पते पर केवल प्राप्तकर्त्ता के लिए सूचना ईमेल द्वारा भी भेजी जाएगी और पंजीकृत डाक द्वारा वास्तव में सुपुर्द होने अथवा प्राप्तकर्त्ता द्वारा फेक्स प्राप्त करने, जैसी भी स्थिति हो, पर ही प्रभावी मानी जाएगी।

19.12 संपूर्ण करार

खनन पट्टे में शामिल यह करार (यहाँ वर्णित सभी विलेख या दस्तावेज या प्रवर्तित अनुवर्ती या यहाँ संदर्भित सभी दस्तावेजों सहित) और निविदा दस्तावेज, यहाँ संदर्भित सभी दस्तावेजों सहित और उनके अधीन निर्मित और प्रत्येक पक्षकार के अधिकार एवं दायित्वों के संबंध में पक्षकरों के बीच संपूर्ण करार का प्रतिनिधित्व करने वाले और गठन करता है और पक्षकारों के मध्य सभी पूर्व व्यवस्थाओं, करारो या समझ, यदि कोई हो तो, मौखिक अथवा लिखित में यहां की किसी

विषय वस्तु या यहां उठाए मुद्दों के संबंध में खंडन करती है। इस करार या निविदा दस्तावेज सहित यदि खनन पट्टे पर कोई विवाद हो, तो इस करार सहित खनन पट्टे पर अवहेलना (अभिभावी) प्रभाव माना जाएगा।

19.13 दायित्वों का विशिष्ट निष्पादन

राज्य सरकार को किसी प्रकार के अन्य अधिकारों और उपचारों, वित्तीय क्षति की अपर्याप्तता के प्रदर्शन की आवश्यकता के बिना, किसी प्रकार के अन्य अधिकारों और उपचारों के साथ-साथ इस करार में जोड़ने या भंग होने से रोकने या इस करार के विशिष्ट निष्पादन को प्रवर्तित करने या प्राप्त करने का अधिकार होगा।

अनुसूची-क–व्यक्तियों की सूची[21]

[21] यह करार यदि किसी कंपनी अथवा व्यक्ति विशेष द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है तो इसे हटा दिया जाए ।

अनुसूची-ख – सहमतियों और अनुमोदनों की सूची

[निष्पादन से पूर्व उपलब्ध किया जाएगा]

अनुसूची-ग – पट्टा क्षेत्र का विवरण

[निष्पादन से पूर्व उपलब्ध किया जाएगा]

अनुसूची-घ – अंत्य उपयोग संयंत्र का विवरण

[विनिर्दिष्ट अंत्य उपयोग संयंत्र की पहचान करने के लिए विवरण उपलब्ध किया जाएगा]

[22]यदि अंत्य उपयोग को निर्धारित नहीं किया जाता है तो हटा दिया जाए

अनुसूची-ड.–उत्पादन अपेक्षाएं

[राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विवरण उपलब्ध कराया जाएगा]

अनुसूची-च - वारंटी

1. सूचना

1.1 सफल बोलीदाता द्वारा निविदा प्रक्रिया और उसके बाद किसी समय राज्य सरकार को इस करार में निहित लेकिन इस तक सीमित नहीं, सूचना सहित उपलब्ध कराई गई सूचना सत्य, सटीक है और किसी भी तरह से भ्रमित करने वाला नहीं है।

1.2 निविदा प्रक्रिया कार्य के दौरान न तो इस करार, न ही किसी सूचना और दस्तावेज में तथ्य के बारे में कोई असत्य कथन है, अथवा कथनों को यहां अथवा वहां भ्रमित न करने वाला बनाने के लिए आवश्यक सही तथ्य को नहीं कहने की भूल नहीं की गई है। निविदा प्रक्रिया के आयोजन के दौरान राज्य सरकार और/अथवा उसके परामर्शदाताओं को उपलब्ध कराए गए दस्तावेज सहीं है और पूर्ण है और निविदा प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार और/अथवा उसके परामर्शदाताओं को उपलब्ध कराई गई कोई सूचना असत्य, अपूर्ण अथवा किसी भी तरह से भ्रमित करने वाली नहीं है।

2. प्राधिकार

2.1 सफल बोलीदाता को इस करार में शामिल होने और इसके अंतर्गत दायित्व निभाने और ऐसे दायित्व के निष्पादन और सुपुर्दगी तथा निष्पादन के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने में पूर्ण कानूनी सक्षमता है।

2.2 यह करार सफल बोलीदाता द्वारा विधिवत निष्पादित और सुपुर्द किया गया है और (पार्टियों द्वारा उचित रूप से अधिकृत, निष्पादित, सुदुर्द और निष्पादन किया गया मानते हुए) इसमे करार के निबंधनों के अनुसार सफल बोलीदाता के विरूद्ध प्रवर्तनीय सफल बोलीदाता के कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व सम्मलित है।

2.3 सफल बोलीदाता ने इस करार के निष्पादन और इस करार के अंतर्गत सभी लेन-देन और कार्रवाई करने तथा इस करार से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए [दिनांक] को आयोजित इसके निदेशक बोर्ड की बैठक में सभी आवश्यक संकल्पों को पारित करवाने सहित अपेक्षित कॉरपोरेट प्राधिकार प्राप्त कर लिया है।

2.4 सफल बोलीदाता द्वारा इस करार का निष्पादन और सुपुर्दगी तथा इसके अंतर्गत दायित्वों के निष्पादन में निम्नलिखित नहीं करेगा :

(क) सफल बोलीदाता के संगठन ज्ञापन अथवा संगठन के अनुच्छेदों के किसी प्रावधान का विरोध अथवा उल्लंघन;

(ख) किसी सरकारी प्राधिकरण की अनुमति, प्राधिकार, सहमति अथवा अनुमोदन से सफल बोलीदाता की ओर से किसी फाईलिंग की आवश्यकता;

(ग) किसी संविदा अथवा लिखत, जिसमे सफल बोलीदाता पक्षकार है अथवा जिससे वह प्रतिबद्ध है अथवा जिसके अधीन उसकी परिसंपतियां है के विरोध, परिणामिक उल्लंघन, के तहत दोष (यथोचित अथवा बिना नोटिस अथवा व्यपगत समय, या दोनो), के तहत दायित्वों में अधिकता में परिणत, किसी पार्टी के पक्ष में ऐसा कोई अधिकार नहीं देगा जिससे वह इसे निरस्त, आशोधित, या रद्द कर सके या किसी नोटिस, सहमति या छूट की अपेक्षा कर सके; और

(घ) सफल बोलीदाता अथवा उसकी संपति अथवा परिसंपत्तियों पर लागू किसी कानून, लिअन, पट्टा, निर्णय, अधिनिर्णय, अधिनियम, आदेश, रिट, इंजंक्शन, डिक्री, संविधि, नियम अथवा विनियम या किसी प्रकार या प्रकृति का कोई अन्य प्रतिबंध के उल्लंघन, विरोध या कोई त्रुटि, नहीं करेगा।

2.5 कोई भी व्यक्ति इस करार से संबंधित लेन-देन में दलाली, फाईन्डर्स, अथवा अन्य समान प्रकार के शुल्क अथवा कमीशन का हकदार नहीं होगा।

3. सामान्य

सफल बोलीदाता

(क) विधिवत संगठित, भारत के कानून के तहत मौजूदा वैधता और अच्छी हैसियत रखता हो ;

(ख) नियम और निविदा दस्तावेजों के साथ पठित अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता हो ;

(ग) वित्तीय स्थिति अच्छी है और उत्पादन आवश्यकता के अनुसार पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य करने की क्षमता रखता हो;

(घ) इस करार के संबंध में भारत के सिविल और वाणिज्यिक कानून के अध्यधीन है और यह एतदद्वारा इसके संबंध में किसी भी अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अधिकार को जानबूझकर और अपरिवर्तनीय रूप से की छूट को समाप्त करता है;

(ङ) किसी भी न्यायालय के समक्ष अथवा किसी अन्य न्याय तंत्र के समक्ष न्यायिक-कल्प अथवा अन्य प्राधिकरण के समक्ष इक्विटी में कोई भी कार्रवाई अभियोग, कार्यवाही अथवा जांच लम्बित न हो अथवा सफल बोलीदाता की जानकारी में कानून के तहत उसे कोई धमकी न मिली हो जिसके कारण उसे दोषी समझा जाए;

(च) किसी भी न्यायालय के आदेश, रिट, इंजक्शन अथवा किसी भी विधि अथवा किसी भी सरकारी प्राधिकरण के किसी भी कानूनी रूप से बाध्यकारी आदेश का न तो उल्लंघन अथवा चूक की हो और न ही किसी भी उल्लंघन अथवा चूक की जानकारी हो;

(छ) लागू कानून का अनुपालन किया हो और किसी भी जुर्माने/दंडों/निषेधाज्ञा की राहत अथवा कोई भी अन्य सिविल अथवा अपराधिक दायित्वों के अधीन नही रहा है;

(ज) किसी खनन पट्टे में यथा निर्धारित को छोडकर, पट्टा क्षेत्र में और उस पर सफल बोलीदाता के सभी अधिकार और हित उसके रद्द होने अथवा समाप्त होने की तारीख को संबंधित सरकारी प्राधिकरण को प्राप्त होंगे और उसमें निहित होंगे, यह सफल बोलीदाता अथवा केंद्र सरकार की ओर से कोई भी अतिरिक्त कृत्य अथवा विलेख के बिना सभी प्रकार के ऋण भार से मुक्त होगा।

(झ) उसके तहत प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सफल बोलीदाता की ओर से नकद अथवा अन्य रूप में कोई भी रिश्वत अथवा अवैध पारितोषण अथवा कोई अन्य अवैध राशि का भुगतान नहीं किया गया है अथवा न ही किया जाएगा ;

(ञ) इस करार में शामिल किसी भी प्रावधानों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना सफल बोलीदाता यह स्वीकार करते है कि इस करार के निष्पादन से पहले सफल बोलीदाता के पास इसकी पूरी तरह तथा सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद पट्टा क्षेत्र के संबंध में स्वतंत्र मूल्यांकन है तथा राज्य सरकार द्वारा दी गई सभी सूचनाएं प्राप्त है तथा उसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में सफल बोलीदाता के समक्ष आने वाले जोखिमों और आपदाओं और प्रकृति से अवगत है । सफल बोलीदाता उपर्युक्त निर्धारित किसी भी मामले में अथवा उससे संबंधित अपर्याप्तता, की गलती अथवा त्रुटि के जोखिम को भी मानते और एतद्वारा स्वीकार करते हैं और एतद्वारा यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सरकार और कोई भी सरकारी प्राधिकरण, सफल बोलीदाता के मामले में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे ।

अनुसूची छ-नोटिस देने के लिए पते

क. राज्य सरकार को नोटिस :

पता	
दूरभाष	
फैक्स	
ई-मेल (केवल सूचना के लिए)	

केंद्र सरकार को कार्बन प्रति के साथ :

पता	**खान मंत्रालय**
दूरभाष	
फैक्स	
ई-मेल (केवल सूचना के लिए)	

ख. सफल बोलीदाता को नोटस :

पता	
दूरभाष	
फैक्स	
ई-मेल (केवल सूचना के लिए)	

इसके साक्ष्य में, पक्षकारों द्वारा इस करार को [राज्य की राजधानी] में निम्नवत तारीख और वर्ष में उनके विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा विधिवत निष्पादित करने के लिए:

हस्ताक्षरकर्ता

राज्य सरकार [सफल बोलीदाता का नाम]

.....

नाम: नाम:

पदनाम : पदनाम :

दिनांक : दिनांक :

[सफल बोलीदाता का नाम] के निदेशक बोर्ड द्वारा

[दिनांक] को पारित संकल्प के अनुसार इस करार को निष्पादित करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत

अनुसूची V: सूचना ज्ञापन का प्रारूप

[खंड 4.1 के तहत अपेक्षित सूचना, खनिज (खनिज अर्न्तवस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 की अनुसूची के भाग-IV क और IV ख के अनुरूप भूवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट सहित संलग्न की जानी है]

[खान और भूविज्ञान विभाग (जो भी कहलाता हो)]

[राज्य] सरकार

ई-मेल :[विशेष नीलामी के लिए राज्य सरकार का निर्धारित ई-मेल आईडी]

[निविदा आमंत्रण नोटिस कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय समाचार पत्र और एक स्थानीय भाषा समाचार पत्र और राज्य सरकार की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाए]

निविदा आमंत्रण नोटिस

"[खनन पट्टा/मिश्रित अनुज्ञापत्र] प्रदान करने के लिए बोली आमंत्रण करना"

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा [10ख/11] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसके तहत् अधिसूचित खनिज (नीलामी) नियम 2015 के अनुसार [राज्य] सरकार ने इलैक्ट्रोनिक नीलामी के माध्यम से [रियायत क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण दें] में [खनिज का नाम] के लिए [खनन पट्टा/संयुक्त लाइसेंस] प्रदान करने के उद्देश्य से खनिज ब्लॉक की पहचान की है और एतद्वारा केवल योग्य बोलीदाओं से डिजिटल प्रारूप में बोली आमंत्रित की है।

निविदा दस्तावेज में इलैक्ट्रोनिक नीलामी में भाग लेने संबंधी निबंधन और शर्तें, अंतिम तिथि आदि का प्रावधान है। खनिज ब्लॉक और खनिज ब्लॉक सार के लिए निविदा दस्तावेज इलैक्ट्रॉनिक रूप में नि:शुल्क उपलब्ध हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से [ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रदाता (विशेष नीलामी के लिए ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रदाता की ठीक यूआरएल)] की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता। ई-नीलामी प्रक्रिया के लिए समय, अधिसूचना, अपडेट और अन्य विवरण वेबसाइट [ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रदाता] पर उपलब्ध है।

बोली प्रक्रिया में इच्छुक और योग्य हैं, ई-नीलामी प्लेटफार्म प्रदाता की वेबसाइट से रुपए [राज्य सरकार द्वारा विर्निदिष्ट निविदा शुल्क] की निविदा शुल्क का भुगतान करने पर निविदा दस्तावेज, ऑनलाइन खरीदने के बाद ही बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं । निविदा दस्तावेज खरीदने के बाद पात्र बोलीदाता उपर्युक्त वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।

निविदा दस्तावेज को ऑनलाइन खरीदने की अंतिम तिथि [राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निविदा दस्तावेज खरीदने की अंतिम तारीख] है और बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि [राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ई-नीलामी प्लेटफार्म पर बोली प्रस्तुत करने का निश्चित समय और तारीख] है।

खनिज ब्लॉकों का सार

[ई-नीलामी प्लेटफॉर्म प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध]

भाग क- खनिज ब्लॉक संबंधी सामान्य जानकारी

	विशेषताएँ	**विवरण**
1.	**स्थान**	
	खनिज ब्लॉक	
	कॉर्नर प्वांइट (अक्षांतर, देशांतर)	
	गांव	
	तहसील/तालुका	
	जिला-	
	राज्य	

2.	**क्षेत्र (हेक्टेयर/वर्ग किमी)**	
	खनिजीकृत क्षेत्र	
	गैर-खनिजीकृत क्षेत्र	
3.	**गवेषण**	
	स्थिति (जी2/जी3/जी4 आदि)	
	गवेषण एजेंसी	
	मीटरेज के साथ बोरहोलों की कुल संख्या	
	बोरहोल स्पेसिंग (घनत्व)	
4.	**खनिजों की मात्रा (ग्रेड-अनुसार)**	
	खनिज 1, खनिज 2, खनिज 3.....खनिज ...	
	कुल भूगौलिक संसाधन (निक्षेप)	
5.	**खनिजीकृत जोन**	
	खनिज जोनों की संख्या	
	ट्रेंड (डिप और स्ट्राईक)	
	कुल मोटाई	
6.	**सुगम्यता**	
	निकटतम रेल शीर्ष	
	सडक़	
	एयरपोर्ट	
7.	**हाइड्रोग्राफी**	
	स्थानीय सतही ड्रेनेज पैटर्न (चैनल)	
	नदी/धाराएं	
8.	**जलवायु**	
	औसत वार्षिक वर्षा	
	तापमान(दिसम्बर)	
	तापमान (जून)	
9.	**टोपोग्राफी**	
	टोपोशीट संख्या	
	क्षेत्र का स्थल आकृति विज्ञान	

भाग ख- खनन कार्य संबंधी सर्वैधानिक लाइसेंसों , परमिटों, अनुमतियों, रियायतों, अनुमोदनों और सहमतियों का ब्यौरा

	विवरण	**विवरण/स्थिति**
1.	वन अनुमति	सफल बोलीदाता द्वारा प्राप्त की जाएगी/लागू नहीं/ यदि उपलब्ध है, विवरण की जानकारी दें
2.	वन्य जीव अनुमति, (अभ्यारण्य निक्षेप या विशिष्ट जोन अनुमति)	-वही-
3.	पर्यावरणीय अनुमति	-वही-
4.	स्थापना सहमति	-वही-
5	विस्फोटक लाइसेंस	-वही-
6	खान खोलने की अनुमति	-वही-
7	उपकरणों को लगाने/परीक्षण की अनुमति	-वही-
8	भू-जल अनुमति (केंद्र/राज्य)	-वही-
9	रेलवे साइडिंग का अनुमोदन	-वही-
10	डीजल संग्रहण की अनुमति	-वही-
11	राज्य डिस्कोम से पॉवर लाइन	-वही-
12	मोजूदा ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन लाइन को शिफ्ट करने संबंधी कार्य करने की अनुमति	-वही-
13	ग्राम सभा की सहमति	-वही-

भाग ग- भूमि का विवरण

	क्षेत्र	**विवरण**
1.	कुल रियात क्षेत्र	
2.	स्थिति सहित वन भूमि	
3.	स्थिति सहित सरकारी भूमि	
4.	स्थिति सहित निजी भूमि	
5.	क्षेत्र का राजस्व सर्वेक्षण विवरण	

आर श्रीधरन, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2015

No. 1/15/2015-M.VI.- Whereas in exercise of the powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government has notified the Mineral (Auction) Rules, 2015 in the notification of the Government of India in the Ministry of Mines vide number GSR 406(E) dated 20th May, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 20th May, 2015;

And Whereas sub-rule (2) of rule 9 of the Mineral (Auction) Rules, 2015 provides for issuance of a tender document by the State Government for conduct of an e-auction for grant of mining lease or prospecting licence-cum-mining lease;

Now Therefore, the Central Government hereby makes the following tender document to serve as a model for the use of the State Governments for conduct of e-auction for grant of mining lease or prospecting licence-cum-mining lease, namely:-

"**TENDER DOCUMENT**

GOVERNMENT OF [STATE]

Issued to

[Name of the Bidder]

[Address]

This Tender Document is non-transferable. The Price of this Tender Document is INR [amount in figures] (Rupees [amount in words]).

[**Note:** The Price of this Tender Document not to exceed INR 5 lakh]

[**Note:** A copy of this Tender Document is available on the website <https://www.____ > which cannot be used for the purpose of bidding and is only intended for the information of the public]

1. Important information

1.1. This Tender Document has been issued pursuant to notification of an area with the intent to carry out e-auction for grant of a [mining lease/ prospecting licence-cum-mining lease] for mineral specified herein, pursuant to the Act and the rules made thereunder. All information provided in this Tender Document should be read together with the Act and the rules made thereunder. In the event of a conflict between this Tender Document and the Act or the rules, the Act or the rules, as the case may be, shall prevail.

1.2. The information contained in this Tender Document or subsequently provided to Bidder(s), whether verbally or in documentary or any other form by or on behalf of the State Government or any of its employees or advisors, is provided to Bidder(s) on the terms and conditions set out in this Tender Document.

1.3. This Tender Document is neither an agreement nor an offer by the State Government to the prospective Bidders or any other person. The purpose of this Tender Document is to provide interested parties with information that may be useful to them in making their bids pursuant to this Tender Document. This Tender Document includes statements which reflect various assumptions and assessments arrived at by the State Government in relation to the mineral block. Such assumptions, assessments and statements do not purport to contain all the information that each Bidder may require. This Tender Document may not be appropriate for all persons, and it is not possible for the State Government, its employees or advisors to consider the investment objectives, financial situation and particular needs of each party who reads or uses this Tender Document. The assumptions, assessments, statements and information contained in the Tender Document may not be complete, accurate, adequate or correct. Each Bidder should, therefore, conduct its own investigations and analysis and should check the accuracy, adequacy, correctness, reliability and completeness of the assumptions, assessments, statements and information contained in this Tender Document and obtain independent advice from appropriate sources.

1.4. Information provided in this Tender Document to the Bidder(s) has been collated from several sources some of which may depend upon interpretation of Applicable Law. The information given is not intended to be an exhaustive account of statutory requirements and should not be regarded as complete. The State Government accepts no responsibility for the accuracy or otherwise for any statement contained in this Tender Document.

1.5. The State Government, its employees and advisors make no representation or warranty and shall have no liability to any person, including any Bidder under any law, statute, rules or regulations or tort, principles of restitution or unjust enrichment or otherwise for any loss, damages, cost or expense which may arise from or be incurred or suffered on account of anything contained in this Tender Document or otherwise, including the accuracy, adequacy, correctness, completeness or reliability of the Tender Document and any assessment, assumption, statement or information contained therein or deemed to form part of this Tender Document or arising in any way from participation in this tender process.

1.6. The State Government also accepts no liability of any nature howsoever caused arising from reliance of any Bidder upon the statements contained in this Tender Document.

1.7. The State Government may in its absolute discretion, but without being under any obligation to do so, update, amend or supplement the information, assessment or assumptions contained in this Tender Document.

1.8. The issue of this Tender Document does not imply that the State Government is bound to select a Bidder or to appoint the Preferred Bidder as Successful Bidder for the mineral block and the State Government reserves the right to reject all or any of the Bidders or bids without assigning any reason whatsoever.

1.9. Each Bidder shall bear all its costs associated with or relating to the preparation and submission of its bid including but not limited to preparation, copying, postage, delivery fees, expenses associated with any demonstrations or presentations which may be required by the State Government or any other costs incurred in connection with or relating to its bid.

1.10. This Tender Document is not transferable. The price paid by the Bidder for the Tender Document shall not be refunded.

2. Definitions

The words and expressions used herein but not defined herein shall have the same meaning as assigned to them in the Act or the rules made thereunder. The following definitions apply to this Tender Document, unless the context otherwise requires:

2.1. "**Act**" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

2.2. "**Applicable Law**" shall mean all applicable statutes, laws, by-laws, rules, regulations, orders, ordinances, protocols, codes, guidelines, policies, notices, directions, judgments, decrees or other requirements or official directive of any governmental authority or court or other law, rule or regulation approval from the relevant governmental authority, government resolution, directive, or other government restriction or any similar form of decision of, or determination by, or any interpretation or adjudication having the force of law in India.

2.3. "**Auction Rules**" means the Mineral (Auction) Rules, 2015.

2.4. "**Bidder**" means a person who has purchased this Tender Document, and the expression Bidders shall include all such persons.

2.5. "**Bid Due Date**" means the date on which the Technical Bid and the initial price offer is required to be submitted in accordance with Clause 8.1(A)(a).

2.6. "**Bid Security**" means bid security as referred to in Clause 16.

2.7. "**Concession Area**" means [*particulars of the area*] as more particularly described in the Information Memorandum.

2.8. "**Information Memorandum**" means the information memorandum provided separately containing amongst others, information specified in Clause 4.1.

2.9. "**MDPA**" means the Mine Development and Production Agreement in the format as specified in Schedule IV (*Format of MDPA*).

2.10. "**Performance Security**" means a bank guarantee in the format as provided in Schedule III of the Auction Rules or a non-interest bearing security deposit to be provided pursuant to the Auction Rules.

2.11. "**State Government**" means [*name of state government*].

2.12. "**Tender Document**" means this tender document together with the schedules and documents referred herein, including the Information Memorandum and any addenda to this Tender Document.

2.13. "**Upfront Payment**" means an amount equal to INR (amount in figures) [Rupees (amount in words)] payable pursuant to the Auction Rules.

3. Introduction

3.1. The Act stipulates grant of [mining lease / composite licence (as defined in clause (b) of sub-rule (1) of rule (2) of the Auction Rules)][1] through e-auction in respect of minerals which vest in the government other than minerals specified in Part A or Part B of the First Schedule of the Act and minor minerals as defined in clause (e) of section 3 of the Act.

3.2. In exercise of powers conferred by the section 13 of the Act, the Central Government has notified the Mineral (Auction) Rules, 2015 and the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015. The Bidders are encouraged to acquaint themselves with the Act and the rules made thereunder.

3.3. This Tender Document is being issued by the State Government, for e-auction for grant of a [mining lease/composite licence] over the Concession Area.

3.4. The e-auction would be conducted in accordance with the Act, the Auction Rules, the Minerals (Evidence of Mineral Content) Rules, 2015, any other order or notification issued by the Central Government pursuant to the Act and this Tender Document.

4. The Concession Area

4.1. The following information regarding the Concession Area is included in a separate "**Information Memorandum**" attached along with this Tender Document as Schedule V,-

(i) precise map of the Concession Area identified including geographical co-ordinates, revenue survey particulars, demarcated using total station and differential global positioning system and divided into forest land, land owned by the State Government and land not owned by the State Government;

(ii) estimated mineral resources of minerals found in the identified Concession Area determined pursuant to the Minerals (Evidence of Mineral Content) Rules, 2015;

(iii) [an indicative list of clearances and permissions required to be obtained with respect to such area for commencing mining operations]; and

(iv) the geological report of the Concession Area.

4.2. Bidders are strongly encouraged to review the Information Memorandum.

5. Eligibility

Pursuant to Rule 6 of the Auction Rules, the eligibility for participating in the e-auction shall be as follows:

(a) The Bidder must meet the Conditions specified in section 5 of the Act which is quoted[2] below:

"*5. Restrictions on the grant of prospecting licences or mining leases*

(1) A State Government shall not grant a reconnaissance permit, prospecting licence or mining lease to any person unless such person--

(a) is an Indian national, or company as defined in clause (20) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and

(b) satisfies such conditions as may be prescribed:

Provided that in respect of any mineral specified in Part A and Part B of the First Schedule, no reconnaissance permit, prospecting licence or mining lease shall be granted except with the previous approval of the Central Government.

Explanation.--For the purposes of this sub-section, a person shall be deemed to be an Indian national,--

[1] **Note:** If the e-auction is for mining lease, delete composite licence and vice-versa, in this clause and elsewhere in this Tender Document.

[2] **Note:** State Government to ascertain that the quoted text conforms to Section 5 of the Act as existing on the date of publication of the Tender Document.

(a) in the case of a firm or other association of individuals, only if all the members of the firm or members of the association are citizens of India; and

(b) in the case of an individual, only if he is a citizen of India.

(2) No mining lease shall be granted by the State Government unless it is satisfied that--

(a) there is evidence to show the existence of mineral contents in the area for which the application for a mining lease has been made in accordance with such parameters as may be prescribed for this purpose by the Central Government;

(b) there is mining plan duly approved by the Central Government, or by the State Government, in respect of such category of mines as may be specified by the Central Government, for the development of mineral deposits in the area concerned.
Provided that a mining lease may be granted upon the filing of a mining plan in accordance with a system established by the State Government for preparation, certification, and monitoring of such plan, with the approval of the Central Government."

(b) The Bidder must meet the terms and conditions regarding eligibility as stipulated in Schedule I of the Auction Rules for e-auction of Concession Area for grant of mining lease or composite licence as the case may be, as quoted[3] below:

"1 The following net worth requirements shall be applicable for an auction of mining lease depending on the Value of Estimated Resources,-

(a) *If the Value of Estimated Resources is more than Rupees 25 Crores, the applicant, including an individual, shall have a net worth more than 4% of Value of Estimated Resources.*

(b) *If the Value of Estimated Resources is less than or equal to Rupees 25 Crores, the applicant, not being an individual, shall have a net worth more than 2% of Value of Estimated Resources.*

(c) *If the Value of Estimated Resources is less than or equal to Rupees 25 Crores, the applicant, being an individual, shall have a minimum net worth of 1% of the Value of Estimated Resources.*

2 In case of auction of Composite Licence, the applicant must have a net worth of more than 1% of the Value of Estimated Resources.

Explanation:

(1) In case an applicant is a subsidiary of another company incorporated in India, the net worth of such holding company may also be considered:

Provided that, in such case, the applicant must continue to be a subsidiary of such holding company until such time the applicant meets the aforementioned net worth threshold.

(2) In case of a Company, the Net worth shall be the sum of paid up share capital and the free Reserves as per the audited Balance Sheet of the immediately preceding financial year.

(3) *In case of an individual, the Net worth shall be the closing cash balance on the last date for submission of application, and such amount may include amount in Savings Bank accounts in Scheduled Bank/ Post Office, free and un-encumbered Fixed Deposits in Scheduled Banks, Post Office, Listed Companies/Government Organisation/Public Sector Undertaking of State and Central Government, Kisan Vikas Patra, National Saving Certificate, Bonds, Shares of Listed Companies, Listed Mutual Funds, Unit Linked Insurance Plan, Public Provident Fund, Surrender Value of Life Insurance Policies in the name of Applicant.*"

[3] **Note:** State Government to ascertain that the quoted text conforms to Schedule I of the Auction Rules as existing on the date of publication of the Tender Document.

(c) [Any additional eligibility condition if prescribed by the State Government pursuant to sub-rule (2) of rule 6 of the Auction Rules to be specified here.][4]

(d) [The Concession Area has been reserved for (particulars of the end use)[5] as the specified end use pursuant to the proviso to sub-section (6) of Section 10B of the Act read with sub-rule (3) of rule 6 of the Auction Rules.][6]

(e) The eligibility conditions shall be used only for the purposes of determination of eligibility for participating in the e-auction. The Successful Bidder shall be decided solely on the basis of Final Price Offer submitted by the eligible Bidders.

6. Review period and site visit

6.1. Pursuant to sub-rule (3) of Rule 9 of the Auction Rules, the Bidders shall be provided a fixed period of [*days*] to study the Tender Document and the bidding process shall commence only after such period of [*days*].

6.2. Such period of [*days*] would commence on [*date of NIT*] and would end on [*date*].

6.3. During such period the Bidders may undertake the site visit to Concession Area at their cost and risk to ascertain for themselves the site conditions, location, communication, climate, availability of power, and any other matter considered relevant by them.

6.4. This Tender Document does not however give the unconditional or unrestricted right to access the Concession Area or the right to the Bidders to prospect for minerals. The site visit must be in compliance with Applicable Law and rights of person(s) having surface rights over the Concession Area.

6.5. In the event a Bidder undertakes a site visit, then such Bidder shall be liable towards any loss or damage caused to the site and/or the person(s) having surface rights over the Concession Area, on account of any act or omission of such Bidder or its employees, authorised representatives, agents, advisors etc.

6.6. The site visit to the Concession Area shall be conducted with prior notice to the State Government through the following email address [designated email id of the State Government for the particular e-auction].

7. Pre-bid conference

7.1. Bidders may seek clarifications or request further information regarding this Tender Document.

7.2. Any queries or requests for additional information concerning this Tender Document may be sent by e-mail to the State Government to [designated email id of the State Government for the particular e-auction] in the format specified in Schedule II (*Format for seeking clarifications regarding the Tender Document*).

7.3. The email should clearly bear the following subject line: "Queries/Request for Additional Information: Tender Document for [name of the Concession Area]".

7.4. Each query should contain complete details of facts, information and Applicable Law relevant to the query and also the particulars of the person posing the query. The State Government reserves the right to not answer any query, including any query which is incomplete or anonymous.

7.5. The queries should be emailed on or before the date specified in Clause 12 for receiving queries.

7.6. The State Government shall endeavour to respond to the queries within the period specified in Clause 12. However, the State Government reserves the right to not respond to any question or provide any clarification, in its sole discretion, and nothing in this Tender Document shall be taken or read as

[4] **Note:** To be deleted in case the State Government does not prescribe any additional eligibility condition pursuant to provisions of sub-rule (2) of rule 6 of the Auction Rules.

[5] **Note:** Pursuant to sub-rule (3) of rule 6 of the Auction Rules the State Government may prescribe a specified end use including the end use as specified in Schedule II of the Auction Rules.

[6] **Note:** To be deleted if the State Government, in terms of sub-rule (3) of rule 6 of the Auction Rules, has not reserved the Concession Area for a specified end use.

compelling or requiring the State Government to respond to any question or to provide any clarification.

7.7. The State Government shall publish the queries for which response has been provided on a website, without identifying the source of queries.

7.8. Pre-bid conference(s) of the Bidders shall be convened at the designated date as mentioned in Clause 12 at a time and place specified by the State Government. Only those persons who have purchased the Tender Document shall be allowed to participate in the pre-bid conferences.

7.9. A maximum of three representatives of each Bidder shall be allowed to participate on production of duly issued authority letter from the Bidder and identity documents. During the course of pre-bid conference(s), the Bidders may seek additional clarifications and make suggestions for consideration of the State Government.

7.10. The State Government shall endeavour to provide clarifications and such further information, as it may, in its sole discretion, consider appropriate for facilitating a fair, transparent and competitive tender process.

7.11. The State Government may also on its own motion, if deemed necessary, issue interpretations and clarifications to all Bidders. All clarifications and interpretations issued by the State Government shall be deemed to be part of the Tender Document. Provided, however, that any non-written clarifications and information provided by the State Government, its employees or representatives in any manner whatsoever shall not in any way or manner be binding on the State Government.

8. Tender process

8.1. Pursuant to sub-rule (4) of Rule 9 of the Auction Rules, the e-auction shall be an ascending forward online electronic auction and shall comprise of the following two rounds:

A. First round of e-auction

(a) In the first round, the Bidders shall be required to submit on or prior to [*exact date and time*] ("**Bid Due Date**"):

(i) the Technical Bid; and

(ii) initial price offer, which shall be a percentage of Value of Mineral Despatched and must be equal to or greater than the Reserve Price as specified in Clause 9.

The Technical Bid and the initial price offer must be submitted electronically as provided in Schedule III (*Technical details regarding electronic auction*).

(b) The Technical Bid shall be evaluated to ascertain compliance of the Bidder with the eligibility conditions and requirements under this Tender Document. While examining the Technical Bids the State Government may consider such parameters as it may deem relevant, including considerations that the Technical Bid:

(i) is received as per the prescribed formats along with all required documents and information;

(ii) is received by the Bid Due Date including any extension thereof;

(iii) is submitted electronically in the manner prescribed in Schedule III (*Technical details regarding electronic auction*);

(iv) contains all the information (complete in all respects) including the initial price offer as requested in this Tender Document;

(v) does not contain any condition or qualification;

(vi) only one Technical Bid has been made by the Bidder;

(vii) the initial price offer is equal to or greater than the Reserve Price; and

(viii) is generally considered to be in compliance in terms of any other parameters as may be considered relevant by the State Government.

(c) Only those Bidders who are found to be eligible in accordance with the prescribed eligibility conditions and whose initial price offer is equal to or

greater than the Reserve Price and whose bids meet the requirements under this Tender Document shall be declared as the "**Technically Qualified Bidders**".

(d) The highest initial price offer amongst the Technically Qualified Bidders shall be the floor price for the second round of online electronic auction ("**Floor Price**").

(e) The Technically Qualified Bidders shall be ranked on the basis of the descending initial price offer submitted by them. On the basis of such ranking the Technically Qualified Bidders, holding first fifty per cent of the ranks (with any fraction rounded off to higher integer) or the top five Technically Qualified Bidders, whichever is higher, shall be considered to be qualified for participating in the second round of online electronic auction (the "**Qualified Bidders**"). Intimation shall be restricted only to the Qualified Bidders.

Provided that where the total number of technically qualified bidders is less than three, then no technically qualified bidder shall be considered to be qualified bidder and the e-auction process shall be annulled:

Provided further that the State Government may, in its discretion, decide not to annul the e-auction process if even in the third or subsequent attempt the total number of technically qualified bidders continues to be less than three and the State Government may, in such case, decide to consider the technically qualified bidders as qualified bidders so as to continue with the bidding process:

Provided also that if the number of technically qualified bidders is between three and five, then all the technically qualified bidders shall be considered as qualified bidders:

Provided also that in the event of identical initial price offers being submitted by two or more technically qualified bidders, all such technically qualified bidders shall be assigned the same rank for the purposes of determination of qualified bidders and in such case, the aforementioned fifty per cent shall stand enhanced to fifty per cent plus the number of technically qualified bidders, whose initial price offers are identical less the number of such identical initial price offers.

Illustration:

(i) In the event there are a total of ten Technically Qualified Bidders, and each Technically Qualified Bidder submits different initial price offer, then the Technically Qualified Bidders holding the first fifty per cent of ranks shall be considered to be Qualified Bidders.

(ii) In the aforementioned case, if three Technically Qualified Bidders submit the same initial price offer and are ranked in first fifty per cent of the total number of ranks, then all the three Technically Qualified Bidders shall be considered to be Qualified Bidders and the total number of Qualified Bidders shall stand increased by two.

a. The State Government is not obliged to provide any explanation or clarification on their disqualification to Bidders who fail to qualify as Technically Qualified Bidders.

b. Technical Bids shall be deemed to be under consideration immediately after the submission and until such time the State Government makes official intimation of award / rejection to the Bidders. While the tender process is on-going, Bidders and/ or their representatives or other interested parties are advised to refrain, save and except as required/permitted under the Tender Document, from contacting by any means, the State Government and/ or their employees/ representatives on matters related to the bids under consideration.

c. Save and except as provided in this Tender Document, the State Government shall not entertain any correspondence with any Bidder in relation to acceptance or rejection of any bid or the tender process.

B. Second round of e-auction

(a) In the second round, the Qualified Bidders may submit their final price offers which shall be a percentage of Value of Mineral Despatched (the "**Final Price Offer**") which must be greater than the Floor Price. The Final Price Offer may be revised till the conclusion of the e-auction in accordance with the technical specifications of the e-auction platform as specified in Schedule III (*Technical details regarding electronic auction*).

(b) The e-auction process shall be annulled if none of the Qualified Bidders submits a Final Price Offer on the online electronic auction platform. In case the e-auction process is annulled due to non-submission of at least one Final Price Offer on the electronic auction platform, the Bid Security of the Qualified Bidder(s) who has submitted the highest Initial Price Offer i.e. the applicable Floor Price for the second round of e-auction, shall be forfeited in accordance with Clause 15.6.

(c) The Qualified Bidder who submits the highest Final Price Offer shall be declared as the "**Preferred Bidder**" immediately on conclusion of the e-auction.

8.2. The mining lease shall be for minerals found in the area pursuant to exploration prior to the e-auction:

Provided that where, subsequent to the e-auction, any new mineral is discovered, then the holder of mining lease shall follow the provisions of the Mineral Concession Rules, 1960 for inclusion of such new mineral in the Mining Lease Deed.
Where, prior to the e-auction or subsequent to the e-auction, presence of minor mineral is established or discovered, such minor minerals shall be dealt in accordance with such rules made by the State Government under section 15 of the Act.

8.3. [As mentioned in the Information Memorandum, the Concession Area also contains the following minor minerals:

particulars of the minor minerals.][7]

8.4. State Government to prescribe the manner in which the minor mineral would be extracted and payments related thereto in consonance with rules made by the State Government under section 15 of the Act.

9. Reserve Price

9.1. The Reserve Price is [percentage to be prescribed by the State Government] per cent. of Value of Mineral Despatched. The "**Value of Mineral Despatched**" shall be an amount equal to the product of,-

(i) mineral despatched in a month; and

(ii) sale price of the mineral (grade-wise and State-wise) as published by Indian Bureau of Mines for such month of despatch.

10. **Declaration of Successful Bidder and grant of mining lease**[8]

Pursuant to Rule 10 of the Auction Rules, the mining lease shall be granted to the Successful Bidder in the following manner:

10.1. Issuance of letter of intent:

A letter of intent shall be issued by the State Government to the Preferred Bidder upon payment of the first instalment of the Upfront Payment which is INR [amount in figures] (Rupees [amount in words]).

10.2. Declaration as a Successful Bidder:

The Preferred Bidder shall be considered to be the "**Successful Bidder**" upon,-

(a) continuing to be in compliance with all the terms and conditions of eligibility;

(b) payment of the second instalment of the Upfront Payment which is INR [amount in figures] (Rupees [amount in words]);

[7] **Note:** To be deleted if the Concession Area does not have minor minerals**.**

[8] **Note:** To be retained if e-auction is for mining lease. To be deleted if e-auction is for composite licence**.**

(c) furnishing the Performance Security pursuant to the Auction Rules, valid for the period specified in the MDPA, for an amount equal to INR [amount in figures] (Rupees [amount in words]). Pursuant to sub-rule (1) of rule 12 of the Auction Rules, the Performance Security shall be adjusted every five years so that it continues to correspond to 0.50% of the reassessed value of estimated resources determined in accordance with the Auction Rules. In such case, bank guarantee constituting the Performance Security shall be substituted with another bank guarantee of the same value issued in accordance with this Clause 10.2, which is for the revised amount or if the Performance Security has been provided through a security deposit, additional amount towards security deposit shall be provided;

(d) satisfying the conditions specified in clause (b) of sub-section (2) of section 5 of the Act with respect to a mining plan; and

(e) [satisfying such other conditions as may be specified by the State Government with the prior approval of the Central Government.][9]

10.3. Execution of Mine Development and Production Agreement:

The State Government and the Successful Bidder shall enter into the MDPA upon the Successful Bidder having obtained all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under Applicable Law for commencement of mining operations.

10.4. Grant of mining lease:

Subsequent to execution of the MDPA, the Successful Bidder shall pay the third instalment of the Upfront Payment which is INR [amount in figures] (Rupees [amount in words]). Upon such payment the State Government shall grant a mining lease to the Successful Bidder within a period of 30 days from the date of payment. The date of the commencement of the period for which a mining lease is granted shall be the date on which a duly executed mining lease is registered.

11. **Declaration of Successful Bidder and grant of composite licence**[10]

Pursuant to rule 18 of the Auction Rules, the composite licence shall be granted to the Successful Bidder in the following manner:

11.1. Issuance of letter of intent:

Upon completion of the e-auction process, the Preferred Bidder shall submit Performance Security in the manner specified in rule 19 of Auction Rules. Upon receipt of such Performance Security, the State Government may issue a letter of intent to the Preferred Bidder. Upon receipt of the letter of intent the Preferred Bidder shall be considered to be the "**Successful Bidder**".

11.2. Grant of composite licence followed by mining lease:

(a) On receipt of the letter of intent the Preferred Bidder shall be considered to be the "**Successful Bidder**" upon fulfilment of the following conditions:

(i) compliance with all the eligibility conditions;

(ii) obtaining all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under Applicable Law for commencement of prospecting operations; and

(iii) submitting the Scheme of prospecting.

(b) Upon fulfilment of the conditions listed in clause (a) the State Government shall grant a composite licence to the Successful Bidder.

(c) The holder of composite licence shall be eligible to receive a mining lease pursuant to the provisions of the Act and the Auction Rules.

[9] **Note:** To be inserted in case the State Government has obtained the approval of Central Government prior to issue of this Tender Document.

[10] **Note:** To be retained if e-auction is for composite licence. To be deleted if e-auction is for mining lease.

12. Timetable

The following timetable shall apply to the tender process. The timetable may be amended by the State Government through issuance of an addendum to the Tender Document.

S. No.	Event Description	Estimated Time (Days)	
Stage I – E-auction process for selection of Preferred Bidder			
1.	Publication of notice inviting tender in at least one English national newspaper and one local language newspaper and on the State Government website	T_0 (For ML)	T_0 (For Composite Licence)
2.	Commencement of sale of Tender Document.	T_0	T_0
3.	Last date for sale of Tender Document.	T_0+15	T_0+15
4.	Last date of receiving queries from Bidders	T_0+25	T_0+25
5.	Pre-bid conference.	T_0+30	T_0+30
6.	Last date for responses to queries by the State Government	T_0+40	T_0+40
7.	Bid Due Date (Technical + initial price offer) [State Government to specify exact time]	T_0+45	T_0+45
8.	Opening of the Technical Bids.	T_0+46	T_0+46
9.	Start date for examination of the Technical Bids	T_0+46	T_0+46
10.	Announcement of the Technically Qualified Bidders	T_0+60	T_0+60
11.	Training and mock-auctions for all the Technically Qualified Bidders on e-auction platform by the e-auction platform provider	T_0+62	T_0+62
12.	Opening of initial price offers of Technically Qualified Bidders and intimation of Qualified Bidders two days prior to the scheduled date of e-auction of the respective mineral block (to Qualified Bidders only)	T_0+65	T_0+65
13.	Conduct of ascending forward electronic auction and submission of Final Price Offer on the electronic auction platform	T_0+67	T_0+67
14.	Announcement of Preferred Bidder	T_0+67	T_0+67
15.	Payment of first instalment (10%) of Upfront Payment by the Preferred Bidder for mining lease. Or payment of Performance Security in case of composite licence	T_0+97	T_0+97
16	Issuance of letter of intent by State Government	T_0+105	T_0+105
Stage II after Preferred Bidder obtains all necessary clearances/approvals from various government agencies/departments			
1.	Applicable for mining lease only – submission of Performance Security and mining plan along with second instalment (10%) of Upfront Payment by the Preferred Bidder to become Successful Bidder. [Applicable to composite licence – submission of Performance Security and prospecting scheme]	T_1	T_1
2.	Issuance of order by State Government acknowledging as the Successful Bidder	T_1+10	T_1+10
3.	Applicable for mining lease only – Mine Development Production Agreement (MDPA) to be executed	T_1+20	T_1+10

	between State Government & Successful Bidder after payment of third instalment (80%) of Upfront Payment; mining lease to be executed by State Government. Successful Bidder to become holder of mining lease. [Applicable for composite licence – signing of composite licence deed.]		

13. Payments by the Successful Bidder [11]

13.1. Upfront Payment

The Upfront Payment paid by the Successful Bidder shall be adjusted in full against the amount payable in accordance with the percentage of Value of Mineral Despatched quoted as the Final Price Offer within the first 5 years of commencement of production of mineral(s).

13.2. Periodic payments

A holder of mining lease shall make such payments as specified in rule 13 of the Auction Rules. It is clarified that, the holder of mining lease shall make monthly payments with respect to the Value of Mineral Despatched or the minimum production requirement as specified in the MDPA, whichever is higher.

14. General conditions regarding tender process

14.1. Submission of Technical Bid

14.1.1. The Technical Bid shall comprise of the following:

(a) Bid letter in the format specified in Part B of Schedule I (*Format of bid letter*);

(b) Bid Security in form of a bank guarantee for an amount equal to INR [amount in figures] (Rupees [amount in words]) in the format specified in Part C of Schedule I (*Format of Bid Security*), which shall be subject to Clause 15;

(c) In case of Bidder being a company, a power of attorney in the format specified in Part D of Schedule I (*Format of power of attorney*) authorising the signatory of the bid to participate in the tender process and do all acts pursuant thereto on behalf of the Bidder, including usage of the digital signature on behalf of the Bidder. In case of Bidder being an individual, power of attorney would not be required but such individual must personally sign;

(d) Affidavit in the format specified in Part E of Schedule I (*Format of affidavit*); and

(e) In case of Bidder being a company, duly certified copy of the corporate authorisation, such as board resolution to participate in the tender process and submit a bid.

14.1.2. The Technical Bid shall be submitted on the electronic platform and the duly executed original physical copies must be sent to the following address so that they are received on or prior to the Bid Due Date, failing which the Technical Bid shall be deemed to be not received.

[*Designated address of the State Government for the purpose of particular e-auction.*]

14.2. Language

The Bid and all communications in relation to or concerning the Tender Document and the Bid are required to be in the English language.

14.3. Documents and information

The documents including this Tender Document and all attached documents, provided by the State Government are and shall remain or become the properties of the State Government and are

[11] **Note: Applicable in case of a Mining Lease**

transmitted to the Bidders solely for the purpose of preparation and the submission of a bid in accordance herewith. Bidders are required to treat all such information as strictly confidential and shall not use it for any purpose other than for preparation and submission of their bid. The provisions of this Clause shall also apply to bids and all other documents submitted by the Bidders in relation to the bid, and the State Government will not return to the Bidders any bid, document or any information provided along therewith.

14.4. Overriding effect

If there is a conflict between the [mining lease which is inclusive of the MDPA / prospecting licence-cum-mining lease] and this Tender Document, the [mining lease which is inclusive of the MDPA /prospecting licence-cum-mining lease] would have overriding effect.

14.5. Cost of bidding

The Bidders shall be responsible for all of the costs associated with the preparation of their bids and their participation in the tender process. The State Government will not be responsible or in any way liable for such costs, regardless of the conduct or outcome of the tender process.

14.6. Verification of information by the Bidders

14.6.1. It shall be deemed that by submitting a bid, the Bidder has:

(a) made a complete and careful examination of the Tender Document and unconditionally and irrevocably accepted the terms thereof;

(b) reviewed all relevant information provided by the State Government, as may be relevant to the bid;

(c) accepted the risk of inadequacy, error or mistake in the information provided in the Tender Document or furnished by or on behalf of the State Government relating to any of the matters related to the e-auction process.

(d) satisfied itself about all matters regarding the e-auction process for submitting an informed bid, in accordance with this Tender Document and performance of all of its obligations;

(e) acknowledged and agreed that inadequacy, lack of completeness or incorrectness of information provided in the Tender Document or ignorance of any of the matters related to the e-auction process hereinabove shall not be a basis for any claim for compensation, damages, extension of time for performance of its obligations, loss of profits etc. from the State Government, or a ground for termination of the MDPA by the Successful Bidder; and

(f) agreed to be bound by the undertakings provided by it under and in terms hereof.

14.6.2. The State Government shall not be liable for any omission, mistake or error in respect of any of the information provided or on account of any matter or thing arising out of or concerning or relating to the Tender Document or the tender process, including any error or mistake therein or in any information or data given by the State Government.

14.7. Verification by the State Government and disqualification

14.7.1. The State Government reserves the right to verify all statements, information and documents submitted by the Bidder in response to the Tender Document and the Bidder shall, when so required by the State Government, make available all such information, evidence and documents as may be necessary for such verification. Any such verification or lack of such verification by the State Government shall not relieve the Bidder of its obligations or liabilities hereunder nor will it affect any rights of the State Government thereunder.

14.7.2. The State Government reserves the right to reject any bid, and appropriate the entire Bid Security if:

(a) at any time, a misrepresentation is made or uncovered,

(b) the Bidder does not provide, within the time specified by the State Government, the supplemental information sought by the State Government for evaluation of the bid, or

(c) any act or omission of the Bidder results in violation of or non-compliance with the Act, the rules thereunder, this Tender Document, or any other document referred

therein or issued pursuant thereto or any Applicable Law relevant for the tender process.

14.7.3. Any rejection of a bid under Clause 14.7.2 may lead to the disqualification of the Bidder for bidding for any e-auction or allotment conducted by the State Government for a period of 5 years starting from the date of appropriation of the Bid Security or any other earlier date specified by the State Government.

14.7.4. In the aforementioned events, the State Government shall be entitled to forfeit and appropriate the Bid Security or Performance Security, as the case may be, without prejudice to any other right or remedy that may be available to the State Government under the Tender Document, or otherwise, without any liability whatsoever.

14.8. **Amendment of Tender Document**

14.8.1. At any time prior to the Bid Due Date, the State Government may, for any reason, whether at its own initiative or in response to clarifications requested by a Bidder, amend the Tender Document.

14.8.2. Any amendment issued hereunder will be in writing and shall be made available to all the Bidders and shall be deemed to be part of the Tender Document.

14.8.3. In order to afford the Bidders a reasonable time for taking an amendment into account, or for any other reason, the State Government may, in its sole discretion, extend the Bid Due Date in accordance with Clause 14.9.

14.9. **Bid Due Date and extension**

14.9.1. Technical Bids should be uploaded and the documents required to be submitted physically in original pursuant to Clause 14.1.2 must be received before the Bid Due Date. Technical Bids received by the State Government after the specified time on the Bid Due Date shall not be eligible for consideration and shall be summarily rejected.

14.9.2. The State Government may, in its sole discretion, extend the Bid Due Date by issuing an amendment that is made available to all Bidders.

14.10. **Modifications/ substitution/ withdrawal of bids**

14.10.1. The Bidder may modify, substitute or withdraw its Technical Bid after submission, prior to the Bid Due Date. No Technical Bid shall be modified, substituted or withdrawn by the Bidder on or after the Bid Due Date, unless the same has been expressly sought by the State Government.

14.11. **Rejection of bids**

14.11.1. Notwithstanding anything contained in this Tender Document, the State Government reserves the right to reject any bid and/or to annul the tender process and reject all bids at any time without any liability or any obligation for such acceptance, rejection or annulment, and without assigning any reasons thereof.

14.11.2. In case such cancellation is pursuant to non-compliance by the relevant Bidders vis-à-vis submissions of bid then the State Government reserves the right to appropriate the relevant Bid Security submitted by such non-compliant Bidders.

14.11.3. The State Government reserves the right not to proceed with the tender process at any time, without notice or liability, and to reject any bid without assigning any reasons.

14.11.4. Without prejudice to the generality of the foregoing, the State Government reserves the right to reject any bid on any criteria specified in this Tender Document, including without limitation, the following:

(a) bids have not been submitted with all the information and details listed in this Tender Document.

(b) bid is not in conforming to the terms of Clause 8.1(A)(b) of this Tender Document.

(c) bids have been submitted without Bid Security or period of validity.

(d) bids have otherwise not been submitted in accordance with the Tender Document.

14.12. **Validity of bids**

14.12.1. The initial price offer shall be valid for a period of 180 days from the Bid Due Date. If the second round of e-auction is not conducted within a period of 180 days from the Bid Due Date, then the e-auction process will be annulled and the State Government will refund the price of Tender Document to the Bidders.

14.13. **Change affecting the Bidder**

Upon submission of the Technical Bid, any change affecting the Bidder regarding compliance with the eligibility conditions shall result in disqualification of the Bidder. Any change in any information submitted by the Bidder must be immediately communicated to the State Government.

14.14. **Minor deviations**

The State Government may permit minor deviations from the requirements of this Tender Documents. It is clarified that such minor deviation would not be permitted in matters related to eligibility and shall be permitted only with respect to procedural requirements. The decision of the State Government regarding what constitutes minor deviation shall be final and binding.

15. Bid Security

15.1. The Bidder shall furnish as part of its Technical Bid, a security in the form of a bank guarantee payable at [capital of the state] by a Scheduled Bank as listed in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934, excluding those listed under the headings of Gramin Banks, Urban Co-operative Banks and State Co-operative Banks, in favour of the State Government in substantially the same format as prescribed at Part C of Schedule I (*Format of bid security*), and having a validity period of not less than 240 days from the Bid Due Date, inclusive of a claim period of 60 days, and may be substituted with another bank guarantee of the same value issued in accordance with this Clause, which is valid for an extended period as may be mutually agreed between the State Government and the Bidder from time to time.

15.2. The Bid Security shall be for INR [amount in figures] (Rupees [amount in words]).

15.3. Save and except as provided in this Tender Document, the Bid Security of unsuccessful Bidders will be returned by the State Government, without any interest, as promptly as possible.

15.4. The Successful Bidder's Bid Security will be returned, without any interest, upon furnishing of the Performance Security in accordance with the provisions thereof.

15.5. The State Government shall be entitled to forfeit and appropriate the Bid Security as damages, amongst others in any of the events specified in this Tender Document. The Bidder, by submitting its bid pursuant to this Tender Document, shall be deemed to have acknowledged and confirmed that the State Government will suffer loss and damage on account of withdrawal of its bid or for any other default by the Bidder during the period of bid validity as specified in this Tender Document. No relaxation of any kind on Bid Security shall be given to any Bidder.

15.6. The Bid Security shall be forfeited as damages without prejudice to any other right or remedy that may be available to the State Government under the Tender Document and/or otherwise, under, inter alia, the following conditions:

(a) If a Bidder submits a Technical Bid which is not conforming to this Tender Document, the Act or the rules framed thereunder or submits an initial price offer which is less than the Reserve Price;

(b) If a Bidder engages in a Corrupt Practice, Fraudulent Practice, Coercive Practice, Undesirable Practice or Restrictive Practice as specified in Clause 16 of this Tender Document;

(c) If a Bidder withdraws its bid during the period of bid validity as specified in this Tender Document or as extended by mutual consent of the respective Bidder(s) and the State Government;

(d) In the case of Successful Bidder, if it fails within the specified time limit to furnish the Performance Security and make payment of Upfront Payment within the period prescribed in this Tender Document; or

(e) If the e-auction process is annulled due to non-submission of at least one Final Price Offer on the electronic e-auction platform, by the Qualified Bidder(s) who has submitted the highest Initial Price Offer i.e. the applicable Floor Price for the second round of e-auction.

16. Fraud and Corrupt Practices

16.1. The Bidders and their respective officers, employees, agents and advisers shall observe the highest standard of ethics during the tender process and subsequent to the grant of the mining lease. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, the State Government may reject a bid, withdraw the mining lease, or terminate the MDPA, as the case may be, without being liable in any manner whatsoever to the Bidder, Technically Qualified Bidder, Preferred Bidder, or the Successful Bidder, as the case may be, if the State Government determines that the Bidder, Technically Qualified Bidder, Preferred Bidder, or Successful Bidder, as the case may be, has, directly or indirectly or through an agent, engaged in Corrupt Practice, Fraudulent Practice, Coercive Practice, Undesirable Practice or Restrictive Practice in the tender process. In such an event, the State Government shall be entitled to forfeit and appropriate the Bid Security or Performance Security, as the case may be, as damages, without prejudice to any other right or remedy that may be available to the State Government under the Tender Document and/ or otherwise.

16.2. Without prejudice to the rights of the State Government under Clause 16.1 hereinabove and the rights and remedies which the State Government may have under the mining lease or the MDPA, or otherwise if a Bidder, Preferred Bidder or Successful Bidder, as the case may be, is found by the State Government to have directly or indirectly or through an agent, engaged or indulged in any Corrupt Practice, Fraudulent Practice, Coercive Practice, Undesirable Practice or Restrictive Practice during the tender process, or after the grant of the mining lease or the execution of the MDPA, such Bidder or Successful Bidder shall not be eligible to participate in any tender or Tender Document issued by the State Government during a period of 5 years from the date such Bidder or Successful Bidder, as the case may be, is found by the State Government to have directly or indirectly or through an agent, engaged or indulged in any Corrupt Practice, Fraudulent Practice, Coercive Practice, Undesirable Practice or Restrictive Practices, as the case may be.

16.3. For the purposes of this Tender Document, the following terms shall have the meaning hereinafter respectively assigned to them:

(a) "**Corrupt Practice**" means (i) the offering, giving, receiving, or soliciting, directly or indirectly, of anything of value to influence the actions of any person connected with the tender process (for avoidance of doubt, offering of employment to or employing or engaging in any manner whatsoever, directly or indirectly, any official of the State Government who is or has been associated in any manner, directly or indirectly, with the tender process or arising therefrom, before or after the execution thereof, at any time prior to the expiry of 1 year from the date such official resigns or retires from or otherwise ceases to be in the service of the State Government, shall be deemed to constitute influencing the actions of a person connected with the tender process); or (ii) save and except as permitted under this Tender Document, engaging in any manner whatsoever, whether during the tender process or after the grant of the mining lease or after the execution of the MDPA, as the case may be;

(b) "**Fraudulent Practice**" means a misrepresentation or omission of facts or suppression of facts or disclosure of incomplete facts, in order to influence the tender process;

(c) "**Coercive Practice**" means impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any person or property to influence any person's participation or action in the tender process;

(d) "**Undesirable Practice**" means (i) establishing contact with any person connected with or employed or engaged by the State Government with the objective of canvassing, lobbying or in any manner influencing or attempting to influence the tender process; (ii) having a conflict of interest; or (iii) violating of any Applicable Law; and

(e) "**Restrictive Practice**" means forming a cartel or arriving at any understanding or arrangement among Bidders with the objective of restricting or manipulating a full and fair competition in the tender process.

17. Other provisions

17.1. **Governing law**

The tender process shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of India.

17.2. **Right of State Government**

17.2.1. The State Government, in its sole discretion and without incurring any obligation or liability, reserves the right, at any time, to;

(a) suspend and/ or cancel the tender process and/or amend and/or supplement the tender process or modify the dates or other terms and conditions relating thereto;

(b) consult with any Bidder in order to receive clarification or further information;

(c) retain any information and/ or evidence submitted to the State Government by, on behalf of, and/or in relation to any Bidder; and/or

(d) independently verify, disqualify, reject and/or accept any and all submissions or other information and/or evidence submitted by or on behalf of any Bidder.

17.2.2. It shall be deemed that by submitting the bid, the Bidder agrees and releases the State Government, its employees, agents and advisers, irrevocably, unconditionally, fully and finally from any and all liability for claims, losses, damages, costs, expenses or liabilities in any way related to or arising from the exercise of any rights and/or performance of any obligations hereunder, pursuant hereto and/or in connection with the tender process and waives, to the fullest extent permitted by Applicable Law, any and all rights and/or claims it may have in this respect, whether actual or contingent, whether present or in future.

Schedule I: Format of Technical Bid

A. General instructions:

The Technical Bid comprises of the following documents:

(a) Bid letter in the format specified in Part B (*Format of bid letter*);

(b) Bid Security in form of a bank guarantee for an amount equal to INR [amount in figures] (Rupees [amount in words]) in the format specified in Part C (*Format of bid security*);

(c) In case of Bidder being a company, a power of attorney in the format specified in Part D (*Format of power of attorney*) authorising the signatory of the bid to participate in the tender process and do all acts pursuant thereto on behalf of the Bidder, including usage of the digital signature on behalf of the Bidder. In case of Bidder being an individual, power of attorney would not be required but such individual must personally sign; and

(d) Affidavit in the format specified in Part E (*Format of affidavit*).

All the aforementioned documents are required to be uploaded on the electronic e-auction platform and the original physical copy must be dispatched in accordance with Clause 14.1.2 so that they are received on or prior to the Bid Due Date, failing which the Technical Bid shall be deemed to be not received.

Specific instructions for submission of each of the aforementioned documents are provide below in each part.

B. Bid letter

(1) Instructions for submission of the bid letter

(a) The bid letter must be printed on the letterhead of the Bidder, if the Bidder is a company firm or other association of individuals. In case the Bidder is an individual, it may be printed on plain paper.

(b) The bid letter must be signed by a duly authorized representative of the Bidder, in case the Bidder is a company. In case the Bidder is an individual, the Bidder must personally sign the bid letter.

(c) The corporate authorisation of the authorised signatory of the Bidder (which is a company) must be enclosed with the bid letter. It is recommended that the Bidder may authorise one person to deal with all matters related to bid. However, if the Bidder has authorised more than one person, then the corporate authorisation of all such persons should be enclosed. Any change in such corporate authorisation must be immediately intimated to the State Government.

(d) Documents to evidence compliance with the eligibility conditions must be enclosed with the bid letter, duly certified by one of the directors of the Bidder, in case the Bidder is a company, or self-attested in case the Bidder is an individual. Such documents must include:

(i) Certificate of registration of the Bidder which is a company, or copy of passport or other nationality document in case Bidder is an individual.

(ii) In case the Bidder is a firm or association of individuals, the constituents documents along with particulars of all the members of the firm or association. In such case each member of the firm or association would be required to comply with the requirements prescribed in the Tender Documents with respect to submission of documents.

(iii) [Turnover and net worth certificate issued by: (a) statutory auditors of the Bidder (which is a company); or (b) a chartered accountant or a merchant banker registered with the Securities and Exchange Board of India – in case Bidder is an individual.] OR[12] [Certificate regarding the total amount as closing cash balance issued by a chartered accountant or a merchant banker registered with the Securities and Exchange Board of India.]

(iv) [Documents to evidence the requirements of minerals for the specified end-use][13].

(v) Particulars of mining lease, reconnaissance permit or prospecting licence held by the Bidder for the purpose of section 6 of the Act.

(2) Format of bid letter

[*date*]

To
[Name and address of State Government]

Sub: Bid letter for participation in e-auction for grant of mining lease for [*name of the Concession Area.*]

Dear Sir,

With reference to your Tender Document dated [*date*], I, having examined the Tender Document and understood their contents, hereby submit my Technical Bid. Capitalised expressions used in this letter have the same meaning as ascribed thereto in the Tender Document.

1. The Technical Bid is unconditional and unqualified.

2. We have reviewed the terms of the Tender Document and hereby unconditionally and irrevocably accept, agree and acknowledge the terms thereof.

3. We acknowledge that the State Government will be relying on the information provided in the Technical Bid and the documents accompanying the Technical Bid for selection of the Preferred Bidder and subsequent selection of the Successful Bidder, and we certify that all information provided therein is true and correct; nothing has been omitted which renders such information misleading; and all documents accompanying the Technical Bid are true copies of their respective originals.

4. This statement is made for the express purpose of our participation in the tender process and possible selection as Successful Bidder.

5. We hereby confirm that we satisfy all the eligibility conditions prescribed in the Tender Document. Specific confirmations with respect to our compliance with the eligibility conditions are provided below:

 (a) [Insert separate paragraphs for compliance with each of the eligibility conditions] of the Tender Documents, with specific reference to enclosed documents as mentioned in the instructions.]

6. We hereby acknowledge that if we submit or produce any document and it is discovered subsequently that such document was false or incorrect then we shall be liable under the Applicable Law for the time being in force.

7. [State Government to specify additional statements to confirm compliance with end-use requirements, if so specified by the State Government.]

[12] **Note: Delete whichever is not applicable.**

[13] **Note: To be deleted if the State Government has not specified any end use.**

8. We shall make available to the State Government any additional information it may find necessary or require to supplement or to authenticate the Technical Bid.

9. I acknowledge the right of the State Government to reject our Technical Bid and/or the Final Price Offer without assigning any reason or otherwise and hereby waive, to the fullest extent permitted by Applicable Law, our right to challenge the same on any account whatsoever.

10. We declare that:

a) We have examined and understood the Act, all rules framed thereunder, the Tender Document and all documents referred therein including the Information Memorandum;

b) We have examined and have no reservations to the Tender Document, including any addendum issued by the State Government;

c) We have not directly or indirectly or through an agent engaged or indulged in any Corrupt Practice, Fraudulent Practice, Coercive Practice, Undesirable Practice or Restrictive Practice, as defined in the Tender Document, in respect of any tender or request for proposal issued by or any agreement entered into with the State Government or any other public sector enterprise or any government, central or state; and

d) We hereby certify that we have taken steps to ensure that in conformity with the provisions of Clause 16 of the Tender Document, no person acting for us or on our behalf has engaged or will engage in any Corrupt Practice, Fraudulent Practice, Coercive Practice, Undesirable Practice or Restrictive Practice.

11. We understand that you may cancel the tender process at any time and that you are neither bound to accept any bid that you may receive nor to invite the Bidders to bid, without incurring any liability to the Bidders, in accordance with the Tender Document.

12. We hereby irrevocably waive any right or remedy which we may have at any stage at law or howsoever otherwise arising to challenge or question any decision taken by the State Government in connection with the selection of the Preferred Bidder, or in connection with the tender process itself, in respect of the Tender Document and the terms and implementation thereof.

13. In the event of we being declared as the Successful Bidder, we agree to enter into MDPA and other documents in accordance with the Tender Document and pay such amounts and provide such security as required therein.

14. We have ensured compliance the Tender Document and to the best of our knowledge this bid is conforming to the terms thereof.

15. We agree and understand that the Bid is subject to the provisions of the Tender Document. In no case, we shall have any claim or right of whatsoever nature if the mining lease is not awarded to us or our bid is not opened or rejected.

16. The initial price offer has been quoted and the Final Price Offer shall be quoted by us after taking into consideration all the terms and conditions stated in the Tender Document, MDPA, our own estimates of costs and feasibility and after a careful assessment of the geological and other information, the Information Memorandum and the proposed mining lease and all the conditions that may affect the utilisation of minerals.

17. We shall keep this offer valid for 180 days from the Bid Due Date specified in the Tender Document or such extended duration as may be agreed with State Government.

In witness thereof, we submit this bid letter forming part of our Technical Bid under and in accordance with the terms of the Tender Document.

Yours faithfully,

(Signature, name and designation of the Authorised signatory)

Name and seal of Bidder

Date:

Place:

Enclosed:

(a) [list and description of documents enclosed]

C. Bid Security

(1) Instructions for submission of the Bid Security

(a) The Bid Security must be in form of a bank guarantee for an amount equal to INR [amount in figures] (Rupees [amount in words]).

(b) The Bid Security may be issued at any place in India by a Scheduled Bank as listed in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934, excluding those listed under the headings of Gramin Banks, Urban Co-operative Banks and State Co-operative Banks, but must be payable at [capital of the state].

(c) The Bid Security must have a validity period of not less than 240 days from the Bid Due Date, inclusive of a claim period of 60 days.

(d) The Bid Security must be stamped in accordance with Applicable Law.

(2) Format of Bid Security

[Bank Guarantee. No.] [date]

1. In consideration of you, being the State Government of [Name of State] ("**State Government**", which expression shall unless it be repugnant to the subject or context thereof include its, successors and assigns) having agreed to receive, pursuant to the provisions of the Tender Document dated [date], the bid of [name and address of the Bidder] ("**Bidder**"), for the e-auction pursuant to the Tender Document dated [date] ("**Tender Document**"), we [Name of the Bank] having our registered office at [address of the registered office] and one of its branches located at [name and address of the branch] ("**Bank**"), at the request of the Bidder, do hereby in terms of the Tender Document, irrevocably, unconditionally and without reservations guarantee the due and faithful fulfilment and compliance of the terms and conditions of the Tender Document by the Bidder and unconditionally and irrevocably undertake to pay forthwith to the State Government an amount of INR [amount in figures] (Rupees [amount in words]) ("**Guarantee**") as our primary obligation without any demur, reservation, recourse, contest or protest and without reference to the Bidder, if the Bidder shall fail to fulfil or comply with all or any of the terms and conditions contained in the Tender Document.

2. Any such written demand made by the State Government stating that the Bidder is in default of the due and faithful fulfilment and compliance with the terms and conditions contained in the Tender Document shall be final, conclusive and binding on the Bank.

3. We, the Bank, do hereby unconditionally undertake to pay the amounts due and payable under this Guarantee without any demur, reservation, recourse, contest or protest and without any reference to the Bidder or any other person and irrespective of whether the claim of the State Government is disputed by the Bidder or not, merely on the first demand from the State Government stating that the amount claimed is due to the State Government by reason of failure of the Bidder to fulfil and comply with the terms and conditions contained in the Tender Document. Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards amount due and payable by the Bank under this Guarantee. However, our liability under this Guarantee shall be restricted to an amount not exceeding INR [amount in figures] (Rupees [amount in words]).

4. This Guarantee shall be irrevocable and remain in full force for a period of 240 days from the Bid Due Date i.e. [*date*] inclusive of a claim period of 60 days or for such extended period as may be mutually agreed between the State Government and the Bidder, and agreed to by the Bank, and shall continue to be enforceable till all amounts under this Guarantee have been paid.

5. We, the Bank, further agree that the State Government shall be the sole judge to decide as to whether the Bidder is in default of due and faithful fulfilment and compliance with the terms and conditions contained in the Tender Document including, amongst others, the failure of the Bidder to keep its bid open during the bid validity period set forth in the Tender Document, and the decision of the State Government that the Bidder is in default as aforesaid shall be final and binding on us, notwithstanding any differences between the State Government and the Bidder or any dispute pending before any court, tribunal, arbitrator or any other authority.

6. The Guarantee shall not be affected by any change in the constitution or winding up of the Bidder or the Bank or any absorption, merger or amalgamation of the Bidder or the Bank with any other person.

7. In order to give full effect to this Guarantee, the State Government shall be entitled to treat the Bank as the principal debtor. The State Government shall have the fullest liberty without affecting in any way the liability of the Bank under this Guarantee from time to time to vary any of the terms and conditions contained in the Tender Document or to extend time for fulfilment and compliance with all or any of the terms and conditions contained in the Tender Document by the said Bidder or to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the said Bidder and either to enforce or forbear from enforcing any of the terms and conditions contained in the Tender Document or the securities available to the State Government, and the Bank shall not be released from its liability under these presents by any exercise by the State Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given to the said Bidder or any other forbearance, act or omission on the part of the State Government or any indulgence by the State Government to the said Bidder or by any change in the constitution of the State Government or its absorption, merger or amalgamation with any other person or governmental department or instrumentality,, but for this provision, have the effect of releasing the Bank from its such liability.

8. Any notice by way of request, demand or otherwise hereunder shall be sufficiently given or made if addressed to the Bank and sent by courier or by registered mail to the Bank at the address set forth herein.

9. We undertake to make the payment on receipt of your notice of claim on us addressed to [name of Bank along with branch address] and delivered at our above branch which shall be deemed to have been duly authorised to receive the said notice of claim.

10. It shall not be necessary for the State Government to proceed against the said Bidder before proceeding against the Bank and the guarantee herein contained shall be enforceable against the Bank, notwithstanding any other security which the State Government may have obtained from the said Bidder or any other person and which shall, at the time when proceedings are taken against the Bank hereunder, be outstanding or unrealised.

11. We, the Bank, further undertake not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous express consent of the State Government in writing.

12. The Bank declares that it has power to issue this Guarantee and discharge the obligations contemplated herein, the undersigned is duly authorised and has full power to execute this Guarantee for and on behalf of the Bank.

13. Notwithstanding anything contained herein,

a. the liability of the Bank under this Guarantee shall not exceed the Guarantee amount i.e. INR [amount in figures] (Rupees [amount in words]).

b. This Guarantee shall be valid up to [date].

Signed and Delivered by ……. Bank

D. Power of attorney

(1) Instructions for submission of the power of attorney

(a) The power of attorney must be issued in India in accordance with Applicable Law and it must be in issued in accordance with the constitutional documents of the Bidder after obtaining all corporate approvals as may be required. The extract of constitutional documents and certified copies of the corporate approvals must be enclosed with the power of attorney.

(b) The power of attorney must be issued under the common seal, if any.

(c) The power of attorney must be stamped in accordance with Applicable Law.

(d) The power of attorney must be issued in the name of a person who is in full time employment of the Bidder.

(2) Format of power of attorney

Know all men by these presents, We, [name and address of the Bidder] do hereby irrevocably

constitute, nominate, appoint and authorise [Name], son/daughter/wife of [name of father/husband] and presently residing at [address], who is presently employed with us and holding the position of [designation], as our true and lawful attorney ("**Attorney**") to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things as are necessary or required in connection with or incidental to submission of our bid for the [Name of Block] mineral block ("**Mineral Block**") in response to the Tender Document, dated [date] issued by State Government of [Name of State] ("**State Government**") including but not limited to signing and submission of all applications, affidavits, bids and other documents and writings, participate in Bidders' and other conferences and providing information / responses to the State Government, representing us in all matters before the State Government, and generally dealing with the State Government in all matters in connection with or relating to or arising out of our bid for the Mineral Block and/or upon award thereof to us and/or till the entering into Mine Development and Production Agreement with the State Government and grant of mining lease.

AND we hereby agree to ratify and confirm and do hereby ratify and confirm all acts, deeds and things done or caused to be done by our Attorney pursuant to and in exercise of the powers conferred by this power of attorney and that all acts, deeds and things done by our said Attorney in exercise of the powers hereby conferred shall and shall always be deemed to have been done by us.

In witness whereof we, [name of Bidder], the above named principal have executed this power of attorney on this [date].

For……..

(Signature, name, designation and address)

Witnesses:

1.

2.

[particulars of notarisation]

E. Affidavit

(1) Instructions for submission of the affidavit

(a) The affidavit must be executed in India in accordance with Applicable Law and it must be in issued in accordance with the constitutional documents of the Bidder after obtaining all corporate approvals as may be required. The extract of constitutional documents and certified copies of the corporate approvals must be enclosed with the power of attorney. In case of Bidder being an individual, the affidavit must be personally signed by the Bidder.

(b) The affidavit must be stamped in accordance with Applicable Law.

(c) The affidavit must be signed by a person who is in full time employment of the Bidder and duly authorised to sign the same.

(2) Format of Affidavit

Affidavit

I, [name] aged [age] years, resident of [address] [working as [designation] an authorised signatory on behalf of [name of the Bidder]] ("**Bidder**") hereby state as under:

1. I am the [designation of the deponent] of the Bidder. I am conversant with the facts and circumstances surrounding the subject of this affidavit [and have been authorized to depose to the same pursuant to the power of attorney dated [date] issued pursuant to [particulars of corporate approval]]. I am filing this affidavit to place on record verification of facts and documents in connection with the tender process concerning [*name of the Mineral Block*].

2. [Insert separate paragraphs for each document brought on record on the website of the e-auction platform or physically submitted with the State Government, in a chronological sequence].

3. That nothing has been concealed in the information submitted as mentioned above.

Solemnly affirmed and verified on this [day] day of [month] [year] at [place].

(Signature)

Name, Designation & Seal

VERIFICATION

I, [name], [the [designation of the deponent] of] the Bidder above named, having my office at [address], do hereby solemnly declare that what is stated above in paragraphs [1] to [number] are on the basis of the books and records of the Bidders, and verify that the contents of the above affidavit are true and correct, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at [day] day of [month] [year] at [place].

Deponent

(Signature)

Name, Designation & Seal

Schedule II: Format for seeking clarification regarding Tender Document

(Applicable only for the Pre-Bid conference before submission of the Technical Bid in response to the Tender Document)

S. No.	Document	Clause No. and Existing Provision	Clarification Required	Suggested Text for Amendment, if any	Rationale for Clarification or Amendment

Schedule III: Technical details regarding online electronic auction

[Technical details must comply Quality requirements of e-Procurement Systems issued by the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate, Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology, Government of India]

1. <u>Registration Methodology:</u>

In order to submit Bids for the mineral block, a Bidder shall register itself with the e-auction website of e-auction platform provider. Bidder shall fill an online registration form and create its "user id" and "password" and keep note of the same. Bidder should ensure that the secrecy of its user id and password is maintained at all times and Bidder alone shall be responsible for any misuse of its user id and password. Bidder may also refer to the "Bidder's Guide" available online on the website of the e-auction platform provider for any assistance.

[**E-auction platform provider to provide detailed registration process.**]

Bidder should carefully read all the **TERMS & CONDITIONS OF e-AUCTION** provided by the e-auction platform provider.

On successful submission of the online registration Form, Bidder shall receive a confirmation email at the registered email address advising the Bidder to submit the following documents:

(Note: all future correspondence with the bidder will be carried out only be through this registered email id)

1. Self-attested Income Tax PAN Card.
2. Two passport size photographs of the Authorized Signatory.
3. Letter of Authorization from Chairman/MD/Directors/CEO/Company Secretary of a Bidder in favour of the Authorized Signatory in the standard format available in the website. The Authorized Signatory shall be the person who shall be responsible for submission of Bid. For this purpose, the Authorized Signatory will need to be in possession of a Class III signing type digital signature issued by an Indian certifying authority, the details of which shall be provided in this authorization letter.
4. Proof of Identity of the Authorized Signatory in the form of Company ID Card/PAN Card/Voter ID Card/AADHAAR card.
5. Copy of the confirmation email.

Bidders may send scanned copies of the aforementioned documents to e-auction platform provider at the following email address for verification and activation of its account:

[email id of e-auction platform provider for this e-auction]

Once the complete set of aforementioned documents is electronically received from the Bidder, the e-auction platform provider shall activate such Bidder's login after verification / scrutiny of the documents. E-auction platform provider reserves the right to call for additional documents from the Bidder, if required, prior to registration and activation of the Bidder's secure login.

On completion of the above stated registration process, a Bidder shall be able to log in to e-auction platform provider's website.

After activation of login, a Bidder will be issued a "Photo Identity Card" by e-auction platform provider bearing the photograph and signature of the contact person. The Photo Identity Card will be duly authenticated by e-auction platform provider.

2. Downloading information of mineral block

There are two sets of documents available for downloading from the website of e-auction platform provider.

First set of documents will be available free of cost in public domain and can be downloaded without registration on e-auction platform provider's website. These documents may include the following:

(a) Blank format of customized model tender document for this particular e-auction process; and

(b) Mineral block summary

The above information is being made available to all potential Bidders in order to assist them in familiarizing about the tender process and the mineral block on e-auction.

Subsequent to Bidder registration process with e-auction platform, certain other detailed documents (Particular Tender Document of the mineral block including Information Memorandum containing geological report and other information)shall be made available for download to the Bidder only subsequent to payment of a tender fee of INR [State Government to specify the amount not exceeding 5 Lakh] per mineral block. Bidder shall be able to make payment of the tender document fee through NEFT/RTGS/net banking (through the payment gateway of e-auction platform). The Tender Document shall be sold online mode only through website of e-auction platform provider.

The bidder may note that the files containing information about the mineral blocks can be in various formats like doc, xls, ppt, pdf, jpg, jpeg, zip etc. and it shall be the responsibility of the Bidder to have suitable facilities at its end to download these documents from the website of the e-auction platform provider.

3. Preparation and Submission of Bid

The complete process of bid submission will be divided into 2 stages as follows:

a. Stage 1: Technical Bid

This stage will comprise (i) online submission of the Technical Bid and the Initial Price Offer; and (ii) offline submission of certain original documents as detailed below.

(i) Online submission of Technical Bid and Initial Price Offer with supporting documents

This stage shall be open to all Bidders who have purchased the Tender Document(s) for the specific mineral block(s).

[*E-auction platform provider will provide complete description of online submission of Technical Bid and Initial Price Offer with supporting documents.*]

The Bidder has an option to edit Technical Bid and Initial Price Offer as many times as it wishes till the final submission.

The final submission of Technical Bid and the Initial Price Offer shall be digitally signed by the Bidder using the digital signature and the use of which has been duly authorized on behalf of the Bidder and which was used at the time of registration. Any digital signature certificate other than the above shall not be acceptable for bid submission by the system.

The bidder should note that only file(s) submitted for specific mineral block shall be considered for evaluation of the Technical Bid.

Upon successful final submission, the Bidder shall receive a bid acknowledgement from the system automatically.

The Bidders may note that the Technical Bid and the Initial Price Offer submitted online as above will be encrypted by the e-auction platform provider's own software before storage in the database. This

will be done to protect the sanctity and confidentiality of the Bids before the actual opening of the same.

Modification / Withdrawal of Bid

After final submission of Bid and before the scheduled closing time for Bid submission on the Bid Due Date, bidder may have an option to modify/withdraw/resubmit a new bid.

(ii) ***Offline submission of certain original documents***

The bidders shall submit the following documents in original in sealed cover within the Scheduled closing time for bid on the Bid Due Date. The sealed cover should clearly bear the following identification: *Original Documents (Technical Bid) for [insert name of the mineral block]* and shall indicate the name and address of the Bidder. In addition, the documents shall contain page numbers: *Page [●] of [●]*

(a) Bid Security in substantially the same format as provided in Schedule I C;

(b) Power of Attorney in substantially the same format as provided in Schedule I D, including the extract of the charter documents and documents such as a board or shareholders resolution authorizing the execution of this power of attorney; and

(c) Affidavit in substantially the same format as provided in Schedule I E.

The aforementioned documents shall be submitted at the following address:

[Designated address of the State Government for the purpose of particular e-auction.]

Deadline for online submission of (i) Technical Bid and the Initial Price Offer with supporting documents; and (ii) offline submission of certain original documents

The bidders shall also note that online submission of ***Technical Bid and the Initial Price Offer*** with supporting documents and offline submission of certain original documents shall be allowed only up to the time and date as per Bid Due Date specified in Clause 12.

(iii) ***Evaluation of Technical Bid***

a. Evaluation of Technical Bid

Technical Bids shall be evaluated in the manner provided in the Tender Document. Entire list of Technically Qualified Bidders will be published on the website of State Government and e-auction platform. The e-auction platform provider will conduct training and mock-auctions for all the Technically Qualified Bidders on e-auction platform.

b. Opening of Initial Price Offer

Initial Price Offers shall be opened two days before the Scheduled date of e-auction of the respective mineral block.

For example, Initial Price Offers for mineral block(s) Scheduled for e-auction on 03.01.20xx will be opened on 01.01.20xx. All Technically Qualified Bidders will be ranked in accordance with Clause 8.1A(e).

The list of Qualified Bidders as per top 50% ranking principle (subject to the criteria as specified in the Tender Document) will be sent out to all the Qualified Bidders of the mineral block by an email by the State Government [from the designated email id of the State Government for the particular e-auction] OR [the State Government may advise the e-auction platform provider to send this particular email from the email id of e-auction platform provider]. The Qualified Bidders will also get intimated about their qualification for the second round of electronic auction against specific mineral block(s) through notification in the e-auction platform provider website within their secured login.

b. Stage 2: electronic auction – Final Price Offer

a. Intimation to Qualified Bidders

Along with the above intimation, the Bidder shall also receive information regarding applicable Floor Price for second round of e-auction of the mineral block which is the highest Initial Price Offers received from the Technically Qualified Bidders.

It shall be the sole responsibility of the Bidder to regularly check the e-auction platform provider website and login to see whether it has qualified for a certain mineral block or not. State Government/e-auction platform provider will not be responsible for non-receipt of email by the Bidder and its consequences.

b. Conduct of e-auction

E-auction is the process of inviting binding Final Price Offer(s) from Qualified Bidders through internet for the purpose of determination of the Preferred Bidder. During this process, the Qualified Bidder will be able to submit its Final Price Offer as many times as it wishes against the same mineral block. The Qualified Bidder will remain anonymous to other Qualified Bidders participating in the electronic auction process as well as to e-auction platform provider / State Government. The Qualified Bidder will be able to see the prevailing highest Final Price Offer against the mineral block, but the name of the highest Qualified Bidder at any point of time will not be displayed. The Qualified Bidder shall have to put its Final Price Offer over and above the displayed highest bid by a minimum increment of [*State Government to specify minimum increment of percentage e.g. 0.05%*] to become the highest Qualified -Bidder. The electronic auction process will have a Scheduled start and close time which will be displayed on screen. A Qualified Bidder will be able to put its Final Price Offer after the start of bid time and till the close time of electronic auction. The current server time (IST) will also be displayed on the screen. In the event a Final Price Offer is received during the last [*(figures) (words) e.g. 10 (Ten)*] minutes before the Scheduled close time of electronic auction, the close time of electronic auction will be automatically extended by [*(figures) (words) e.g. 10 (Ten)*] minutes from the last received bid time to give equal opportunity to all other Qualified Bidders. This process of auto extension will continue till no Final Price Offer is received during a period of [*(figures) (words) e.g. 10 (Ten)*] minutes.

For example, assuming that the initial Scheduled close time for a particular electronic auction is 1:00 pm and a Final Price Offer is received at 12:55 pm, the Scheduled close time shall be revised to 1:05 pm. Again if a Final Price Offer is received at 1:01 pm, the Scheduled close time shall be revised to 1:11 pm and so on. In the event that no further Final Price Offer is received till 1:11 pm, the electronic auction will close at 1:11 pm. The revised close time will be displayed on screen and the Qualified Bidders are advised to keep refreshing its webpage to get the latest information.

The above example is only illustrative and meant for explaining the e-auction process only.

During the process of electronic auction, the Bidder shall be required to sign their bids with their respective digital signature certificate (DSC) and the use of which has been duly authorized on behalf of the Bidder and which was used at the time of registration. Any digital signature certificate other than the above shall not be acceptable for bid submission by the system

Bidders in their own interest are advised to get themselves acquainted with the electronic auction process of e-auction platform provider by getting their Authorized Representative trained beforehand through some demo electronic auctions as per Clause 12.

Digital Signature Certificate

A Bidder shall be required to possess a valid Digital Signature Certificate (**DSC**) of signing type to be able to submit its Bid and to participate in the electronic auction on e-auction platform provider's website. For this purpose, Bidders shall be required to authorize its Authorized Signatory to procure a class III DSC of signing type from any Certifying Authority or their authorized agencies in India.

The competent authority of the Bidder shall be required to issue a Letter of Authority in favour of the Authorized Representative in the standard format provided on the homepage of the website on e-auction platform provider mentioning therein the serial number of the DSC of the Authorized Representative. The competent authority shall be one of the following:

- Chairman of the Company
- Managing Director of the Company
- Chief Executive Officer of the Company
- Company Secretary of the Company

The bidder may note that only one user id will be mapped with a given DSC for the Authorised Representative. DSC once mapped with a particular user id of a bidder will normally not be changed and therefore Bidders are advised to carefully select the DSC before forwarding the same to e-auction platform provider for mapping.

The Digital Signature Certificate will be used to digitally sign the Bids that the Bidder will submit online.

It will be the sole responsibility of the Bidder and its respective Authorised Representative to maintain the secrecy of the password for the Digital Signature Certificate. The Bidder and its contact person shall be solely responsible for any misuse of the DSC and no complaint / representation in this regard shall be entertained at any stage by e-auction platform provider/State Government.

[The above process description is only for illustration purpose and State Government to specify detailed technical details as applicable depending upon choice of electronic auction platform by the State Government.]

Schedule IV: Format of MDPA

Mine Development and Production Agreement

[Model Format]

[This is a model format and the State Government may suitably modify this draft on the basis of requirement of each auction.]

[*To be executed on stamp paper of adequate value***.]**

This Mine Development and Production Agreement is made by and between following:

PARTIES:

1 **The Governor of [State]**, acting through [Department of Mines and Geology of the State] (the "**State Government**").

2 **[Name of the Successful Bidder]** [incorporated in India under the Companies Act, [1956/2013] with corporate identity number [CIN of the Successful Bidder], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office]][14] **OR** [an individual who is citizen of India, having income tax permanent account number [number], residing at [address]][15] **OR** [persons listed in SCHEDULE A organised as a [firm/association of persons], all of whom are Indian citizens and resident in India][16] (the "**Successful Bidder**").

BACKGROUND:

A. *An electronic auction was conducted by the State Government pursuant to the Tender Document (*defined hereinafter*) for grant of a [Mining Lease/Composite Licence] (*defined hereinafter*) over the Lease Area (*defined hereinafter*) for mining of the Mineral (*defined hereinafter*).*

B. *The Successful Bidder quoted [Final Price Offer] per cent as the bid parameter in the electronic auction and was declared as the Preferred Bidder (*as defined in the Tender Document*).*

C. *As a Preferred Bidder, the Successful Bidder [made payment of the first instalment of the Upfront Payment (*defined hereafter*) which is] OR[17] [provided Performance Security for an amount equal to] INR [amount in figures] (Indian Rupees [amount in words]) on [date] through [payment mechanism], upon which the State Government issued a letter of intent dated [date].*

D. *[The Preferred Bidder completed the conditions specified in Clause [10.2 OR 11.2[18]] of the Tender Document and submitted written confirmation of the same to the State Government through a letter dated [date], upon which the Preferred Bidder was considered to be the Successful Bidder.*

E. *[Thereafter the Successful Bidder, as a holder of the Composite Licence completed prospecting explorations in accordance with section 11(9) of the Act resulting in determination of evidence of mineral contents conforming to the Mineral (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015. The Successful Bidder made an application to the State Government for grant of a mining lease pursuant to clause (b) of sub-rule (6) of rule 18 of the Mineral (Auction) Rules, 2015. A letter of intent dated [date] was issued by the State Government for grant of a mining lease to the Successful Bidder.][19]*

F. *Thereafter, the Successful Bidder obtained all the consents, approvals, permits, no-objections and the like as required under Applicable Law for commencement of mining operation, as listed in Schedule B.*

G. *Accordingly, the State Government is now entering into this Agreement with the Successful Bidder with respect to matters pertaining to the Mining Lease and other matters incidental thereto, and this Agreement shall be read as an integral part of the mining lease.*

[14] To be retained only if the Successful Bidder is a company.

[15] To be retained only if the Successful Bidder is an individual.

[16] To be retained only if the Successful Bidder is a firm or association of persons.

[17] Reference to upfront payment to be retained in case of auction for mining lease. Reference to Performance Security to be retained in case of auction for Composite License.

[18] 10.2 applicable to mining lease 11.2 applicable in case of composite licence.

[19] To be deleted in the auction as for mining lease and not composite licence**.**

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual covenants, terms and conditions and understandings set forth in this Agreement, and other good and valuable consideration (the adequacy of which are hereby mutually acknowledged), the Parties with the intent to be legally bound hereby agree as follows:

DEFINITIONS AND INTERPRETATION

The definitions and rules of interpretation in this clause apply in this Agreement.

1.1. **Definitions**

1.1.1. "**Agreement**" means this Mine Development and Production Agreement and all attached annexure, schedules, exhibits and instruments supplemental to or amending, modifying or confirming this Agreement in accordance with the provisions of this Agreement.

1.1.2. "**Agreement Date**" shall mean the date on which execution of this Agreement by both the Successful Bidder and the State Government is completed.

1.1.3. "**Appropriation Event**" shall have the meaning given to such expression in Clause 4.2.1.

1.1.4. "**Claim**" shall have the meaning given to such expression in Clause 12.3.

1.1.5. "**Control**" shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner.

1.1.6. "**Eligibility Conditions**" shall mean the eligibility conditions specified in the Act and the Rules including all the eligibility conditions listed in Clause [5] of the Tender Document.

1.1.7. "**Encumbrances**" means any mortgage, pledge, equitable interest, assignment by way of security, conditional sales contract, hypothecation, right of other Persons, claim, security interest, encumbrance, title defect, title retention agreement, voting trust agreement, interest, option, lien, charge, commitment, restriction or limitation of any nature whatsoever, including restriction on use, voting rights, transfer, receipt of income or exercise of any other attribute of ownership, right of set-off, any arrangement (for the purpose of, or which has the effect of, granting security), or any other security interest of any kind whatsoever, or any agreement, whether conditional or otherwise, to create any of the same.

1.1.8. "**Event of Force Majeure**" shall have the meaning given to such expression in Clause 17.1.

1.1.9. "**Final Price Offer**" shall mean [*per cent of Value of Mineral Despatched*], based on which the Successful Bidder was declared successful in the tender process for the Lease Area. The "Value of Mineral Despatched" being an amount equal to the product of,- (i) mineral despatched in a month; and (ii) sale price of the mineral (grade-wise and State-wise) as published by Indian Bureau of Mines for such month of despatch.

1.1.10. "**Good Industry Practice**" means, in relation to any undertaking and any circumstances, the exercise of that degree of skill, diligence, prudence and foresight which would reasonably and ordinarily be expected from a skilled and experienced Person engaged in the same type of undertaking under the same or similar circumstances.

1.1.11. "**Governmental Approval**" means any authorization, approval, consent, licence or permit required from any Governmental Authority.

1.1.12. "**Governmental Authority**" means any Central or State Government authority, statutory authority, government department, agency, commission, board, tribunal or court or other law, rule or regulation making entity having or purporting to have jurisdiction on behalf of the Republic of India or any state or other subdivision thereof or any municipality, district or other subdivision thereof.

1.1.13. "**Indemnified Party**" shall have the meaning given to such expression in Clause 12.1.

1.1.14. "**Lease Area**" shall mean the Lease Area as more particularly described in Schedule.

1.1.15. "**Mineral**" means [name of the mineral].

1.1.16. "**Mining Lease**" shall have the meaning given to such expression in the Act and the rules made thereunder.

1.1.17. "**Mining Plan**" means a mining plan drawn in accordance with clause (b) of sub-section (2) of section 5 of the Act.

1.1.18. "**Monthly Payment**" shall have the meaning given to such expression in Clause 7.1.1.

1.1.19. "**Parties**" means and refers to the State Government and the Successful Bidder collectively and "**Party**" refers to any one of them.

1.1.20. "**Production Requirement**" shall have the meaning given to such expression in Clause 8.1.

1.1.21. "**Selectee**" shall have the meaning given to such expression in Clause 13.3.3 (c).

1.1.22. "**Substitution Notice**" shall have the meaning given to such expression in Clause 13.3.3 (b).

1.1.23. "**Term**" shall have the meaning given to such expression in Clause 18.2.

1.1.24. "**Third Party**" means any Person that is not a signatory to this Agreement.

1.1.25. "**Warranties**" shall have the meaning given to such expression in Clause 11.1 read with Schedule F.

1.2. **Interpretation**

1.2.1. Any reference to any statute or statutory provision shall include:

(i) all subordinate legislation made from time to time under that provision (whether or not amended, modified, re-enacted or consolidated); and

(ii) such provision as from time to time amended, modified, re-enacted or consolidated (whether before or after the date of this Agreement) to the extent such amendment, modification, re-enactment or consolidation applies or is capable of applying to any transactions entered into under this Agreement prior to the Agreement Date and (to the extent liability thereunder may exist or can arise) shall include any past statutory provision (as from time to time amended, modified, re-enacted or consolidated) which the provision referred to has directly or indirectly replaced.

1.2.2. Unless the context otherwise requires, words in the singular shall include the plural and the plural shall include the singular.

1.2.3. References to the masculine, the feminine and the neuter shall include each other.

1.2.4. References to a "**company**" shall include a company, corporation or other body corporate, wherever and however incorporated or established.

1.2.5. The recitals and schedules form part of this Agreement and shall have the same force and effect as if expressly set out in the body of this Agreement, and any reference to this Agreement shall include any recitals and schedules to it. Any references to clauses and schedules are to clauses and schedules to this Agreement. Any references to parts or paragraphs are, unless otherwise stated, references to parts or paragraphs of the schedule in which the reference appears.

1.2.6. A reference to **this Agreement** or **any other document** shall be construed as references to this Agreement or that other document as amended, varied, novated, supplemented or replaced from time to time.

1.2.7. A reference to **this Clause** shall, unless followed by reference to a specific provision, be deemed to refer to the whole Clause (not merely the sub-Clause, paragraph or other provision) in which the expression occurs.

1.2.8. A reference to a **party** shall include that party's representatives, successors and permitted assigns.

1.2.9. Each of the representations and warranties provided in this Agreement is independent of other representations and warranties and unless the contrary is expressly stated, no Clause in this Agreement limits the extent or application of another Clause.

1.2.10. Headings to Clauses, parts and paragraphs of schedules and schedules are for convenience only and do not affect the interpretation of this Agreement.

1.2.11. A reference to "**in writing**" includes any communication made by letter or fax (unless otherwise expressly provided in this Agreement.).

1.2.12. Unless otherwise specified, any reference to a time of day is to Indian Standard Time.

1.2.13. Any words following the terms **including, include, in particular, for example or any similar expression** shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words, description, definition, phrase or term preceding those terms.

1.2.14. Where the context permits, **other** and **otherwise** are illustrative and shall not limit the sense of the words preceding them.

1.2.15. References to a document in **agreed form** are to that document in the form agreed by the parties and initialled by them or on their behalf for identification.

1.2.16. Any obligation on a party not to do something includes an obligation not to allow that thing to be done.

2. COMPLIANCE

2.1. The Successful Bidder hereby represents and warrants to the State Government that it has complied with all the terms and conditions of the Act, the Rules, the Tender Document and other Applicable Law, as were required to

be complied with by the Successful Bidder, with respect to tender process for the Lease Area and the Successful Bidder is eligible in all respects to receive Mining Lease over the Lease Area. The Successful Bidder also represents and warrants to the State Government that it is in compliance with all the Eligibility Conditions and would continue to be in compliance with all the Eligibility Conditions during the Term.

2.2. Relying on the representations and warranties of the Successful Bidder and the information, documents and other undertaking provided by the Successful Bidder, including the Warranties provided under Clause 11, the State Government is pleased to enter into this Agreement with the Successful Bidder for grant of Mining Lease over the Lease Area to the Successful Bidder subject to terms and conditions specified in this Agreement.

3. CONDITION FOR GRANT OF MINING LEASE

3.1. Grant of Mining Lease over the Lease Area shall be conditional upon prior payment of the third instalment of the Upfront Payment which is INR [amount in figures] (Indian Rupees [amount in words]) within a period of [30] days from the Agreement Date.

3.2. Upon such payment the State Government shall grant a Mining Lease to the Successful Bidder within a period of 30 days from the date of receipt of the payment.

3.3. The date of the commencement of the period for which a Mining Lease is granted shall be the date on which a duly executed Mining Lease is registered.

4. PERFORMANCE SECURITY AND APPROPRIATION

4.1. Performance Security

4.1.1. The Successful Bidder has provided to the State Government [an irrevocable and unconditional bank guarantee, dated [date] from [name of bank] issued at [place] and payable at [capital of the State]/ security deposit] for an amount equal to INR [amount in figures] (Indian Rupees [amount in words]) (the "**Performance Security**") in the format provided in Schedule III of the Auction Rules.

4.1.2. The amount of Performance Security shall be reassessed every five years commencing from the date of issuance of the Performance Security i.e. [date], so that the amount of Performance Security corresponds to 0.5% of the reassessed Value of Resources.

4.1.3. For the purposes of such reassessment, the Successful Bidder shall submit an application in writing to the State Government at least [three] months prior to the expiry of the aforementioned period of five years. Such application must contain in sufficient details, documentary evidence confirming the reassessed Value of Resources on the date of such application.

4.1.4. The State Government shall dispose such application within [three] months from the date of receipt of duly completed application. If the State Government does not dispose such application within the aforementioned period of [three] months, then the application shall be deemed to be approved. In such case, [bank guarantee constituting the Performance Security shall be substituted with another bank guarantee] OR [additional amount shall be deposited towards the security deposit] of the reassessed value issued in accordance with this Clause 4, within a period of [15] days expiry of the aforementioned period of [three] months.

4.1.5. The Performance Security should remain valid for [period].

4.2. Events for appropriation of the Performance Security

4.2.1. The Performance Security may be appropriated by the State Government upon occurrence of any of the events specified in Table 4.3.1 (the "**Appropriation Event**"), to be determined by the State Government in its sole discretion. In case the Performance Security is in form of a bank guarantee, the State Government may invoke the same on an Appropriation Event. In case the Performance Security is in form of a security deposit, the State Government may deduct an amount from such security deposit on an Appropriation Event.

4.2.2. Provided however that in the event an Appropriation Event has occurred solely on account of an Event of Force Majeure which could not have been mitigated by the Successful Bidder through Good Industry Practice as provided in Clause 17, then the Performance Security shall not be appropriated for such specific Appropriation Event.

4.3. Manner of appropriation of the Performance Security

4.3.1. Upon occurrence of an Appropriation Event, to be determined by the State Government, the State Government shall have the unconditional right to appropriate the Performance Security by providing a written notice to the Successful Bidder in the following proportion:

Table 4.3.1		
#	**Appropriation Event**	**Amount of the Performance Security to be appropriated**
1.	Failure of the Successful Bidder to make payment of the third instalment of the Upfront Amount within the time specified in Clause 3.1	An amount equal to the third instalment of the Upfront Amount together with interest computed in accordance with rule 14 of the Mineral (Auction) Rules, 2015.
2.	Failure of the Successful Bidder to comply with the Production Requirement as required under Clause 8.	Such per cent of the Performance Security for each failure to comply with the Production Requirement as specified in SCHEDULE - E.
3.	Any change in Control or transfer of right, title or interest in the Lease Area which is not in conformity the Act and rules made thereunder.	Entire Performance Security.
4.	Failure of the Successful Bidder to make payment of the Monthly Payment	The amount of Monthly Payment due and payable, along with interest computed in accordance with rule 14 the Mineral (Auction) Rules, 2015.
5.	Any breach or non-compliance with any of the provisions of the Act and rules made thereunder, the mining lease inclusive of this Agreement, and the tender document.	Such proportion as may be determined by the State Government in its sole discretion.

4.3.2. In the event of a part or total appropriation of the Performance Security, the Successful Bidder shall be required to: (i) rectify the Appropriation Event; and (ii) [top-up the bank guarantee constituting the Performance Security] OR [deposit additional amount towards security deposit] within [seven] days of receipt of a notice under Clause 4.3.1.

4.3.3. Any one or more Appropriation Events resulting in appropriation of the entire Performance Security shall give the State Government a right to determine the mining lease without prejudice to any other proceeding to be taken against the mining lease holder.

5. INFORMATION

5.1. In addition to information that may be required to be provided in accordance with Applicable Law, the Successful Bidder shall provide periodic reports to the State Government (or such other Governmental Authority as may be specified by the State Government) regarding mining operations at the Lease Area, including compliance with the Production Requirement, in accordance with the following provisions:

(a) Pre-Commencement Report

Prior to commencement of mining operations at the Lease Area, the Successful Bidder shall provide a written intimation ("**Pre-Commencement Report**") to the State Government once every [thirty] calendar days regarding the following:

(i) the actions taken by the Successful Bidder towards commencement of the mining operations at the Lease Area, including compliance with the Mining Plan and a tentative date for commencement of the mining operations;

(ii) any deviations from the Mining Plan, the reasons for such deviations and the steps taken by the Successful Bidder to rectify such deviation; and

(iii) whether in the opinion of the Successful Bidder, it shall be able to commence mining operations at the Lease Area within the time specified under sub-clause (a) above for commencement of the mining operations.

(b) Commencement Report

Within [three] days of the commencement of mining operations at the Lease Area, the Successful Bidder shall provide a written intimation to the State Government confirming commencement of mining operations at the Lease Area (the "**Commencement Report**").

(c) Periodic reporting

The Successful Bidder shall also submit such reports and information as required under the Act and rules made thereunder.

5.2. The reports under Clause 5.1 shall be provided to the State Government as attachments to an email addressed to the following e-mail address: [email address]. Such attachments must be digitally signed by the Successful Bidder using a Class III digital signature certificate issued by a certifying authority in India.

5.3. The State Government shall have the right to seek such further information regarding the reports provided under Clause 5.1 and also seek independently verification of the same.

6. UTILISATION OF MINERAL

6.1. The Successful Bidder shall utilise the Mineral strictly in compliance with Applicable Law, including the Act and the rules framed thereunder.

6.2. [The Successful Bidder acknowledges that the Lease Area has been reserved for [particulars of end-use] and the Successful Bidder has qualified for the electronic auction on the basis of its representation that all minerals extracted under the Mining Lease shall: (i) be utilised solely for the specified end use; and (ii) not be sold or transferred or otherwise disposed, either directly or indirectly][20]

6.3. The Mining Lease shall be for all minerals (including minor minerals) found in the area pursuant to exploration prior to the auction. If prior to the auction or subsequent to the auction, presence of minor mineral(s) is established or discovered, such minor minerals may be dealt as per the provisions of the Minor Mineral Concession Rules, by whatever name called, framed by the concerned State Government under section 15 of the Act.

7. PAYMENTS

7.1. **Payment of bid amount**

7.1.1. The Successful Bidder shall make monthly payments on the basis of the Final Price Offer (the "**Monthly Payment**"). The Monthly Payment shall be computed on the basis of the Value of Mineral Despatched or the value of the minimum production requirement as specified in Clause 8, whichever is higher.

7.1.2. The Upfront Payment paid by the Successful Bidder shall be adjusted in full against the amount payable in accordance with the per cent of Value of Mineral Despatched quoted as the Final Price Offer within the first five years of commencement of production of mineral(s).

7.1.3. The Monthly Payment is required to be made within 20 calendar days of expiry of each month with respect to Mineral extracted from the Lease Area in such calendar month.

7.1.4. All payments required to be made by the Successful Bidder shall be made net of all applicable Taxes. In the event, Taxes are payable, the Successful Bidder shall gross-up the amount payable and make payment of the aggregate amount.

7.2. **Other payments**

The Successful Bidder shall also be required to make payments as required under Applicable Law, including the Act and the rules framed thereunder.

8. MINIMUM PRODUCTION REQUIREMENT

8.1. The conduct of mining operations at the Lease Area shall be subject to the milestones listed in 0 with respect to production (the "**Production Requirement**") and the minimum annual production to be achieved every year.

8.2. The Successful Bidder would provide periodic information to the State Government regarding compliance with the Production Requirement in the manner stipulated in Clause 5 (INFORMATION).

8.3. Any non compliance with the Production Requirement would result in appropriation of the Performance Security in the manner stipulated in Clause 4 (PERFORMANCE SECURITY) and in case where such non-compliance exceeds for more than [seven] instances, such non-compliance shall give the State Government a right to determine the mining lease without prejudice to any other proceeding to be taken against the mining lease holder.

9. GENERAL RIGHTS AND OBLIGATIONS

9.1. **Limited mining rights**

[20] To be deleted if no end-use has been prescribed by the State Government.

Pursuant to this Agreement the Successful Bidder shall be entitled to conduct mining operations only in the Lease Area and shall not be entitled to conduct the mining operations in any other area outside the lease area. The rights granted to the Successful Bidder herein to conduct mining operations are exclusive within the Lease Area.

9.2. **Authorisations**

The Successful Bidder shall obtain and maintain all Governmental Approvals required for conducting the mining operations at the Lease Area and performing its obligations under this Agreement. The Government undertakes, on a no-obligation basis, to expeditiously provide all necessary approvals and assistance for conducting mining operations and as otherwise may be reasonably required by the Successful Bidder in relation to the rights granted to it under this Agreement.

9.3. **Geological and archaeological finds**

It is expressly agreed that other than rights to mine for the Mineral(s) (as may be granted under any Mining Lease pursuant hereto), geological or archaeological rights do not form part of the rights granted to the Successful Bidder under this Agreement and the Successful Bidder hereby acknowledges that except in relation to the Mineral(s) (as may be granted under any Mining Lease pursuant hereto), it shall not have any mining rights or interest in the underlying minerals, metals, gas, oil, fossils, antiquities, structures or other remnants or things either of particular geological or archaeological interest and that such rights, interest and property on or under the Lease Area shall vest in and belong to the Central/ State Government or the concerned Governmental Authority under Applicable Law. The Successful Bidder shall take all reasonable precautions to prevent its workmen or any other person from removing or damaging such interest or property and shall inform the Central/ State Government forthwith of the discovery thereof and comply with such instructions as the concerned Governmental Authority may reasonably give for the removal of such property.

10. MINING PLAN AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAW

The Mining Plan applicable pursuant to clause (b) of sub-section (2) of section 5 of the Act shall be complied with by the Successful Bidder at all times. The Successful Bidder shall also comply with Applicable Law in relation to conduct of mining operations.

11. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

11.1. The Successful Bidder represents and warrants to the State Government (save as otherwise disclosed to the State Government in writing), as of the Agreement Date in the manner as detailed in Schedule F ("**Warranties**").

11.2. None of the representations, warranties and/ or statements contained in this Agreement shall be treated as qualified by any actual or constructive knowledge on the part of the State Government or the Central Government or any of its respective agents, representatives, officers, employees or advisers.

11.3. In the event that any of the representations or warranties made or given by the Successful Bidder ceases to be true or stands changed, the Successful Bidder shall promptly notify the State Government of the same. The Successful Bidder hereby waive all their rights to invoke and shall not invoke the State Government's knowledge (actual, constructive or imputed) of a fact or circumstance that might make a statement untrue, inaccurate, incomplete or misleading as a defence to a claim for breach of Warranties or covenant or obligation of the Successful Bidder.

12. INDEMNITIES

12.1. In this clause, a reference to the State Government shall include the State Government; any of the departments or ministries of the State Government; and of the officers, employees, staff, advisors, representatives or agents of the State Government (collectively the "**Indemnified Party**") and the provisions of this Clause shall be for the benefit of the Indemnified Party, and shall be enforceable by each such Indemnified Party.

12.2. The Successful Bidder shall indemnify the Indemnified Party against all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including but not limited to any interest, penalties and legal costs (calculated on a full indemnity basis) and all other professional costs and expenses) suffered or incurred by the Indemnified Party arising out of or in connection with:

(a) any breach of the Warranties;

(b) Successful Bidder's breach or negligent performance or non-performance of this Agreement;

(c) the enforcement of this Agreement;

(d) any claim made against the Indemnified Party for actual or alleged infringement of a Third Party's rights arising out of or in connection with mining operations at the Lease Area or performance or non performance of any of the obligations under this Agreement to the extent that such claim arises out of the breach, negligent performance or failure or delay in performance of this Agreement by the Successful Bidder, its employees, agents or contractors;

(e) any claim made against the Indemnified Party by a Third Party for death, personal injury or damage to property arising out of or in connection with mining operations at the Lease Area or performance or non performance of any of the obligations under this Agreement; or

(f) any loss or damages caused on account of breach of any Applicable Law by the Successful Bidder, including without limitation any costs incurred by the State Government in cleaning or rectifying of any environmental damages caused by the Successful Bidder on account of, lack of Good Industry Practice; breach, negligent performance or failure or delay in performance of this Agreement; or non-compliance with Applicable Law.

12.3. If any Third Party makes a claim, or notifies an intention to make a claim, against the Indemnified Party which may reasonably be considered likely to give rise to a liability under this indemnity (a "**Claim**"), the Indemnified Party shall as soon as reasonably practicable, give written notice of the Claim to the Successful Bidder, specifying the nature of the Claim in reasonable detail.

12.4. Subject to the Successful Bidder providing security to the Indemnified Party, to the Indemnified Party's sole and absolute satisfaction against any claim, liability, costs, expenses, damages or losses which may be incurred, the Successful Bidder may take such action as it may reasonably deem fit to avoid, dispute, compromise or defend the Claim.

12.5. Payments of the amount of Claim shall become due and payable within [thirty] days of receipt of notice of Claim. If a payment due from the Successful Bidder under this clause is subject to Tax (whether by way of direct assessment or withholding at its source), the Indemnified Party shall be entitled to receive from the Successful Bidder such amounts as shall ensure that the net receipt, after Tax, to the Indemnified Party in respect of the payment is the same as it would have been were the payment not subject to Tax.

13. ASSIGNMENT, SECURITY FOR FINANCING

13.1. Prohibition on assignment

13.1.1. Except as provided in this Clause 13, the Successful Bidder shall not assign this Agreement, save and except with the prior consent in writing of the State Government, which consent the State Government shall be entitled to decline without specifying any reason.

13.1.2. Subject to compliance with provisions of Clause 13.2, this Agreement may be assigned by the Successful Bidder in the following events:

(a) upon the transfer of the mining lease under the provisions of the Act and rules made thereunder; or

(b) upon occurrence of an enforcement event, to a transferee as may be determined by a bank or financial institution in terms of Clause 13.3.

13.2. Assignment conditions

Assignment of this Agreement under Clause 13.3 shall be subject to the following conditions precedent:

(a) the proposed assignee must meet the applicable Eligibility Conditions;

(b) the proposed assignee must agree to unconditionally and irrevocably adhere to the provisions of the Act and rules made thereunder, and this Agreement and must enter into a deed of adherence in the manner as prescribed by the State Government;

(c) the proposed assignee must have furnished the Performance Security, to substitute any subsisting Performance Security provided by the Successful Bidder; and

(d) the proposed assignee must have paid any other amount due from the Successful Bidder and agree to indemnify and hold the State Government harmless in all respects against any claims from any Third Party or the Successful Bidder with respect to such assignment.

13.3. Security for financing enforcement event

13.3.1. Subject to Applicable Law, the Successful Bidder shall be entitled to create security over the Lease Area through mortgage for the purposes of availing financing from a bank or financial institutions for the purposes of financing of mining operations at the Lease Area and such security creation shall not require prior approval by the State Government or the Central Government. It is clarified that the Successful Bidder shall be permitted to

enter into any agreement with bank or financial institutions with respect to assignment of this Agreement in terms of this Clause 13.

13.3.2. The Successful Bidder shall inform the State Government within [ten] days of occurrence of (i) any default in its obligation under any arrangement with any bank or financial institution; (ii) any security interest created over the Lease Area; and (iii) any action initiated by the bank or financial institution regarding enforcement of security.

13.3.3. In the event of a default, the banks or financial institutions, as the case may be shall be entitled to enforce their security interest, provided that the conditions listed in Clause 13.2 are met, in the manner provided below:

(a) the security interest shall be exercised in accordance with the provisions of Applicable Law and any inter-se agreement between the secured creditors, if any;

(b) the lead secured creditor (in case of consortium lending) or the secured creditor with the highest exposure (in case of multiple banking), shall be entitled to seek a substitution of the Successful Bidder by providing a written notice (the "**Substitution Notice**") to the State Government;

(c) the Substitution Notice shall contain complete particulars of the proposed transferee (the "**Selectee**"), particulars of compliance of the Selectee with all the Eligibility Conditions, particulars of the debt due and such data and information as would be necessary and relevant for the State Government to decide as to the acceptability of the Selectee;

(d) the State Government may require such other information as it may deem fit regarding the suitability of the Selectee to receive rights and obligations with respect to the Lease Area;

(e) the Substitution Notice must be accompanied by an unconditional undertaking of the Selectee to the effect that it shall upon acceptance by the State Government observe, comply with, perform and fulfil the residual terms, conditions and covenants of this Agreement as if the Selectee had been the Successful Bidder under this Agreement and to assume, discharge and pay the debt due on the terms and conditions agreed to by the Selectee with the secured creditors. The Selectee shall also undertake to enter into such documents and agreements with State Government as may be necessary or required to give effect to the substitution of the Successful Bidder by the Selectee;

(f) the State Government shall convey its acceptance or otherwise of the Selectee within [sixty] days of (a) the date of receipt of the Substitution Notice; or (b) the date of receipt of the additional information and clarifications requested in respect of any data, particulars or information comprised in the Substitution Notice, whichever is later; and

(g) In the event that the State Government fails to communicate its acceptance or otherwise or the objections if any it has to the acceptance of the Substitution Notice, within the time specified in sub-clause (f) above, the State Government shall be deemed to have accepted the Substitution Notice and the Selectee.

13.3.4. Upon acceptance of the Selectee by the State Government or the State Government having been deemed to have accepted the Substitution Notice, this Agreement shall be deemed to be assigned in favour of the Selectee without any further act or deed of the Successful Bidder.

14. INSURANCE

At all times during the Term hereof, the Successful Bidder will maintain, and cause its contractors and sub-contractors to maintain, with financially sound and reputable insurers, insurance against such casualties and contingencies, of such types, on such terms and in such amounts (including deductibles, co-insurance and self-insurance, if adequate reserves are maintained with respect thereto) as is consistent with Good Industry Practice.

15. ACCOUNTS AND AUDIT

15.1. Audited accounts

The Successful Bidder shall maintain books of accounts recording all its receipts, income, expenditure, payment, assets and liabilities in accordance with Good Industry Practice and Applicable Law.

15.2. Appointment of auditors

The State Government shall have the right, but not the obligation, to appoint at its cost, from time to time and at any time, an auditing firm or an auditor to audit and verify all those matters, expenses, costs, realizations and things with respect to the Lease Area or which the statutory auditors are required to do, undertake or certify pursuant to this Agreement.

15.3. **Certification of claims by statutory auditors**

Any claim or document provided by the Successful Bidder to the State Government in connection with or relating to receipts, income, payments, costs, expenses, accounts or audit, and any matter incidental thereto shall be valid and effective only if certified by its statutory auditors.

16. GOVERNMENT INSPECTION

16.1. The Central Government or the State Government, through its authorized representatives shall have the right to free ingress and egress within any part of the Lease Area at any time to inspect works or activities being undertaken or implemented by the Successful Bidder in order to monitor and verify compliance with the terms of this Agreement and Applicable Law.

16.2. The Central Government or the State Government, through its authorized representatives, shall have access to the Successful Bidder's financial and other records and transactions (relatable to any period) at any time upon reasonable advance notice, the right to copy therefrom, for the purpose of assessing the performance and compliance of the Successful Bidder with the terms of this Agreement and Applicable Law, rules and regulations or to aid in the enforcement of the same.

16.3. The Central Government or the State Government shall have the right to conduct, either directly or indirectly through any Third Party, a performance audit to verify compliance by the Successful Bidder, of its obligations hereunder.

17. EVENT OF FORCE MAJEURE

17.1. Event of Force Majeure means any of the following events or circumstances or combination of the following events or circumstances which are beyond the reasonable control of the Successful Bidder, which could not have been prevented by Good Industry Practice or by the exercise of reasonable skill and care and which or any consequences of which, have a material and adverse effect upon the performance by the Successful Bidder of its obligations or enjoyment of its rights:

(i) acts of God, flood, drought, earthquake or other natural disaster;

(ii) epidemic or pandemic;

(iii) terrorist attack, civil war, civil commotion or riots, war, threat of or preparation for war, armed conflict, imposition of sanctions, embargo, or breaking off of diplomatic relations;

(iv) nuclear, chemical or biological contamination or sonic boom;

(v) collapse of buildings/mines, fire, explosion or accident; or

(vi) any labour or trade dispute, strikes, industrial action or lockouts (other than those solely affecting Successful Bidder claiming the same as an Event of Force Majeure and attributable to such Successful Bidder's policies regarding labour, compensation or employment or labour related conditions).

17.2. Provided it has complied with Clause 17.3, if the Successful Bidder is prevented, hindered or delayed in or from performing any of its obligations under this Agreement by an Event of Force Majeure, the Successful Bidder shall not be in breach of this Agreement or otherwise liable for any such failure or delay in the performance of such obligations.

17.3. Upon occurrence of an Event of Force Majeure, the Successful Bidder shall:

(i) as soon as reasonably practicable after the start of the Event of Force Majeure but no later than thirty days from its start, notify the State Government in writing of the Event of Force Majeure, the date on which it started, its likely or potential duration, and the effect of the Event of Force Majeure on its ability to perform any of its obligations under this Agreement; and

(ii) use all reasonable endeavours to mitigate the effect of the Event of Force Majeure on the performance of its obligations including following of Good Industry Practice.

17.4. If an obligation is suspended by reason of an Event of Force Majeure for more than [one] month continuously, the Parties shall enter into good faith negotiations to revise the terms of this Agreement to reflect the changed circumstances, provided that this Agreement shall remain in effect during the period during which the Parties are negotiating the terms of any such revision.

18. EFFECTIVE DATE AND TERM

18.1. **Effective Date**

This Agreement shall come into effect on the Agreement Date i.e. [date].

18.2. **Term**

This Agreement shall commence on the dates mentioned in Clause 18.1and shall continue for the period of validity of the Mining Lease granted to the Successful Bidder ("**Term**").

18.3. **Retention of Books and Records**

Upon termination of the mining lease, the Successful Bidder shall retain all documents, books and records related to the Lease Area for a period of [three] years or such longer period as may specified under Applicable Law. It is clarified that the Successful Bidder may also retain such books and records in electronic form if permitted under Applicable Law.

19. MISCELLANEOUS

19.1. **Time of essence**

Each of the Parties hereby agrees that, with regard to all dates and time periods set forth or referred to in this Agreement, time is of the essence.

19.2. **Publicity**

The Successful Bidder shall not issue any information, document or article for publication in any news or communications media or make any public statement in relation to this Agreement without the prior written consent of the State Government unless required to do so by Applicable Law, provided that prior to any disclosure of any such information required by Applicable Law, the Successful Bidder must first notify the State Government, who shall then have the opportunity to respond to and/or dispute such intended disclosure.

19.3. **Severability**

19.3.1. If any term, provision, covenant or restriction of this Agreement or the application thereof to any Person or circumstance shall be held invalid, void or unenforceable by a court of competent jurisdiction or other Governmental Authority to any extent, the remainder of the terms, provisions, covenants and restrictions of this Agreement and the application thereof to Persons or circumstances (other than those as to which any portion of this Agreement is held invalid, void or unenforceable) shall not be affected thereby and shall remain in full force and effect to the fullest extent permitted by law, so long as the economic or legal substance of the transactions contemplated hereby is not affected in any manner materially adverse to any Party.

19.3.2. Upon such a determination, the Parties shall negotiate in good faith to modify this Agreement so as to effect the original intent of the Parties as closely as possible in an acceptable manner in order that the transactions contemplated hereby be consummated as originally contemplated to the fullest extent possible.

19.4. **Costs and expenses**

19.4.1. The Successful Bidder shall bear its own costs in connection with the negotiation, preparation and execution of this Agreement.

19.4.2. The stamp duty payable for this Agreement shall be borne by the Successful Bidder.

19.5. **Further assurance**

The Successful Bidder shall cooperate with the State Government and execute and deliver to the State Government such instruments and documents and take such other actions as may be requested from time to time in order to carry out, evidence and confirm their rights and the intended purpose of this Agreement.

19.6. **Legal and prior rights**

All rights and remedies of the State Government hereto shall be in addition to all other legal rights and remedies belonging to the State Government and the same shall be deemed to be cumulative and not alternative to such legal rights and remedies aforesaid and it is hereby expressly agreed and declared by and between the Parties hereto, that the determination of this Agreement for any cause whatsoever shall be without prejudice to any and all rights and claims of the State Government, which shall or may have accrued prior thereto.

19.7. **Waiver**

19.7.1. The waiver of any default or breach under this Agreement by the State Government shall not constitute a waiver of the right to determine the mining lease for any substantial default of a similar nature or under any other terms and conditions of this Agreement.

19.7.2. No failure or delay by the State Government in exercising any right or remedy provided by Applicable Law under or pursuant to this Agreement shall impair such right or remedy or operate or be construed as a waiver or variation of it or preclude its exercise at any subsequent time and no single or partial exercise of any such right or remedy shall preclude any other or further exercise of it or the exercise of any other right or remedy. The rights and remedies of the State Government under or pursuant to this Agreement are cumulative, may be exercised as often as it considers appropriate and are in addition to its rights and remedies under Applicable

Law.

19.7.3. Submission of any document, information, report or notice, which contains any information or reference to any default or breach under this Agreement or any Applicable Law, to the State Government shall not be construed to be a deemed approval of such breach or default and the State Government may exercise any rights or remedies with respect to such default at any time.

19.8. **Amendments**

No amendment of this Agreement (or of any of the documents referred to in this Agreement) shall be valid unless it is in writing and signed by or on behalf of each of the Parties to it. The expression "amendment" shall include any amendment, variation, supplement, deletion or replacement however effected. Unless expressly agreed, no amendment shall constitute a general waiver of any provisions of this Agreement, nor shall it affect any rights, obligations or liabilities under or pursuant to this Agreement which have already accrued up to the date of amendment, and the rights and obligations of the Parties under or pursuant to this Agreement shall remain in full force and effect, except and only to the extent that they are so amended.

19.9. **Counterparts**

This Agreement may be executed in two counterparts, each of which will be deemed an original, with the same effect as if the signatures thereto and hereto were upon the same instrument, but all of which together will constitute one and the same instrument.

19.10. **No agency or partnership**

The Parties agree that nothing in this Agreement shall be in any manner interpreted to constitute an agency for and on behalf of any other Party. None of the provisions of this Agreement shall be deemed to constitute a partnership between the Parties hereto and no Party shall have any authority to bind the other Party or shall be deemed to be the agent of the other Party in any way.

19.11. **Notices**

All notices, requests, demands or other communication ("**Notice**") required or permitted to be given under this Agreement and the provisions contained herein shall be written in English and shall be deemed to be duly sent by registered post with acknowledgment due, or transmitted by facsimile transmission to the other Parties at the address indicated in Schedule G hereof or at such other address as the Party to whom such notices, requests, demands or other communication is to be given shall have last notified to the Party giving the same in the manner provided in this Clause, but no such change of address shall be deemed to have been given until it is actually received by the Party sought to be charged with the knowledge of its contents. Any notice, request, demand or other communication delivered to the Party to whom it is addressed as provided in this Clause 19.11 shall be deemed to have been given and received on the day of its receipt at such address.

A copy of the Notice sent by registered post with acknowledgment due, or transmitted by facsimile transmission may also be sent through email to the email addresses specified in Schedule G solely for the information of the recipient and shall take effect only when the registered post is actually delivered or the fax is received by the recipient, as the case may be.

19.12. **Entire Agreement**

The Mining Lease inclusive of this Agreement (including all such deeds and documents issued or executed pursuant hereto or referred to herein) and the Tender Document, together with all documents referred herein and thereunder constitutes and represents the entire agreement between the Parties with regard to the rights and obligations of each of the Parties and cancels and supersedes all prior arrangements, agreements or understandings, if any, whether oral or in writing, between the Parties on the subject matter hereof or in respect of matters dealt with herein. If there is a conflict between the Mining Lease inclusive of this Agreement and the Tender Document, the Mining Lease inclusive of this Agreement would have overriding effect.

19.13. **Specific performance of obligations**

The State Government shall be entitled to an injunction or injunctions to prevent breaches of this Agreement or to seek or enforce specific performance of this Agreement, in addition to any other legal rights and remedies, without the necessity of demonstrating the inadequacy of monetary damages.

SCHEDULE A– LIST OF PERSONS[21]

SCHEDULE B– LIST OF CONSENTS AND APPROVALS

[21] To be deleted if this agreement is signed by a company or a single individual.

[to be provided prior to execution.]

SCHEDULE C - PARTICULARS OF THE LEASE AREA

[to be provided prior to execution]

SCHEDULE D- PARTICULARS OF THE END USE PLANT[22]

[Particulars of be provided to identify the Specified End Use Plant in detail]

SCHEDULE E- PRODUCTION REQUIREMENT

[Details in this regard to be provided by the State Government]

SCHEDULE F- WARRANTIES

1. INFORMATION

1.1. The information, provided to the State Government during the tender process and any time thereafter, including but not limited to the information contained in this Agreement, by the Successful Bidder is true, accurate and not misleading in any manner whatsoever.

1.2. Neither this Agreement nor any of the information and documents provided during the tender process exercise contains any untrue statement of fact, or omits to state a material fact necessary to make the statements herein or therein not misleading. The documents provided to the State Government and/or its advisors during the conduct of the tender process, are true and complete copies of such documents and none of the information provided to the State Government and/or its advisors during the tender process was incorrect, inaccurate or misleading in any manner whatsoever.

2. AUTHORITY

2.1. The Successful Bidder has full legal capacity to enter into this Agreement and to perform its obligations under it and has taken all action necessary to authorise such execution and delivery and the performance of such obligations.

2.2. This Agreement has been duly executed and delivered by the Successful Bidder, and (assuming due authorisation, execution and delivery and performance by the Parties), constitutes a legal, valid and binding obligation of the Successful Bidder, enforceable against the Successful Bidder in accordance with the terms of the Agreement.

2.3. The Successful Bidder has obtained requisite corporate authorisation, including passing of all necessary resolutions at the meeting of its board of directors held on [date] to execute this Agreement and carry out all transactions and actions contemplated under this Agreement and do all necessary acts incidental to this Agreement.

2.4. The execution and delivery of this Agreement by the Successful Bidder and the performance of the obligations under it do not and shall not:

[22] To be deleted in no end-use has been prescribed.

(a) conflict with or violate any provision of the memorandum of association or articles of association of the Successful Bidder;

(b) require on the part of the Successful Bidder, any filing with, or permission, authorisation, consent or approval of, any Governmental Authority;

(c) conflict with, result in breach of, constitute (with or without due notice or lapse of time or both) a default under, result in the acceleration of obligations under, create in favour of any party any right to terminate, modify or cancel, or require any notice, consent or waiver under, any contract or instrument to which the Successful Bidder is party or by which it is bound or to which its assets are subject; and

(d) violate, conflict with or constitute a default under any Applicable Law, lien, lease, judgement, award, Act, order, writ, injunction, decree, statute, rule or regulation or any other restriction of any kind or character applicable to the Successful Bidder or its properties or assets.

2.5. No person is entitled to any brokerage, finder's, or other similar fee or commission in connection with the transactions contemplated by this Agreement.

3. GENERAL

The Successful Bidder

(a) is duly organised, validly existing and in good standing under the laws of India;

(b) meets all the Eligibility Conditions prescribed under the Act read with the Rules and the Tender Documents;

(c) has the financial standing and capacity to undertake mining operations at the Lease Area in accordance with the Production Requirement;

(d) is subject to civil and commercial laws of India with respect to this Agreement and it hereby expressly and irrevocably waives any immunity in any jurisdiction in respect thereof;

(e) there are no actions, suits, proceedings or investigations pending or to the Successful Bidder's knowledge threatened against it at law or in equity before any court or before any other judicial, quasi judicial or other authority, the outcome of which may constitute an event of default hereunder;

(f) has neither violated or defaulted nor has knowledge of any violation or default with respect to any order, writ, injunction or any decree of any court or any legally binding order of any Governmental Authority;

(g) has complied with Applicable Law and has not been subject to any fines, penalties, injunctive relief or any other civil or criminal liabilities;

(h) except as set forth in any Mining Lease, all rights and interests of the Successful Bidder in and to the Lease Area shall pass to and vest in the relevant Governmental Authority on the date of termination or expiry hereof, free and clear of all Encumbrances without any further act or deed on the part of the Successful Bidder or the Central Government;

(i) no bribe or illegal gratification or any other illegal amount has been paid or will be paid in cash or kind by or on behalf of the Successful Bidder to any Person to procure the rights granted hereunder; and

(j) Without prejudice to any express provision contained in this Agreement, the Successful Bidder acknowledges that prior to the execution of this Agreement, the Successful Bidder has after a complete and careful examination made an independent evaluation of the Lease Area and the information provided by the State Government, and has determined to its satisfaction the nature and extent of risks and hazards as are likely to arise or may be faced by the Successful Bidder in the course of performance of its obligations hereunder. The Successful Bidder also acknowledges and hereby accepts the risk of inadequacy, mistake or error in or relating to any of the matters set forth above and hereby confirms that the State Government and any Governmental Authority shall not be liable for the same in any manner whatsoever to the Successful Bidder.

SCHEDULE G- ADDRESS FOR PROVIDING NOTICES

A. Notice to the State Government

Address	
Telephone	
Fax	
E-mail (only for information)	

With CC to the Central Government

Address	Ministry of Mines
Telephone	
Fax	
E-mail (only for information)	

B. Notice to the Successful Bidder

Address	
Telephone	
Fax	
E-mail (only for information)	

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Agreement to be duly executed by their duly authorised representatives on the date and year written below, at [Capital of the State]:

Signatories

The State Government	[Name of the Successful Bidder]
……	……..
Name:	Name:
Designation:	Designation
Date:	Date:
	Duly authorized to execute this Agreement pursuant to resolution passed by the board of directors of the [*name of the Successful Bidder*] on [*date*].

Schedule V: Format of Information Memorandum

[Information as required under Clause 4.1 including a Geological Study Report conforming to Parts IV-A and IV-B of the Schedule to the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 to be enclosed]

[*Department of Mines and Geology (by whatever name called)*]
Government of [State]
Email: [*designated email id of the State Government for the particular auction*]

[*Notice Inviting Tender to be published at least in one English national newspaper and one local language newspaper and on the State Government website*]

Notice Inviting Tender

"**Invitation of bids for grant of [*Mining Lease/ Composite Licence*]**"

In exercise of the powers conferred by Section [*10B / 11*] of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and in accordance with the Mineral (Auction) Rules, 2015 notified thereunder, the Government of [State] has identified mineral block for the purpose of grant of [*Mining Lease/ Composite Licence*] for the [*name of the mineral*] in *[give brief details of Concessions Area]* through electronic auction and hereby invites bids in digital format only from eligible bidders.

Terms and conditions, deadlines etc. for participating in the electronic auction are provided in the Tender Document. The Tender Document for the mineral block and Mineral Block Summary are available free of cost in electronic form and can be downloaded from the website of [*e-auction platform provider (exact url of the e-auction*

platform provider for the particular auction)] for the purpose of information only. Timelines, notifications, updates and other details for the e-auction process are available on the website of [*e-auction platform provider*].

Those interested and eligible for bidding can participate in the bidding only after online purchase of the Tender Document on payment of the tender fee of Rs. [*State Government to specify the Tender Fee*] from the website of e-auction platform provider. After purchase of the Tender Document eligible bidders can register themselves on the above mentioned website. On successful registration, eligible bidders will obtain Login ID and password necessary for participation in the e-auction process.

Last date for online purchase of Tender Document is [*State Government to specify the last date for purchase of Tender Document*] and the last date for submission of the bid is [*State Government to specify the exact time and date for submission of the bid on e-auction platform*].

Summary of the Mineral Block

[*to be made available on the website of e-auction platform provider*]

PART A – GENERAL INFORMATION ABOUT MINERAL BLOCK

	Features	**Details**
1.	**Location**	
	Mineral Block	
	Corner Points (Latitude, Longitude)	
	Villages	
	Tehsil/ Taluka	
	District	
	State	
2.	**Area (hectares/square kilometres)**	
	Mineralised Area	
	Non-mineralised Area	
3.	**Exploration**	
	Status (G2/G3/G4 etc.)	
	Exploration Agency	
	Total Number of Boreholes with meterage	
	Borehole Spacing (Density)	
4.	**Quantity of Minerals (Grade-wise)**	
	Mineral *1*, Mineral *2*, Mineral *3* ……. Mineral *n*	
	Total Geological Resources (Reserves)	
5.	**Mineralised Zones**	
	Number of Mineral Zones	
	Trend (Dip and Strike)	
	Total Thickness	
6.	**Accessibility**	
	Nearest Rail Head	
	Road	
	Airport	
7.	**Hydrography**	
	Local Surface Drainage Pattern (Channels)	

	Rivers/Streams	
8.	**Climate**	
	Mean Annual Rainfall	
	Temperatures (December)	
	Temperatures (June)	
9.	**Topography**	
	Topo Sheet Number	
	Morphology of the Area	

PART B – PARTICULARS OF STATUTORY LICENSES, PERMITS, PERMISSIONS, CONCESSIONS, APPROVALS AND CONSENTS RELATED TO MINING OPERATIONS

	Particulars	**Details/Status**
1.	Forest clearance	To be obtained by the Successful Bidder/not applicable/if available, State to provide details
2.	Wild life clearance (sanctuary, reserve or special zone clearances)	-do-
3.	Environmental clearance	-do-
4.	Consent to establish	-do-
5.	Explosive licence	-do-
6.	Permission for mine opening	-do-
7.	Permission of installation/ trial operation of equipment	-do-
8.	Ground water clearance (Centre/State)	-do-
9.	Railway siding approval	-do-
10.	Approval for diesel storage	-do-
11.	Power line from State Discom	-do-
12.	Clearances relating to work under an existing transmission line or shifting of the transmission line	-do-
13.	*Grama Sabha* consent	-do-
…n.		-do-

PART C – PARTICULARS OF LAND

	Area	**Details**
1.	Total Concession Area	
2.	Forest Land with Status	
3.	Government Land with Status	
4.	Private Land with Status	
5.	Revenue survey details of the area	

"

R. SRIDHARAN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.